Tuesday, 27 March, 1962

लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ६२, १९६२/१८८४ (शक)

[२७ मार्च से ३० मार्च, १९६२/६ चैत्र से ९ चैत्र, १८८४ (शक)]

2nd Lok Sabha

Preservation Unit
Fumigated On 8.12.84
Parliament Library

Chamber Fumigated 18/7/73

सोलहवां सत्र, १९६२/१८८४ (शक)

(खण्ड ६२ में अंक ११ से १४ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंण्ड ६२—अंक ११ से १४—२७ से ३० मार्च, १९६२ / ६ से ९ चैत्र, १८८४ (शक)]

अंक ११—मंगलवार, २७ मार्च, १९६२ / ६ चैत्र, १८८४ शक

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२२, २२४, २२७ से २२९, २३१, २४२, २३२ से २३५, २४० और २३६	८१३—३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २२३, २२५, २२६, २३०, २३७ से २३९, २४१ और २४३ से २४६	८३३—३७
अतारांकित प्रश्न संख्या ३३६से ३७६	८३८—५७
स्थगन प्रस्ताव और विशेषाधिकार का प्रश्न —	
तेल कम्पनियों के साथ करार . . .	८५७—५९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
उद्यान विभाग के कर्मचारियों की छंटनी . .	८६०–६१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	८६१–६२
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ तिरेसठवां, एक सौ चौसठवां और एक सौ इक्यावनवां प्रतिवेदन।	८६२
लोक-लेखा समिति—	
बयालीसवां प्रतिवेदन . .	८६२
लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति —	
पांचवां प्रतिवेदन .	८६३
रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा . . .	८६३—७८
लेखानुदानों की मांगें—(रेलवे) १९६२–६३ . .	८७८—८८
विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक, १९६२ . . .	८८८–८९
पुरःस्थापित और पारित।	

विषय	पृष्ठ
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक	८८६—९९२
विचार करने का प्रस्ताव ।	
दैनिक संक्षपिका	८९३—९७

अंक, १२— बुधवार, २८ मार्च, १९६२ / ७ चैत्र, १८८४ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या २४७, २५०, २४८, २४९, २५१, २५३, २५४, २५६ से २५८ और २६१ से २६७ . .	८९९—९२२
प्रश्नों के लिखित उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या २५२, २५५, २५९, २६० और २६८ से २७२	९२२—२५
अतारांकित प्रश्न संख्या ३७७ से ४४२ और ४४४ से ४५४ .	९२५—५८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— . .	
कीत्तागुडियम में कोयला खनिकों के बीच हुआ कथित झगड़ा .	९५८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	९५९—६०
याचिका समिति . . .	९६०—६१
पन्द्रहवां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश ।	
राज्य सभा से संदेश	९६१
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ पैंसठवां और एक सौ छियासठवां प्रतिवेदन	
अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक	९६१—७१
विचार करने का प्रस्ताव ।	
खैड २ से ५ और १ ।	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	
विमान निगम (संशोधन) विधेयक	९७१—८२
राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ।	
हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	९८२—९०
भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक . . .	९९०—९२
राज्य–सभा द्वारा पारित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ।	
खंड २ से ४ और १ ।	
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ।	
निक संक्षेपिका	९९३–९९९

विषय	पृष्ठ
अंक, १३—गुरुवार, २९ मार्च, १९६२ / ८ चैत्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७३, २७४, २७७ से २७९, २८१ से २८४, २८६ २८७, २८९, २९० और २९६—क	१००१—२३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २७५, २७६, २८०, २८५, २८८, २९१ से २९६ और २९७ से २९९	१०२७—३२
अतारांकित प्रश्न संख्या ४५५ से ४९६ और ४९६—क	१०३३—५४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३	१०५४
स्थगन प्रस्ताव—	
भारतीय राज्य क्षेत्र पर पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा कथित बलपूर्वक कब्जा	१०५४—५५
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१०५६
हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक—	
रायें	१०५६
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति—	
कार्यवाही सारांश	१०५६
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति—	
कार्यवाही सारांश और दूसरा प्रतिवेदन	१०५६
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ तिरेपनवां, एक सौ सड़सठवां और एक सौ अड़सठवां प्रतिवेदन	१०५७
लोक लेखा समिति—	
तैंतालीसवां प्रतिवेदन	१०५७
सदस्य द्वारा त्याग पत्र	१०५७
विमान निगम (संशोधन) विधेयक—	
राज्य—सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१०५७—६९, १०७२—८०
खंड २ से ८ और १	१०७२—७७
पारित करने का प्रस्ताव	१०७८—८०
हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक—	
राज्य—सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	१०६७—७२, १०८०—९३
दैनिक संक्षेपिका	१०९४—९८

विषय	पृष्ठ
अंक १४—शुक्रवार, ३० मार्च, १९६२ / ९ चैत्र, १८८४ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३०१, ३०२, ३०४ से ३११, ३१२—क ३१३ से ३१५ और ३१५—क . .	१०९९—११२२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ से ६ .	११२३—२८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३००, ३०३, ३१२ और ३१६ से ३२१ .	११२८—३१
अतारांकित प्रश्न संख्या ४९७ से ५२० .	११३२—४०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . .	११४१–४२
१. गोआ के प्रशसन में कथित त्रुटियां और बेरोजगारी .	११४१–४२
२. बोनस आयोग	११४२
३. टिड्डी दल का आक्रमण . . .	११४२
४. असम के तेल क्षेत्रों में कथित हड़ताल . . .	११४२
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	११४२—४४
प्राक्कलन समिति—	
कार्यवाही सारांश	११४४–४५
राज्य–सभा से सन्देश	११४५–४६
लोह अयस्क खान श्रमिक कल्याण उपकार विधेयक पर वादविवाद के उत्तर में शुद्धि	११४६
हिन्दी साहित्य सम्मेलन	११४६–७४
राज्य–सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	११४६—७२
खंड २ से १९ और १	११७२—७४
पारित करने का प्रस्ताव	११७४
विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा के बारे में संकल्प अस्वीकृत	११७४—७७
भवनों, स्कूलों आदि के नाम के बारे में संकल्प–वापस लिया गया .	११७७—८७
राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में संकल्प—वापस लिया गया	११८७—९८
चलचित्र उद्योग के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प वापस लिया गया .	११९८—१२०१
पिछड़ेपन की कसौटी के बारे में संकल्प .	१२०१–०२
विदाई भाषण	१२०४—०६
दैनिक संक्षेपिका	१२०७—१३
सोलहवें सत्र का कार्यवाही संक्षेप	१२१३

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित+ चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

मंगलवार, २७ मार्च १९६२
६ चैत्र, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नागा

†*२२२. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान १४ फरवरी, १९६२ के "अमृत बाजार पत्रिका" के कलकत्ता संस्करण में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि भागे हुए नागा विद्रोही नेता, श्री फिजो, जो अब इंग्लैंड में हैं, ने जेनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेता आयोग को एक ज्ञापन दिया है जिसमें भारत पर नागाओं के प्रति जाति-विनाश, हत्या और उनको कष्ट देने का आरोप लगाया गया है और जैसा कि चीन के विरुद्ध तिब्बत के आरोपों के बारे में किया गया था, उनके आरोपों की जांच करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ज्ञापन की एक प्रति मिली है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) अभी नहीं।

(ग) श्री फिजो द्वारा ऐसे ही आरोप पहले लगाये गये थे और व्यापक जांच की गई थी और वे आरोप निराधार पाये गये थे। सरकार श्री फिजो के इन या ऐसे ही अन्य कार्यों की परवाह नहीं करती, जिस का एक मात्र उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि वह अपने गलत उद्देश्य के लिये प्रचार करता है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : इस बात को देखते हुये कि श्री फिजो ने जैनेवा में भारत के बारे में यह सब विविध बातें कही हैं, और विदेशी समाचार पत्रों ने भी इन का प्रचार किया है, हम विदेशी समाचार पत्रों में इन आरोपों का खंडन करने के लिये क्या कर रहे हैं ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन :** मैं अपने उत्तर में बता चुकी हूं कि हम उनकी उपेक्षा कर देते हैं ।

†**श्री बसुमतारी** : वर्त्तमान स्वरूप अर्थात् नागालैण्ड की अन्तरिम सरकार का श्री फिजो के बारे में क्या रवैया है ? क्या वे भारत वापिस आना चाहते हैं और यदि वह आ जाएं, तो क्या उसे अन्तरिम सरकार का नेता स्वीकार किया जाएगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : अन्तरिम सरकार स्पष्टतः श्री फिजो को किसी का नेता स्वीकार नहीं करती, बल्कि वह उस का विरोध करती है । जहां तक श्री फिजो के वापिस आने का प्रश्न है, उसके वापिस आने का कोई अवसर नहीं है । और यदि वह वापिस आ जाए तो उसके विरुद्ध अभी तक वारंट निकला हुआ है ।

†**श्री हेम बरुआ :** श्री फिजो को, जो भारतीय न्याय का भगोड़ा है, लन्दन क्यों प्रचार करने दिया जाता है । उसे क्यों इस देश में ला कर उस पर मुकदमा चलाया जाता, क्योंकि उसके विरुद्ध बहुतेरे आपत्तिजनक मामले हैं ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस में प्रत्यार्पण का प्रश्न आ गया है । पहले हमने इस मामले पर विचार किया था और हम श्री फिजो के प्रत्यर्पण के लिये जोर डालना समूचे तौर पर वांछनीय नहीं समझा ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या हम अन्य देशों में यह प्रभाव पैदा नहीं कर रहे कि ये आरोप सच्चे हैं, जब तक कि कुछ इन आरोपों का खण्डन नहीं करते ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : आरोपो का लन्दन में तथा अन्यत्र पूरा उत्तर दे दिया गया है, और कई बार । अतः हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि श्री फिज़ो संयुक्त राष्ट्र संघ के उपबन्धों का सहारा लेने के लिये न्यूयार्क जाने का विचार कर रहा है और यदि हां, तो क्या इस काम में विदेशी अधिकरण ने उस का सक्रिय रूप में सहायता दी है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरु** : मैं नहीं कह सकता कि इस मामले में कौन से अधिकरण उसकी सहायता कर रहे हैं । यह संभव है कि कुछ लोग हों । लन्दन में कुछ लोगों ने पहले उसकी सहायता की थी, ब्रिटिश नागरिक बनने के लिये और जैनेवा से लन्दन जाने के लिये । यह संभव है कि वे लोग अब भी उस की सहायता कर रहे हों ।

उड़ीसा में उद्योग के लिये योजना आवंटन

†*२२४. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के लिये उद्योग के क्षेत्र में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत किये गये मूल आवंटन में परिवर्तन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या परिवर्तन किये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उद्योग शीर्ष के अधीन तृतीय योजना में उड़ीसा के लिये शुरू में कितनी रकम रखी गई थी ;

(घ) क्या इसके लिये किसी अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था की गई है;

(ङ) यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है; और

(च) यदि नहीं, तो तृतीय योजना में अन्तिम रूप से आवंटित धनराशि में वृद्धि किये बिना इन परिवर्तनों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) बड़े और मध्यम उद्योगों के अन्तर्गत एक भारी उद्योग निगम स्थापित करने की नई योजना शामिल करने के लिये व्यवस्था की गई है ।

(ग) उड़ीसा की तीसरी योजना के लिये 'उद्योग' कब्र के अन्तर्गत ५४५ लाख रुपये का मूल योजना आवंटित किया गया था ।

(घ) जी हां ।

(ङ) १९६२–६३ की वार्षिक योजना में भारी उद्योग निगम के लिये ५० लाख रुपये की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई है ।

(च) सवाल पैदा नहीं होता ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : यह भारी उद्योग निगम क्या है, और इसके तत्वाधिन में किस किस के उद्योग स्थापित किये जा रहे हैं ?

†**श्री ल० ना० मिश्र**: उन्होंने अस्थायी तौर पर, एक सीमेंट फैक्टरी एक कताई मिल, संरचनात्मक ढांचा कारखाना और एक नमक फैक्टरी लगाने का फैसला किया है । एक रोलिंग मिल और एक कैलशिअम कार्बाइड संयंत्र लगाने का भी प्रस्ताव है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या प्रस्तावित विभाग के अन्दर आने वाले ये सब प्रस्तावित उद्योग सरकारी उद्योग होंगे या इन में गैर सरकारी हिस्से भी होंगे ?

†**श्री ला० ना० मिश्र** : निगम गैर सरकारी क्षेत्रों की भी सहायता करेगा और कुछ अपने उद्योग भी स्थापित करेगी ।

पटसन के मूल्य

+

†*२२७. { **श्री फ० गो० सेन**:
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री इन्द्रजीत गुप्त : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २० नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन के कम मूल्यों को ध्यान में रखते हुए वफर स्टाक एजेन्सी ने पटसन खरीदना आरम्भ कर दिया है ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पटसन आयुक्त द्वारा निर्धारित पटसन के मूल्य बनाये रखने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) बफ़र स्टाक संघ से अपेक्षा की जाती है कि वह मार्च १९६२ की समाप्त से पूर्व अपना कार्य आरंभ करेगी।

(ग) पटसन आयुक्त ने अभी पटसन का मूल्य निर्धारित नहीं किया है। बफर स्टाक संस्था के क्रमों से आशा की जाती है कि पटसन उत्पादक को अच्छे दाम मिल सकेंगे।

†**श्री फ० गो० सेन** : उत्पादकों के पास पटसन नहीं होगा तो क्या बफर स्टाक एजेंसी काम करेगी ?

†**श्री कानूनगो** : हां, पिछले साल की फसल प्रायः समाप्त हो चुकी है। किन्तु बफर स्टाक संगठन भावी वर्षों में भी उपयोगी रहेगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार को पता है कि भारतीय पटसन मिल संस्था के कुछ मिल अपना भंडार किया हुआ स्टाक वापिस बाजार में बेचने तथा इस प्रकार मूल्य घटाने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो** : इस बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि बफर स्टाक अभिकरण यह मांग कर रहा है कि स्टेट बैंक किये गये क्रय पर शत प्रतिशत ऋण दे और क्या कार्य आरंभ करने में यह एक मुख्य कारण है ?

†**श्री कानूनगो** : इस बात का स्पष्टीकरण कर दिया गया है। स्टेट बैंक ने अब शत प्रतिशत ऋण देना स्वीकार कर लिया है। बिलंब पंजयन के सम्बन्ध में विधि संगत प्रक्रियाओं के कारण हुआ है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि स्टेट बैंक ने अब शत प्रतिशत ऋण देना स्वीकार कर लिया है, क्या सरकार को यह पता है कि इस समय पटसन उत्पादकों के बिल्कुल पास नहीं हैं बल्कि बिचौलियों के पास हैं और यदि हां, तो क्या यह बफर स्टाक अभिकरण जो अब बाजार में दाखिल हो रहा है, केवल बिचौलियों को लाभ पहुंचायेगा न कि उत्पादकों को जिनके हाथ से पटसन का स्टाक बढ़ते ही निकल चुका है ?

†**श्री कानूनगो** : जैसा मैंने पहले बताया है, बफर स्टाक एजेंसी केवल पिछली फसल के लिये ही नहीं लेकिन भावी फसलों के लिये भी है।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : माननीय मंत्री ने अभी कुछ समय पूर्व कहा था कि बफर स्टाक कार्य मार्च, १९६२ की समाप्ति से पूर्व आरंभ किया जाएगा जिसका अन्तर है अगले चार दिनों के अन्दर। अगली फसल अभी आने में काफी देर है। तब क्या पिछली फसल का काम किया जाएगा ?

†**श्री कानूनगो** : जब तक मूल्य गिर न जाएं बफर स्टाक एजेंसी कार्यारंभ नहीं कर सकती।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या यह सच है कि दूरस्थ बाजारों में कीमत ३० रुपये से कम है ?

†**श्री कानूनगो :** पिछले महीनों में खास कर फरवरी में, ऐसा हुआ है कि बाहर के केन्द्रों में मूल्य कुछ कम रहा है, किन्तु इसके बहुत से कारण हैं, परिवहन का न मिलना और विभिन्न अन्य कारणा भी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह योजना मूल्य ३० रुपये पर कैसे रखेगी ?

†**श्री कानूनगो :** इरादा इसे कलकत्ता के मूल्य पर रखने का है । हम सब स्थानों पर मूल्य निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि यह बहुत सी बातों पर निर्भर है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या मा० मंत्री को पता है कि जब कि अच्छे पटसन का मल्य कलकत्ता बाजार में बताया गया है, आसाम में घटिया किस्म का मूल्य बताया गया है और प्रायः सभी समाचारपत्रों में रोजाना ३० रुपये दिये जाते हैं, वास्तव में मूल्य प्रति मास ३० रुपये से बहुत अधिक गिर जाते हैं, और अखबारों में ये आंकड़े लोगों को भुलावे में रखने के लिये क्यों दिये जाते हैं ?

†**श्री कानूनगो :** मुझे समाचारपत्रों के स्रोत मालूम नहीं । किन्तु जैसा मैंने बताया है..

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** यह बाजार की कोटेशनें हैं ।

†**श्री कानूनगो :** समाचार पत्र इसे लेते हैं, किन्तु सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है । जैसा मैंने कहा, फरवरी में मूल्य कई स्थानों पर कुछ गिर गये थे । स्पष्ट है कि कलकत्ता के मूल्य बाजार के संवाददाताओं द्वारा बताये जाते हैं और मैं समझता हूं कि समाचारपत्र इस से भिन्न प्रकाशित कर देते हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** यह भ्रमोत्पादक है ?

†**श्री फ० गो० सेन :** मैं पूर्निया का हूं जो पटसन पैदा करने वाला क्षेत्र है । वहां बाजार भाव केवल १८ से २० रुपये मन है । यद्यपि मा० मंत्री कहते हैं कि यह ३० रुपये के आस पास होता है; किन्तु यह निम्नतम भाव से बहुत कम है ।

†**श्री कानूनगो :** मैं कलकत्ता के भाव बता रहा हूं । इस पर भाड़े का अन्तर है और किस्म का अन्तर भी है ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या १२ रुपये मन का अन्तर हो सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** हम इस पर चर्चा ही करते रहेंगे ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** वह कहते हैं कि उन को बाजार की कोटेशनें मालम नहीं हैं और सरकार उन पर ध्यान नहीं देती । बाजार की कोटेशनें विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा भिन्न भिन्न नहीं छापी जा सकती । वे एक ही होती हैं ।

†**श्री कानूनगो :** अनिवार्यतः नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पटसन की वस्तुयें

†*२२८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छः महीनों में विदेशी मांग की तुलना में पटसन की वस्तुओं की कमी रही है ;

(ख) भारतीय पटसन मिलों ने उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की है ;

(ग) सितम्बर, १९६१ से फरवरी, १९६२ तक टाट-बोरे का मासिक उत्पादन कितना था ; और

(घ) इसी अवधि में कच्चे पटसन के औसत मूल्य क्या थे ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) सितम्बर/अक्तूबर १९६१ में पटसन के तैयार माल की कमी थी। तथापि इस कारण निर्यात में कुछ फर्क नहीं पड़ा।

(ख) अगस्त, १९६१ की अच्छी फसल होने के कारण मिलों ने सप्ताह में न केवल ४८ घंटे काम किया, अपितु पटसन माल के उत्पादन को बढ़ाने के लिये ५% करघों को चलाया। बिजली उपलब्ध होने और मांग होने पर अब मिलों को अपने सभी करघे चलाने की स्वतंत्रता है।

(ग) और (घ). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

महीना	उत्पादन		कलकत्ता मूल्य	आसाम बाटम
	हैसियन	सैकिंग	उच्चतम	निम्नतम
	('०००' टनों में)		(प्रति मन के हिसाब से)	
			रुपये	रुपये
सितम्बर, १९६१	३०.०	३५.७	३६.००	३४.००
अक्तूबर, १९६१	३१.०	३७.०	३४.००	३२.००
नवम्बर, १९६१	३५.९	४६.४	३२.५०	२९.५०
दिसम्बर, १९६१	३७.२	४८.८	३१.००	३०.००
जनवरी, १९६२	३८.६	४६.२	३०.००	२८.५०
फरवरी, १९६२	३७.२	४१.९	३०.५०	२८.५०

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** विवरण में फिर यह बताया गया है कि कच्चे पटसन का कलकत्ते का मूल्य भी नवम्बर, १९६१ में गिर कर २९.५० रुपये, जनवरी १९६२ में २८.५० रुपये और फरवरी १९६२ में २८.५० रुपये रह गया था। कलकत्ता स्थित पटसन आयुक्त कैसे प्रति दिन यह खबर देते हैं कि बाजार भाव कभी ३० रुपये से कम नहीं था ?

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** मैं ने अभी कहा है कि यह कलकत्ता में तथा अन्य स्थानों पर कम रहा है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मिलों द्वारा उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या कार्य किये गये हैं ? मा० मंत्री ने बताया है कि उन्हें सभी करघों को चलाने की अनुमति दी गई है । क्या मंत्री जी को यह बात मालूम है कि करघों को चलाने के बाद यह अनुभव किया गया है कि काफी धागा नहीं है और मिल करघों को देने के लिये काफी धागा पैदा नहीं कर रहे हैं ?

†**श्री कानूनगो :** मुझे अभी यह बात मालूम नहीं है किन्तु मुझे यह भी पता है कि मांग कम हो गई है ।

†**श्री त्यागी :** मा० मंत्री ने स्वीकार किया है कि सितम्बर और अक्तूबर के महीनों में पटसन के माल की कमी थी। इस कमी के क्या कारण थे ?

†**श्री कानूनगो :** मुख्य कारण यह था कि फसल की कमी के कारण पटसन के दाम तेज थे ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** पिछले सितम्बर, और अक्तूबर में कितने बन्द करघे चलाये गये थे जब विदेशों में पटसन के माल की मांग अधिक थी ?

†**श्री कानूनगो :** मांग अधिक नहीं थी, किन्तु मेरे पास चल रहे करघों की सही संख्या नहीं है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** इस बात की दृष्टि से कि उत्पादन उत्पादित कच्चे माल की मात्रा तथा मूल्यों के संबंध में, काफी भ्रम रहा है, क्या सरकार समूचे मामले की जांच करने का इरादा रखती है, कि मिल किस तरीके से उत्पादन कर रहे हैं, और कच्चे पटसन के मूल्य का क्या मामला है ? अन्यथा अगले मौसम में और भ्रम होगा।

†**श्री कानूनगो :** लगभग दो वर्ष पहले व्यापक जांच हुई थी। मुझे सही वर्ष तो ज्ञात नहीं उस में किये जाने वाले सब आवश्यक कार्यों का उल्लेख किया गया था ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या यह सच नहीं है कि पटसन के माल के लिये भारत की आन्तरिक मांग लगातार बढ़ रही है, अब कुल उत्पादन का ४०% मांग हो गई है, इस कारण ऐसे उपायों द्वारा कुल उत्पादन को बढ़ाने की आवश्यकता है, जो देश के लिये लाभदायक हो और सरकार को पुनः उद्योग की जांच करवानी चाहिये ?

†**श्री कानूनगो :** मुझे ४० प्रतिशत का तो पक्का पता नहीं, किन्तु यह बढ़ रही है, इतना हम अवश्य जानते हैं ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या उस मौसम में विदेशों में केवल बढ़िया किस्म के पटसन के माल की कमी थी, या अन्य किस्मों के पटसन के माल की भी कमी थी ?

†**श्री कानूनगो :** अधिक और लाभदायक मांग बढ़िया किस्म के हैसियन पटसन की है और उस में हमें कड़ा मुकाबला करना पड़ता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : दो वर्ष पहले प्रश्न मांग गिरने का था । आज की स्थिति में मांग बाहर और देश में बढ़ रही है । ऐसी अवस्था में क्या सरकार दूसरी जांच करवाने का विचार करती है कि मिलों का उत्पादन मांग के अनुसार कैसे बढाया जाए, कच्चे पटसन का उत्पादन कैसे बढ़े और इस संबंध में सब बातों पर विचार किया जाए ?

†**श्री कानूनगो** : जैसा मैं ने बताया, दो वर्ष पहले जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की गई थी उस में वे सब उपाय बताये गये हैं ।

पश्चिम बंगाल में 'अनधिकारवासियों' की बस्तियां

†*२२९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के २४ परगना के 'अनधिकार वासियों' की कितनी बस्तियों को विनियमन के लिये स्वीकार किया गया है ;

(ख) भूमि के कब्जे के विनियमन तथा विकास के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या यह सच है कि इन हजारों शरणार्थी परिवारों को मकान-निर्माण ऋण अथवा पुनर्वास ऋण के रूप में सरकार से कोई सहायता नहीं मिली है ;

(घ) क्या इसके विपरीत इन से प्रतिकर मांगा जा रहा है ; और

(ङ) क्या इस मामले में शीघ्रता की जा रही है और सरकार का इन बस्तियों का विनियमन करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर:)**:(क) १०१ ।

(ख) अभी तक ७२ बस्तियां पूर्णत: और छः बस्तियां अंशत: विनियमित की गई हैं । १२७ बस्तियों में विकास कार्य आरम्भ किया गया है ।

(ग) अनधिकार वासियों की बस्तियों को योजनाओं में अनधिकार की गई भूमि के अधिग्रहण के रूप में तथा प्लाटों के आवंटन के पश्चात् बस्ती के विकास के लिये पुनर्वास सहायता की व्यवस्था है ।

(घ) भूमि अधिग्रहण की लागत तथा बस्ती का विकास संबद्ध अनधिकार वासी परिवार के लिये ऋण समझा जाता है ।

(ङ) राज्य सरकार के द्वारा इन बस्तियों का शीघ्र विनियमन करने के लिये सब प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि २४ परगनों में एक भी अनधिकार वासी बस्ती में, प्लाट काटी गई भूमि नहीं दी गई है, और प्लाट मालिकों को हक़ पत्र नहीं दिये गये हैं तथा एक भी व्यक्ति को यह पता नहीं है कि उसे भूमि के अधिग्रहण की क्या कीमत देनी पड़ेगी ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : प्रत्येक प्लाट की भूमि अधिग्रहण की कीमत तथा बस्ती के विकास की लागत १८७५ रुपये से अधिक नहीं होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : मेरा प्रश्न यह है कि एक भी परिवार ऐसा नहीं जिसे हक पत्र या वास्तविक प्लाट मिला हो जिसे उन्हें रखना है और फिर भी हमें मंत्री जी कहते हैं कि ७२ बस्तियां पूर्णतः विनियमित हो चुकी हैं तथा विकास कार्य पूरा हो चुका है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर** : मैं ने यह नहीं कहा कि विकास कार्य पूरा हो चुका है। मैं ने मूल उत्तर में कहा था कि २७ बस्तियों में विकास कार्य आरम्भ किया गया है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : कितने परिवारों को हक पत्र दिये गये हैं, जिन्हें पता है कि उन्हें कितनी राशि देनी है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: विनियमन विकास से भिन्न होता है। विनियमन का यह अर्थ है कि आया कोई व्यक्ति अर्ह है या नहीं, जब राज्य सरकार द्वारा उसकी अर्हता का सत्यापन किया जाता है, वह बस्ती पांच या छः वर्ष पहले राज्य सरकार के परामर्श से किये गये नीति निर्णय के अनुसार उस बस्ती का विकास किया जाता है। राज्य सरकारें यही कर रही हैं, किन्तु यदि वह किसी बस्ती विशिष्ट के बारे में कोई खास ब्यौरा जानना चाहती हैं तो मैं सूचना एकत्र करवा दूंगा। बस्तियों की संख्या १४७ है और २५,००० और ३०,००० के बीच परिवारों की संख्या प्रभावित होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहती हैं कि क्या कोई हक पत्र इन लोगों को दे दिया गया है और क्या उनको मूल्य बताने के लिये प्रयत्न किया गया है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : राज्य सरकार ने अर्पण पत्र शब्द का प्रयोग किया है। मुझे इस के बारे में अधिक पता नहीं। मैं हिन्दी नहीं जानता। मुझे यह सूचना मिली है बहुत से लोगों को अर्पण पत्र दिये जा चुके हैं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार जानती है कि इन अर्पण पत्रों का कोई विधिगत मूल्य नहीं है, और न इन में यह लिखा है कि उन को कितनी राशि देनी, है न यह हक पत्र है और न ही इन में कोई विधि संगत ब्यौरा है जो न्यायालय द्वारा इन को स्वीकार किये जाने के लिये जरूरी होता है ? इस लिये इन का कोई मूल्य नहीं है।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना** : इन भूमियों पर बहुत समय से अनधिकार है। ये राज्य में विभिन्न लोगों की हैं। हम इन अनधिकार वासियों के कब्जे को विनियमित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। राज्य सरकार के द्वारा इस विनियमन के किये जाने से पहले प्रतिकर देना है और प्रतिकर का देना तथा इसका अनुमान लगाने का बड़ा लम्बा तरीका है। वह करना जरूरी है। किन्तु यदि मा० सदस्य कोई विशिष्ट सूचना जानना चाहती हैं, किसी विशिष्ट बस्ती या विशिष्ट व्यक्ति के बारे में तो मैं राज्य सरकार से वह सूचना प्राप्त करने का अवश्मेव प्रयत्न करूंगा।

†**श्री त्यागी** : क्या सरकार ने इसे अपनी सामान्य नीति बना लिया है कि अनधिकारवासी ने जहां कहीं भी भूमि पर अनधिकार कब्जा कर रखा है, उसका विनियमन किया जाये और यदि हां, तो किन शर्तों पर यह अवैध कब्जा विनियमित किया जाता है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना**: कब्जा निसंदेह अवैध है। यह दुख की बात है किन्तु ऐसा करना पड़ा क्योंकि विस्थापित लोग लाखों की संख्या में आये वे इन भूमियों पर बैठ गये। अतः इन वर्षों में हम उन को उसी स्थान पर पुनर्वास करने का प्रयत्न करते रहे जहां वे अनधिकार बैठ गये थे, केवल एक शर्त पर कि उस भूमि की कीमत जो देनी है वह अत्याधिक न हो और एक निश्चित सीमा से अधिक न हो।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी :** क्या विस्थापित लोगों ने अतिरिक्त अन्य लोगों ने भी दिल्ली में अनधिकार कब्जा कर रखा है और उस को भी मान्यता दी जा रही है ?

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** यह प्रश्न निर्माण मंत्री से पूछा जाना चाहिये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** इस दृष्टि से कि पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिए बहुत कम सरकारी बस्तियां और मकानों की योजनायें बनाई गई हैं, और अधिकांश नगरीय शरणार्थी उन शरणार्थी बस्तियों में अनधिकारवासी बस्तियों में बस चुके हैं, तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनको विनियमित करने का यह निर्णय ७ या ८ वर्ष पहले किया गया था, क्या सरकार शरणार्थियों को शीघ्रतापूर्वक लिखित में कब्जा देने और उस राशि का निर्णय करने में जिसकी ऋण के तौर पर जरूरत होगी, मंत्रालय को बन्द करने के निर्णय करने से पहले विचार करेगी ।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** परिणाम बड़े बुरे हैं । पश्चिम प्रदेश में हम ने भूमि का अधिग्रहण किया, हमने उनका विकास किया और भूमि विस्थापित लोगों को अलाट की। बंगाल में स्थिति प्रतिकूल थी। अनधिकारवास हुआ और सरकार को अनधिकारवास को विनियमित करने पर मजबूर होना पड़ा । यह बड़े दुख की बात है । किन्तु जहां तक धन देने या अधिग्रहण का संबंध है, पूर्व या पश्चिम के विस्थापित लोगों में कोई भेदभाव नहीं किया गया । दोनों के मामले में सरकार ने धन दिया है और यह ऋण माना गया है ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** अनधिकारवासियों की बस्तियों को ऋण नहीं दिये गये ।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** भूमि की लागत तथा विकास की लागत अनधिकारवासी व्यक्ति के लिये ऋण मानी जायेगी और उसे उसका पैसा पैसा देना पड़ेगा । पश्चिम प्रदेश में भी ऐसा ही किया गया है ।

दूसरे, यह सिलसिला चल रहा है और मैं मा० सदस्या को आश्वासन दे सकता हूं कि योजना जारी रखी जायेगी और उस को तोड़ने का कोई प्रश्न नहीं हो सकता ।

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ और २४२ के बारे में

†**अध्यक्ष महोदय :** अगला प्रश्न ।

†**श्री पु० र० पटेल:** प्रश्न संख्या २३१ ।

†**श्री याज्ञिक :** श्रीमान् मेरा निवेदन है कि प्रश्न संख्या २४२ भी इस के साथ लिया जाये क्योंकि इस का संबंध कपास के स्टाक से है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या वे दोनों एक से प्रश्न हैं ? क्या मंत्री महोदय उन का एक साथ उत्तर देने को तैयार हैं ?

†**श्री कानूनगो :** उन में थोड़ी समानता है । परन्तु मैं दोनों का उत्तर एक साथ दे सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रूई का गधिग्रहण[1]

+

†*२३१. श्री पु० र० पटेल :
श्रीमती जयाबेन शाह :
श्री ओझा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपड़ा आयुक्त ने राज्यवार रूई की कितनी गांठों का अधिग्रहण किया है; और

(ख) क्या रूई सहकारी समितियों और किसानों ने अधिग्रहण आदेश का विरोध किया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री काननगो)**: (क) अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है और पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) हां, श्रीमान् ।

गुजरात में कपास का स्टाक

†*२४२. **श्री याज्ञिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के कपड़ा आयुक्त गुजरात में कपास उत्पादकों और कपास ओटने के कारखानों को उन के कपास के स्टाक जब्ते और अधिग्रहण[1] करने के नोटिस देते रहे हैं;

(ख) क्या यह सच है कि इस कार्यवाही के फलस्वरूप समस्त गुजरात में कपास् उगाने और ओटने का काम करने वालों में बड़ा भारी असन्तोष फैल रहा है;

(ग) क्या सरकार ने बम्बई के कपड़ा आयुक्त को, इस साल कपास की पैदावार कम होने के कारण, कपास के सारे स्टाक जब्त करने और गुजरात और अन्य स्थानों पर कपड़ा मिलों को देने के अनुदेश दिये हैं; और

(घ) क्या गुजरात की जनता में और सरकारी क्षेत्रों में पैदा हुई सामान्य भावनाओं को ध्यान में रख कर सरकार कपड़ा आयुक्त को कपास जब्त और अधिग्रहण करने के सारे आदेश, जो अब तक दिये गये हैं, वापस लेने और सामान्य स्थिति पैदा करने के अनुदेश देगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) से (घ). एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १७]**

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या अधिग्रहण आदेश के फलस्वरूप मूल्य गिर गये हैं और उत्पादकों को हानि हो रही है ?

†**श्री कानूनगो** : नहीं, श्रीमान् ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या यह सच है कि कृषकों को दिया जाने वाला मूल्य दो रु० कम हो गया है ?

†**श्री कानूनगो** : नहीं, श्रीमान् । उस कपास का अधिकतम मूल्य निर्धारित है ।

†**श्री पु० र० पटेल** : क्या अधिग्रहण करते समय दिया जाने वाला अधिकतम मूल्य उस समय के प्रचलित बाजार मूल्य से काफी कम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Free Zing

†**श्री कानूनगो:** हम बाजार मूल्य को अधिकतम मूल्य पर स्थिर बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

†**श्री पु० र० पटेल :** क्या कपास ले कर कपड़ा मिल मालिक को देने पर भी कपड़े का मूल्य बढ़ गया है ?

†**श्री कानूनगो :** कपड़े का मूल्य बहुत नहीं बढ़ा है।

†**श्री याज्ञिक :** लगभग १० वर्ष पूर्व वर्ष १९५० में कपास का अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया था। प्रत्येक वस्तु का मूल्य बढ़ने के कारण क्या सरकार ने कपास का अधिकतम मूल्य पुनः निर्धारित करने की आवश्यकता पर विचार किया था ? ऐसा करने का एक विशेष कारण यह भी है कि कपास की फसल इस वर्ष बहुत खराब हो गई है और व्यय बहुत बढ़ गया है।

†**श्री कानूनगो:** कपास के न्यूनतम और उच्चतम मूल्य प्रति वर्ष निर्धारित होते हैं। पिछले वर्ष वे निर्धारित हुए थे। न्यूनतम मूल्य कुछ बढ़ा था। और उच्चतम मूल्य अनेक कारणों से वही रखा गया। अगले वर्ष के लिये मूल्यों का निर्धारण फसल आने से पहिले अर्थात् मई के आसपास होगा।

†**श्री याज्ञिक:** क्या गुजरात के मुख्य मंत्री ने बम्बई में कपड़ा आयुक्त और कृषकों तथा कपास ओटने वालों के प्रतिनिधियों के साथ एक कान्फ्रेंस की थी और कपास के स्टाक पर कब्जा करने के बारे में कोई निश्चय किया था ?

†**श्री कानूनगो:** इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

†**श्री याज्ञिक :** आश्चर्य की बात है। राज्य के मुख्य मंत्री ने कान्फ्रेंस बुलाई और इसका समाचार अखबारों में छपा कि मुख्य मंत्री के कहने पर कपास के स्टाकों पर कब्जा करने का काम अभी रोक दिया गया है। इस मामले में आगे कार्यवाही करने के बारे में कपड़ा आयुक्त को परामर्श देने के लिये विभिन्न स्थानों पर सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रतिनिधियों की समितियां बनाई गई हैं।

†**श्री कानूनगो:** विभिन्न प्रदेशों में सर्वेक्षण की प्रक्रिया और कोटा निर्धारित का पुनरीक्षण हुआ है और निरन्तर होता है। यह कार्य सदैव ही राज्य सरकारों के परामर्श से किया जाता है। हो सकता है कि यह वही प्रतिक्रिया हो। परन्तु माल को लेने का अधिकार है और रहेगा क्योंकि आजकल पैदावार थोड़ी है।

†**श्री हेडा:** माननीय मंत्री ने अभी बताया है कि कपास के स्टाक पर कब्जा करने के बाद मूल्य नहीं गिरा है। क्या इसका यह अर्थ है कि सरकार द्वारा निर्धारित उच्चतम मूल्य ही बाजार में बताया जाता है ? यदि बाजार में बताया गया मूल्य गिरा नहीं है तो अधिग्रहण आदेश का क्या उद्देश्य था ?

†**श्री कानूनगो:** मैं यह कह रहा हूं कि साधारण रूप में उच्चतम मूल्य स्थिर कर दिये गये हैं। केवल बहुत थोड़ी मात्रा पर कब्ज़ा किया गया है। ४३ लाख गांठों में से केवल १०,००० गांठों को कब्जे में लिया गया है। अत्यावश्यक मामलों में ही ऐसा किया गया है। परन्तु इस समूचे नियंत्रण का उद्देश्य यह है कि विशेष प्रकार की कपास के लिए बाज़ार में मिलों की मांग को रोकना है। कुछ भी हो, उच्चतम मूल्यों को स्थिर कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री याज्ञिक : क्या सरकार को विदित है कि कपास के स्टाक पर कपड़ा आयुक्त के कब्जा करने की कार्यवाही का गुजरात में कपास की खेती पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा और कपास उत्पादकों को, कपास का मूल्य सरकार द्वारा कम करने से, लाखों रुपयों का नुकसान होगा।

†श्री कानूनगो : अगले वर्ष के लिए उच्चतम और न्यूनतम मूल्य विचाराधीन हैं और आशा है कि उनकी घोषणा मई में किसी समय हो जायेगी। परन्तु यह भी याद रखना होगा कि यदि कपास का मूल्य पैदावार होने के कारण बढ़ता है, तो यह आवश्यक है कि कपड़े का भी मूल्य बढ़ जायेगा। हम दोनों को ही रोकने का प्रयास कर रहे हैं।

†श्री पु० र० पटेल : किसानों को तीसरी पंचवर्षीय योजना में दिये गये वचन को ध्यान में रख कर कि उन्हें कृषि उत्पादों के लिए जिनमें खाद्य सम्मिलित, उचित मूल्य दिया जायेगा, क्या सरकार ने कपास का लागत-मूल्य निर्धारित करने पर विचार किया है।

†श्री कानूनगो : मैं पहले कह चुका हूं कि प्रति वर्ष हम अधिकतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने से पहले सम्बन्धित निकायों, उपभोक्ताओं और राज्य सरकारों से परामर्श करते हैं। इस वर्ष भी हम ऐसा करेंगे। लागत-मूल्य का भी ध्यान रखा जाता है एवं कपास समिति में उत्पादकों के प्रतिनिधि हैं।

†श्री पु० र० पटेल : मेरा प्रश्न लाभप्रद मूल्य के बारे में था। वर्तमान उच्चतम मूल्य को लाभप्रद बताने के लिए सरकार के पास क्या जानकारी है ?

†श्री कानूनगो : इस बारे में मैं तर्क नहीं कर सकता। मूल्य के मामले में हम कपास समिति का परामर्श मानते हैं जिसमें उत्पादकों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि हैं।

†श्री थानू पिल्ले : निम्नतम मूल्य क्या है ? उत्पादन-लागत और निम्नतम मूल्य में कितना अन्तर है ?

†श्री कानूनगो : मेरे पास ठीक आंकड़े नहीं हैं। पिछले वर्ष हमने निम्नतम मूल्य में लगभग सौ रुपये की वृद्धि की थी।

नारियल जटा की वस्तुएं

†*२३२. { +श्री वासुदेवन नायर :
श्री पुन्नूस : }

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०–६१ तथा १९६१–६२ में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय की हिदायतों पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने नारियल जटा की कितनी वस्तुयें खरीदीं और उपयोग में लाईं; और

(ख) देश में नारियल जटा की वस्तुओं का प्रचार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) वर्ष १९६०–६१ और १९६१–६२ (फरवरी तक) में बोर्ड के विक्रय-डिपो द्वारा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों ने जो क्रय किया है वह निम्न है :—

१९६०-६१	१९६१-६२ (फरवरी, ६२ तक)
रु०	रु०
९१,५५८	९४,००५

(ख) देश में नारियल जटा वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए नारियल जटा बोर्ड विभिन्न कार्यवाही कर रहा है । इनमें, अन्य कार्यवाही के साथ, बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बैंगलौर आदि जैसे बड़े नगरों में प्रदर्शन कक्षों तथा विक्रय डिपो की स्थापना, समय समय पर देश के विभिन्न भागों में प्रदर्शनियों में भाग लेना, अखबारों व पत्रिकाओं में विज्ञापन देना, महत्व-पूर्ण नगरों में संचित वस्तुओं का प्रदर्शन करना, सिनेमा में तख्तियों (स्लाइडों) का दिखाया जाना सम्मिलित है । नारियल जटा के बारे में एक वृत्त चित्र भी बनाया जा रहा है । बोर्ड ने नारियल जटा वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने और बेचने के लिए प्रसिद्ध व्यापारियों को नियुक्त किया है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : क्या विभिन्न मंत्रालयों को कुछ प्रतिशत नारियल जटा वस्तुयें खरीदने के अनुदेश दिये गये हैं और क्या वे उस प्रतिशत जितना माल लेते हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : हां, श्रीमान् । सभा को यह बताने में मुझे प्रसन्नता है कि सभी मंत्रालय हमें सहयोग दे रहे हैं और मंत्रालय तथा राज्य सरकारें और अधिक मात्रा में नारियल जटा की वस्तुओं का क्रय कर रहे हैं ।

†**श्री पुन्नूस** : क्या 'विभिन्न मंत्रालयों' में प्रतिरक्षा मंत्रालय भी सम्मिलित है और यदि हां, तो उस मंत्रालय ने कितनी वस्तुयें खरीदी हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जी हां । सभा महसूस करेगी कि प्रत्येक मंत्रालय के लिए नारियल जटा की वस्तुओं की अधिक मात्रा में आवश्यकता नहीं होती । जब आवश्यकता होती है, नारियल जटा की वस्तुओं को प्राथमिकता दी जाती है ।

†**श्री वासुदेवन नायर** : विवरण में कहा गया है कि पर्याप्त प्रोपागण्डा किया जा रहा है । इसका देश में उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह** : जैसा कि विवरण से विदित है, इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है । लगभग चार वर्ष पहले ३४,६२९ रु० का विक्रय हुआ था जब कि वर्तमान विक्रय का मूल्य ४·५० लाख रुपया से भी अधिक है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : क्या देश में प्रयोग होने वाली नारियल जटा की वस्तुयें उसी किस्म की होती हैं जिसकी कि निर्यात की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री मनुभाई शाह** : हम यथासंभव अधिक मात्रा में नारियल जटा की वस्तुओं का निर्यात करना चाहते हैं। संसार में नारियल जटा का स्थानापन्न सूत मिलने पर ही हमें स्वदेशीय उपभोग बढ़ाना होगा। इस परिधि में, स्वदेशीय उपभोग की वस्तुओं की किस्म भी वही है जो निर्यात होने वाली वस्तुओं की है।

†**श्री पुन्नूस** : क्या नारियल जटा की चटाइयां बैरकों और सेना शिविरों में प्रयुक्त होती हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय**: शायद उन्हें पता न हो। अगला प्रश्न।

अखिल भारतीय बैंक ट्रिब्यूनल, बम्बई

†*२३३. **श्री याज्ञिक :**
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री जगदीश अवस्थी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को अखिल भारतीय बैंक ट्रिब्यूनल, बम्बई के सभापति का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है;

(ख) प्रतिवेदन कब तक प्रकाशित किये जाने की आशा है; और

(ग) उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री याज्ञिक** : क्या सरकार को विदित है कि बैंक कर्मचारियों में, अपनी आय में कमी होने और सब वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने के कारण बड़ी खलबली है ?

†**श्री आबिद अली** : नहीं, श्रीमान्। उन लोगों को आजकल लागू पंचाट के अनुसार पूर्ण प्रतिकर दिया जाता है और देश में कहीं भी आन्दोलन नहीं है।

चैकोस्लोवाकिया में फिल्म समारोह

†*२३४. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चैकोस्लोवाकिया में आयोजित कार्लोवीवेरी फिल्म समारोह में भाग लेने का इरादा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार का इरादा एक फिल्म शिष्टमंडल भेजने का है; और

(ग) यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन होंगे ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री के सभासचिव (श्री आ० चं० जोशी)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग). फिल्म समारोह के नियमों में सरकार की ओर से फिल्म शिष्टमण्डल भेजने का उपबन्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री अ० मु० तारिक : अगर यह दुरुस्त है कि रूल्स इस बात की इजाजत नहीं देते कि डेलीगेशन बाहर भेजा जाए तो पिछले जितने फैस्टिवल हुए हैं उनमें हिन्दुस्तान की फिल्में किस तरह दिखाई गई हैं और डेलीगेशंज का इंतखाब किसने किया है जब कि बहुत से डेलीगेशंज के साथ इनफार्मेशन एंड ब्राडकास्टिंग मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी भी गए हैं ।

†**श्री आ० चं० जोशी :** समारोह-प्रबन्धक तीन फिल्म कलाकारों के एक शिष्टमण्डल को आमंत्रित करेगा । यह तीनों कलाकार फिल्मों के कलाकारों के प्रतिनिधि होंगे । फिल्मों के नाम देने पर ही समारोह-प्रबन्धक द्वारा कलाकारों को आमंत्रण भेजने का प्रश्न पैदा होता है । वर्तमान मामले में, फिल्मों के नाम अभी नहीं भेजे गये हैं । अतः आमंत्रण बाद में आयेगा ।

†**श्री अ० मु० तारिक :** इन फिल्मों के छांटने के लिए कोई उत्तरदायी है ? क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय उत्तरदायी है ? फिल्मों का चुनाव करने की क्या प्रक्रिया है ?

†**श्री आ० चं० जोशी :** सरकार ने इस समारोह के लिए 'गंगा जमना' का चुनाव किया है और ऐसा करने में श्री कृष्ण कृपालानी और श्री बी० वी० वारेरकर का सहयोग लिया है ।

†**श्री हेडा :** हमारे देश से भेजी गई फिल्म के लिये इनाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि पहिले से ही कुछ प्रचार किया है । पिछले समारोहों में, जिनमें हम ने भाग लिया था, हम ने अपनी फिल्मों का उचित प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए कोई प्रचार नहीं किया । क्या अब चैकोस्लावाकिया को भेजी जाने वाली फिल्मों का प्रचार करने का कोई प्रोग्राम है ?

†**श्री आ० चं० जोशी :** सभा में यह बताया जा रहा है कि अमुक फिल्म भेजी जा रही है और यह स्वयं ही इस का प्रचार है ।

†**श्री हेडा :** भाग लेने वाले देश समारोह में वस्तुतः सम्मिलित होने से पहिले अपनी फिल्मों का उस देश में प्रदर्शन करते हैं ताकि वहां उस फिल्म का पहिले से ही उचित प्रचार हो जाये और उसके बारे में मत स्थापित हो जायें । क्या समारोह में सम्मिलित होने से पहिले इस फिल्म को चैकोस्लावाकिया में प्रदर्शित करने का कोई प्रोग्राम है ?

†**श्री आ० चं० जोशी :** मुझे खेद है कि मैं यह जानकारी नहीं दे सकता ।

†**श्री वासुदेवन नायर :** अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के लिए फिल्मों का चुनाव करने में भाषाई फिल्मों पर भी उचित ध्यान दिया जाये, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**श्री आ० चं० जोशी :** उन पर उचित ध्यान दिया जाता है ।

नागा विद्रोहियों का अड्डा

+

†*२३५. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नागा विद्रोही अपना अड्डा हटा कर बर्मा ले गये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन):** जहां तक हमें विदित है नागा विद्रोही अपना अड्डा (हेडक्वार्टर्स) निरन्तर बदलते रहते हैं । कुछ समय से वे बर्मा में रह कर कार्य कर रहे थे । बाद में बर्मा फौज ने उन्हें वहां से भगा दिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : बर्मा में इनका जो हैडक्वार्टर कायम हुआ है, उसके सम्बन्ध में हमारी सरकार और वहां की सरकार में कोई बातचीत हुई है और क्या बर्मा सरकार को कहा गया है कि इस प्रकार की कार्रवाइयां वहां से नहीं होनी चाहियें क्योंकि यह चीज़ हिन्दुस्तान के स्वार्थों के विरुद्ध है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** जी हां, बातचीत हुई है और उनकी बार बार तवज्जह दिलाई है। बर्मा गवर्नमैंट ने कुछ कार्रवाई की भी जिसका अभी जिक्र हुआ है। उनको उधर से हटाया है। हो सकता है कि उसके बाद फिर वे चले जायें क्योंकि आमदोरफ्त जारी रहती है। लेकिन बर्मा गवर्नमैंट ने पूरा इरादा किया है हमारी मदद करने का और उसने कुछ की भी है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या बर्मा में फौजी हकूमत होने के कारण नागा विद्रोहियों को वहां स कार्य करने की उत्तम सुविधायें मिल रही हैं ? यदि हां, इससे बचने के लिए क्या कार्यव ही की जा रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मैं नहीं समझता कि उन्हें अधिक सुविधायें मिल रही हैं। इसका कोई कारण नहीं है कि हकूमत बदलने से अधिक सुविधायें क्यों मिलें। फिर भी, इस बारे में हम ने कुछ नहीं सुना है।

†**श्री हेम बरुआ :** यह पता कैसे लगा कि कुछ समय से नागा विद्रोही बर्मा से कार्य कर रहे थे ? क्या यह साधन हमारी एजेन्सी है या दूसरों की कही बात मात्र है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** नहीं, यह कथनमात्र नहीं है। हमारे सीमान्त अधिकारी कभी बर्मा के सीमान्त अधिकारियों से मिले थे। वे स्थिति पर विचार करते हैं। प्रत्येक दूसरे को जानकारी देता है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या हमारी सरकार को यह जानकारी कि नागा विद्रोही बर्मा में रह कर कार्य कर रहे हैं, मि० गविन यंग को उस बर्मा-राज्य-क्षेत्र की यात्रा करने से पहिले मिल गई थी जहां हमारे वायु सैनिक अस्थायी रूप से पड़े थे या बाद में मिली ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** मुझे याद नहीं कि मि० गविन यंग वहां कब गये थे और उनके बारे में कुछ कहा था, परन्तु मेरा ख्याल है कि हमारी जानकारी मि० गविन यंग की वहां की यात्रा करने से पहिले की है।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या बर्मा राज्य-क्षेत्र में रह कर कार्य करने वाले नागा विद्रोहियों को हथियार व गोला-बारूद वहां मिल गये हैं, और क्या सरकार को इस बारे में कोई जानकारी है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** बर्मा से प्राप्त किये ?

†**श्री हेम बरुआ :** हां।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यूरोपीय साझा बाजार

†*२५०. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री मुरारका :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यूरोपीय साझा बाजार में प्रवेश के लिये इंगलिस्तान द्वारा बातचीत के परिणामस्वरूप भारतीय निर्यात के लिये परित्राण प्राप्त करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : ब्रिटेन और यूरोपीय साझा बाजार के बीच इस प्रश्न पर वार्ता हो रही है । वार्ता गोपनीय है, इस कारण अभी उनकी प्रगति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच कि ब्रिटेन की सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यूरोपीय साझा बाजार में सम्मिलित होने की पहिली शर्त यह है कि जो देश यूरोपीय साझा बाजार के सदस्य नहीं हैं, उन सब के लिए सामान्य प्रशुल्क होना चाहिये, और यदि ऐसी बात है, तो क्या इसका अर्थ यह नहीं है कि ब्रिटिश बाजारों में भारत के विद्यमान हितों को भारी धक्का लगेगा ?

†**श्री कानूनगो** : हम १० अक्टूबर, १९६१ के मि० हीथ के वक्तव्य से अनुमान लगा सकते हैं कि वार्ता करते समय वे ब्रिटेन के बाजारों में मित्र राष्ट्रमण्डल के देशों के हितों का ध्यान रखेंगे ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि मित्र राष्ट्रमण्डल के देशों के मामले में, जो ब्रिटिश बाजारों को उसी वस्तु का निर्यात करते हों, इन सब देशों के साथ समानता का व्यवहार किया जायेगा जैसा कि अभी तक होता है ?

†**श्री कानूनगो** : अभी हमें यही ज्ञात नहीं है कि ब्रिटेन किन शर्तों पर यूरोपीय साझा बाजार में सम्मिलित होगा । सामान्य बात यह है कि यूरोपीय साझा बाजार के सारे प्रशुल्क सभी देशों पर लागू होंगे और ब्रिटेन पर भी लागू होंगे । परन्तु हमें इस बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि अभी वार्ता चल रही है और अखबारों में यह समाचार छपा है कि इस पर विशेष रूप से विचार करने में कुछ महीने लगेंगे ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : यह सारी बात पूरी तरह ब्रिटेन के हाथ में नहीं है । वे स्वयं यूरोपीय साझा बाजार वालों से व्यापार कर रहे हैं जो अपनी शर्तें रखते हैं । हो सकता है कि ब्रिटेन उन शर्तों को अस्वीकार कर दे और साझा बाजार में सम्मिलित हो जाये । यदि वे सम्मिलित होते हैं, तो यह बात ब्रिटेन और अन्य देशों का एक-दूसरे की शर्तों पर सहमत होना होगा ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या सरकार को विदित है कि योरोप की १६ देशीय परिषद् ने एक अध्ययनकृत रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें सुझाव है कि मित्र राष्ट्रमण्डल के इन देशों को बृहत साझा बाजार में अवश्य सम्मिलित करना चाहिये या विशेष सन्धि से विनियमित रूप में ब्रिटेन में वस्तुओं के आने की अनुमति हो और, यदि हां, तो क्या सरकार ने इन प्रस्तावों पर ब्रिटेन के मत का पता लगा लिया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री कानूनगो :** मुझे पता नहीं कि विवरण क्या है और माननीय सदस्य किसका उल्लेख कर रहे हैं। रोम सन्धि मूल दस्तावेज है जिसके आधार पर हमें यूरोपीय साझा बाजार की कार्यवाही का पता लगाना है।

†**श्री त्यागी:** क्या ब्रिटेन की सरकार ने मित्र राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों से, जो जो इस नाटो-सन्धि के सदस्य नहीं हैं, परामर्श करने या इस बारे में बताने की कोई इच्छा प्रकट की है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हां, बार बार उल्लेख तथा परामर्श, आदि हुए हैं, परन्तु इन सब परामर्शों का अर्थ यह है कि ब्रिटेन सरकार कहती है कि वह मित्र राष्ट्रमण्डल के देशों के हितों की रक्षा करने का भरसक प्रयास करेगी। परन्तु वह कहां तक ऐसा कर पाती है, यह तो देखना है।

†**श्री हेम बरुआ :** परसों के समाचारपत्रों में यह समाचार छपा था कि योरोप की १६-देशीय परिषद् ने इस समस्या का अध्ययन किया था और उन्होंने रिपोर्ट दे दी है। उसमें कुछ विशिष्ट सुझाव दिये गये हैं। उनमें से एक मित्र राष्ट्रमण्डल के देशों का वृहत मित्र राष्ट्र मण्डल के साथ सम्मिलित, दूसरा विशिष्ट सन्धि द्वारा विनियमित रूप में ब्रिटेन में निर्यात-वस्तुओं का मुक्त रूप से आना जारी रखने, और तीसरा उत्पादानुसार निर्णय के बारे में है। परिषद् ने रिपोर्ट में ये सुझाव दिये हैं। क्या इसका हमने अध्ययन कर लिया है और क्या हमारी सरकार इन सिफारिशों पर ब्रिटेन की प्रतिक्रिया का पता लगा रही है ?

†**श्री कानूनगो:** यूरोपीय साझा बाजार में केवल छः देश सम्मिलित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या सरकार को विदित हुआ है कि एक १६-देशीय परिषद् ने कुछ सिफारिशें की हैं।

†**श्री कानूनगो:** यूरोप की १६-देशीय परिषद् की किसी भी बैठक का मुझे पता नहीं है।

†**श्री हेम बरुआ :** मैं माननीय मंत्री का ध्यान परसों के 'स्टेट्समेन' में छपे समाचार की ओर आकर्षित करता हूं।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** हमारे एक उच्चतम अधिकारी श्री के० बी० लाल वहां हैं और इस बात का पता लगा रहे हैं कि यूरोपीय साझा बाजार में क्या हो रहा है। क्या हमारी सरकार को सूचना दी गई है कि ग्रेट ब्रिटेन में प्रशुल्क प्रतिबन्ध के बिना हमारी निर्यात-वस्तुओं के जाने के बारे में, इस बात से संबंधित यूरोपीय साझा बाजार की शर्तों की अपेक्षा वे कौन सी शर्तें हैं जिन पर वार्ता हो रही है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमें ब्रसेल्स में अपने प्रतिनिधि श्री लाल से सूचनायें मिलती हैं। स्थिति डांवाडोल है। निश्चित कुछ नहीं है। वह सूचना देते हैं कि इस बात पर विचार विमर्श हो रहा है और इस के लिए दबाव डाला जा रहा है और इसका विरोध किया जा रहा है, आदि। निश्चित रूप से यह नहीं बताया जा सकता कि क्या होगा।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या ब्रिटेन की सरकार मित्र राष्ट्र मण्डल के देशों को वांछित रियायत न देने तक यूरोपीय साझा बाजार में सम्मिलित होने की इच्छुक नहीं है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जवाहरलाल नेहरू:** मैं ब्रिटेन की ओर से उत्तर नहीं दे सकता । उन्होंने कहा है कि वे मित्र राष्ट्र मण्डलीय देशों के हितों को सुरक्षित रख कर यूरोपीय साझा बाजार में सम्मिलित होंगे । परन्तु यह समझना चाहिये कि वे साझा बाजार में सम्मिलित होने का विचार कर रहे हैं क्योंकि उन पर काफी आर्थिक, राजनीतिक, और अन्य प्रकार का दबाव डाला जा रहा है । फिर वे इन दबावों को तोलेंगे और निश्चित करेंगे कि क्या करें ।

तारांकित प्रश्न संख्या २३६ के बारे में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती:** प्रश्न संख्या २३६ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय:** प्रश्न संख्या २३६ उत्कल मशीनरी लिमिटेड के बारे में है । इसका उत्तर दिया जाये ।

उत्कल मशीनरी लिमिटेड

†*२३६. **श्री जोकीम आल्वा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लार्सेन एन्ड टूबरो लिमिटेड की सहायता से भारत में उत्कल मशीनरी लिमिटेड स्थापित की जा रही है जिसकी हिस्सा पूंजी ४ करोड़ रुपये होगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कम्पनी की हिस्सा पूंजी के अधिकांश शेयर विदेशियों के पास होंगे ; और

(ग) सरकार द्वारा विदेशी फर्मों को भारत में हिस्सा पूंजी के अधिकांश शेयर अपने पास रखने देने के क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

मैसर्स उत्कल मशीनरी लिमिटेड की अधिकृत तथा निर्गमित पूंजी क्रमश २.५० करोड़ रुपये तथा १.८० करोड़ रुपये है । निर्गमित पूंजी का ७५ प्रतिशत विदेशी साथों का है । इस समवाय में अधिकांशत: विदेशी अंश पूंजी की स्वीकृति सरकार ने निम्नलिखित आधार पर दी थी :–

(१) विभिन्न प्रकार की औद्योगिक मशीनरी के निर्माण की समवाय की एक सुगठित तथा विस्तृत योजना थी क्योंकि इनकी क्षमता बढ़ाने के लिए देश में पर्याप्त आवश्यकता है ।

(२) निर्माण की जाने वाली भारी मशीनें बड़ी उलझन वाली हैं जिनके लिए बहुत से विज्ञापन बनाने पड़े थे । और

(३) पूंजीगत यंत्रों के आयात के लिए अपेक्षित विदेशी मुद्रा अंशपूंजि म शामिल है ।

†**राजा महेन्द्र प्रताप:** मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं । मेरा निवेदन है कि हारे हुए व्यक्तियों में से प्रत्येक को १० मिनट दिए जाने चाहिए जिससे वह भविष्य में आने वाली संसद् को अपना संदेश दे सकें । यह संसार की सभी संसदों के लिए एक प्रथा बन जानी चाहिए कि हारे हुए उम्मीदवारों को समय दिया जाये जिससे वह भविष्य के बारे में अपने संदेश दे सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित वक्तव्य में बताया गया है कि इस समवाय में बड़ी कठिन मशीनें बनाई जायेंगी जिनके संबंध में विस्तृत योजना प्रस्तुत कर दी गई है। मैं जानना चाहता हूं कि यह मशीनें किस प्रकार की होंगी तथा क्या सरकारी क्षेत्र में भागीदारी द्वारा निर्माण की जाने वाली अनुसूची में इनको रखा गया था।

†**श्री मनुभाई शाह :** जी नहीं। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे देना चाहता हूं कि कुछ वस्तुओं को छोड़कर जैसे क्रशिंग एण्ड स्क्रनिंग प्लांट, कोक-ओवन तथा प्रोडक्ट रिकवरी प्लांट के उपकरण, कैमिकल प्लांट के उपकरण, सीमेंट बनाने की मशीनें, उर्वरक संयंत्र तथा सिंथैरिक गैस के कुछ पुर्जे, तेल, तार, बेंज़ोल, के डिस्टिलेशन के संयंत्र, पैट्रो-कैमिकल उपकरण आदि शेष सभी उत्पाद ऐसे हैं जिनका उपयोग बड़ी मशीन निर्माण संयंत्रों की कई अन्य परियोजनाओं में होगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** इस समवाय में क्या विशेषता है जिसके कारण इसके ८० प्रतिशत से भी अधिक अंश की पूंजी विदेशी सार्थ को दे देनी पड़ी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** ७५ प्रतिशत अंश तीन बड़े जर्मन समवाओं को दिए जा रहे हैं। इनमें से प्रत्येक अलग अलग टैक्नोलोजी, में विशेषज्ञ है और तीनों का मिलन आवश्यक है क्योंकि तीनों मिलकर ही इस समवाय को बना सकेंगी। यह मशीन बनाने की इतनी बड़ी इकाई है कि देश के हित में हमने ७५ प्रतिशत इन जर्मन फर्मों को देने की अनुमति दे दी है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** सामान्यत: जब विदेशों को इतनी पूंजी देने की अनुमति दी जाती है तो समझौते में एक खण्ड रखा जाता है जिसके अनुसार सरकार अधिक अंशों की भागीदार हो जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में समझौते में क्या शर्तें रखी गई हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जैसा सभा को मालूम है सरकार का सरकारी क्षेत्र में भवन निर्माण मशीनों का बड़ा कार्यक्रम है। ऐसा रखा गया है कि धीरे धीरे इस ७५ प्रतिशत में से गैर सरकारी भारतीय अंशधारियों को अंश उस समय मिलते चले जायेंगे जब इस समय निर्धारित साढ़े तीन प्रतिशत रायल्टी बढ़ जायेगी और पूंजी में से उनकी प्रतिशतता कम हो जायेगी।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त:** इस समवाय के निदेशकों के क्या नाम है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** 'लारसेन एण्ड टोब्रो' के कुछ डायरेक्टर ही हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

गोआ में जहाज बनाने का कारखाना

†*२२३. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वास्कोडिगामा में Estateiros Navais de Goa (नेवल शिपयार्ड) के ५०० से भी अधिक कर्मचारियों ने गोआ, के प्रमुख असैनिक प्रशासक को एक ज्ञापन भेजा है जिसमें 'शिपयार्ड' में शीघ्र कार्य आरम्भ कराने और उनके दिसम्बर, १९६१ और जनवरी, १९६२ के वेतन का भुगतान कराने को कहा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)**: (क) जी हां ।

(ख) यह निर्णय किया गया है कि शिपयार्ड में काम यथासम्भव शीघ्र शुरू हो जाये । इसी लिए एक सरकारी उपक्रम माजागांव डाक कम्पनी से शिपयार्ड को चलाने के लिये कहा गया है । इसी बीच गोआ प्रशासन व शिपयार्ड के लिए एक कस्टोडियन नियुक्त कर दिया है तथा दिसम्बर, १९६१ तथा जनवरी १९६२ तक की मजूरी कर्मचारियों को दे दी गई है ।

फिल्म सेंसर सम्बन्धी नियम

*२२५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री २० नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म सेंसर सम्बन्धी नियमों का उचित ढंग से पालन कराने के बारे में क्या निश्चय किया गया है ; और

(ख) उसको कब से व किस प्रकार लागू करने का निश्चय किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख) बम्बई में निर्मित फिल्मों के सेंसर करने में सहायता देने के लिये सरकार ने वहां के निर्माताओं का एक पैनेल अनौपचारिक आधार पर गठित किया है । प्रयोगात्मक रूप में बनाए गए इस पैनेल का उद्देश्य यह है कि फिल्म को प्रमाण-पत्र देने से इंकार करने या काट-छांट के साथ प्रदान करने से पहले बोर्ड का अध्यक्ष इस पैनेल से या उसके किसी एक या अधिक सदस्य से परामर्श कर सकें । कोई भी निर्माता अपने विचाराधीन चित्र के सम्बन्ध में पैनेल के सदस्य या सदस्यों से बोर्ड के अध्यक्ष के पास प्रस्तावित काट-छांट के बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये सम्पर्क स्थापित कर सकता है । ऐसा करने से सेंसर के नियमों और कार्य विधि का संचालन आसान हो जायगा ।

रूई के अधिकतम मूल्य पर से नियंत्रण हटाना

†*२२६. **श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रूई के अधिकतम मूल्यों पर से नियंत्रण हटाने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी नहीं । सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कपड़ा करार

†*२३०. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही जेनेवा में पंच-वर्षीय अन्तर्राष्ट्रीय सूती कपड़ा करार हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस करार में भारत भी शामिल है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) कपड़ा करार की मुख्य बातें क्या हैं; और

(घ) इस समझौते को लागू करने से भारतीय कपड़े का कितना निर्यात बढ़ जाने की आशा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) अभी नहीं । भारत द्वारा स्वीकार करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १८]**

(घ) आयात करने वाले मुख्य देशों द्वारा इस व्यवस्था की स्वीकृति पर तथा आयात प्रतिबन्ध लगाने वाले देशों द्वारा निर्धारित कोटे पर यह आधारित है । निर्यात करने वाले प्रत्येक देश का कोटा अन्य द्विपक्षीय बातचीत से तय होगा ।

अणुशक्ति संयंत्रों के स्थान

†***२३७. श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** ६ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १४२५-ठ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर भारत में अणुशक्ति संयंत्र की स्थापना के लिये स्थान चुनने के लिये नियुक्त की गयी विशेषज्ञ समिति ने अणुशक्ति विभाग को अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) क्या इस पर विचार किया जा चुका है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) . रिपोर्ट विचाराधीन है तथा शीघ्र निर्णय कर लिया जायेगा ।

उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना

***२३८. श्री भक्त दर्शन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री २३ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने की जो योजना स्वीकृत की गयी थी, उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): यह फर्म सहयोग के लिये एक अमरीकी फर्म से बातचीत कर रही है, जिसका ब्यौरा अभी सरकार को नहीं मिला है ।

संयुक्त राज्य अमरीका को मेंगनीज का निर्यात

†***२३९. श्री मुरारका** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा अपनी मेंगनीज की आवश्यकता दक्षिण अमरीका से पूरी करने के कारण संयुक्त राज्य अमरीका को होने वाले हमारे मगनीज के निर्यात में कमी हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को बदलने के लिये सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मैंगनीज अयस्क का निर्यात बढ़ाने के लिये की गई कार्यवाहियों का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १९]**

भारतीय चाय बोर्ड द्वारा नमूने का सर्वेक्षण

†*२४१. **श्री प्र० चं० बरूआ:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चाय बोर्ड ने हाल ही में लोनावला में, बिना किसी विशेष विचार से चुने हुए बहुत से परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के विशिष्ट प्रसंग में, चाय के प्रति व्यक्ति उपभोग की मात्रा का पता लगाने के लिये नमूने का सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य कब पूरा हुआ था; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) लोनावला में बोर्ड द्वारा अभी भी सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग की बैंकाक में बैठक

†*२४३. **श्री प्र० चं० बरूआ:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि जनवरी फरवरी, १९६२ में बैंकाक में एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग के सदस्य देश के व्यापार विशेषज्ञों की एक बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्याय निर्णय के प्रश्न पर विचार किया था; और

(ग) उसका क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो):** (क) से (ग) वाणिज्यिक न्याय निर्णयन सम्बन्धी विशेषज्ञों के कार्यकारी दल का प्रथम अधिवेशन इकाफे ने बैंकाक में ११ से १७ जनवरी, १९६२ तक बुलाया था। इसने विभिन्न इकाफे के देशों में वाणिज्यिक न्याय निर्णयन के बारे में वर्तमान स्थिति का पुनरीक्षण किया तथा न्याय निर्णय तथा समझौते के द्वारा वाणिज्यिक विवादों को हल करने के बारे में सिफारिशें की थीं। कार्यकारी दल के प्रतिवेदन की एक प्रति (इकाफे डी ओ सी न०ई/सी एन दो/ट्रेड/एल ५१) संसद् पुस्तकालय में उपलब्ध है।

छोटे पैमाने के उद्योग

†*२४४. **श्री दी० चं० शर्मा:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये निर्यात संवर्धन संगठन बनाने का कोई सुझाव भारत के लघु उद्योग संस्था संघ[1] से प्राप्त हुआ है ;

(ख) क्या इस पर विचार किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Federation of Associations of Small Industries.

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सुझाव विचाराधीन है । इस बीच राज्य व्यापार निगम ने 'छोटे उद्योगों के निर्यात के लिये सहायता' योजना लागू की है । योजना की अत्यावश्यक बात यह है कि भारतीय निर्माताओं तथा विदेशी आपातकर्ताओं के बीच सीधा व्यापार सम्बन्ध बने । विशिष्टतया राज्य व्यापार निगम ऋण सुविधायें, नमूने, दस्तावेज तथा नौवहन आदि की व्यवस्था करने में सहायता देगा ।

घरेलू नौकरों के लिये रोजगार और कल्याण केंद्र

*२४५. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में घरेलू नौकरों के लिये जो रोजगार और कल्याण केन्द्र कुछ समय से कार्य कर रहा है, उसने अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ख) उसे अधिक लोकप्रिय व प्रभावकारी बनाने के उद्देश्य से क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली): (क) **२३ नवम्बर, १९५९ से २८ फरवरी, १९६२ तक की प्रगति** ।

नाम दर्ज	५२५
नौकरी पर लगे	६३
२८-२-१९६२ को चालू रजिस्टर में दर्ज नाम	२१

(ख) घरेलू कर्मचारियों की जानकारी और उन्हें आकर्षित करने के लिए काफी प्रचार किया गया और दो बार प्रैस विज्ञप्ति भी जारी की गई । ऐसा मालम पड़ता है कि इनमें से ज्यादातार लोगों को कोई खास सहायता की जरूरत नहीं है ।

सूती कपड़े और पटसन की वस्तुओं का निर्यात

†*२४६. **श्री मुरारका** :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६१ में सूती कपड़े और पटसन की वस्तुओं का निर्यात कम हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं और इस गिरावट को रोकने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

ईराक में वाणिज्यिक दूतावास

†३३६. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इराक में भारतीय दूतावास के वाणिज्यिक भाग में संपर्क अधिकारी कांटैक्ट एक्सीक्यूटिव) है ;

(ख) यदि हां, तो अन्य किन देशों में यह सुविधा थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार की सुविधाओं से निर्यात बढ़ सकता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का बिचार हमारे दूतावास के अन्य वाणिज्यिक कार्यालयों में ऐसे सम्पर्क अधिकारी रखने का है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) इराक अथवा और दूतावासों के वाणिज्यिक भाग में सम्पर्क अधिकारी का कोई पद नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पुनर्वास मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

†३३७. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५६ से १९६१ तक मंत्रालय के भ्रष्टाचारी तथा अदक्ष कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो उस के ब्योरे क्या हैं ;

(ग) लेखों के गुमशुदा विवरण के कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है ; और

(घ) कितने क्लर्कों को चेतावनी दी गई थी ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी हां । जिन में आवश्यक था ।

(ख) १०४ भ्रष्ट तथा ४४ अदक्ष अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी । प्रत्येक मामले के अनुसार निम्नलिखित दण्ड दिया गया था :—

१. चेतावनी
२. निन्दा
३. वेतन वृद्धि रोकना
४. वेतन वृद्धि का निलम्बन
५ आचरणावलि में खराब प्रविष्टि
६. पदावनति
७. सेवा समाप्त किया जाना
८. बरखास्त

(ग) १४०

(घ) २६

---

†मूल अंग्रेजी में

अणु खनिज

†३३८. **श्री प्र० गं० देव : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में खेत्री तांबा क्षेत्र में कोलीदान में कठिनाई से मिलने वाले अणु खनिजों का पता लगा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). प्रारम्भिक जांच से मालूम हुआ है कि राजस्थान के खेत्री तांबा क्षेत्र में कोलीहान गांव में यूरेनियम है । ब्योरेवार जांच के बाद, जो की जा रही है, यूरेनियम की मात्रा का निर्धारण हो सकता है ।

तांगानीका में भारतीय उच्चायुक्त

†३३९. { **श्री प्र० गं० देव :**
श्री प्र० चं० बरूआ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तांगानीका में नामनिर्देशित भारतीय उच्चायुक्त अपने परिचय पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं कर सके ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) भारत सरकार की ओर से कोई विलम्ब नहीं हुआ है । इसलिये कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्

†३४०. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों में वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों के गठन के बाद परिषदों ने प्रति वर्ष कितनी सिफारिशें की हैं ;

(ख) उन में से कितनी लागू हो गई हैं ;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से अधिक से कोई कार्यवाही नहीं की गई ; और

(घ) विभागों में कितनी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २९]**

वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्

†३४१. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों में वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों के गठन के बाद परिषदों ने प्रति वर्ष कितनी सिफारिशें की हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) उन में से कितनी लागू हो गई हैं ;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से अधिक से कोई कार्यवाही नहीं की गई ; और

(घ) विभागों ने कितनी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में जो विभिन्न विभाग हैं उन से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्

†३४२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों में वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों के गठन के बाद परिषदों ने प्रति वर्ष कितनी सिफारिशें की हैं ;

(ख) उन में से कितनी लागू हो गई हैं ;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से अधिक से कोई कार्यवाही नहीं की गई ; और

(घ) विभागों ने कितनी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** :

(क)

वर्ष	संख्या
१९५६	७
१९५७	५
१९५८	३००
१९५९	२६९
१९६०	२७०
१९६१	२४३
१९६२ (आज तक)	२
कुल	१०९६

(ख) ६३७

(ग) १८९

(घ) १०९ सिफारिशें निम्नलिखित कारणों में से एक या अधिक कारणों से अस्वीकार कर दी गयीं :—

(१) प्रशासकीय कठिनाइयां

(२) आवास की कमी

†मूल अंग्रेजी में

(३) व्यय में बचत

(४) विदेशी मुद्रा आदि कठिनाइयां

वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्

†३४३. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों में वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों के गठन के बाद परिषदों ने प्रति वर्ष कितनी सिफारिशें की हैं ;

(ख) उन में से कितनी लागू हो गई हैं ;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से अधिक से कोई कार्यवाही नहीं की गई ; और

(घ) विभागों ने कितनी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)**: (क) से (घ) मंत्रालय में वरिष्ठ कर्मचारी परिषद् १९५४ में गठित की गई थी । अपेक्षित जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है । इस जानकारी को प्राप्त करने में जितना समय और श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों के समनुरूप नहीं होगा ।

वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्

†३४४. **श्री प्र० चं० बरुआ : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों में वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों के गठन के बाद परिषदों ने प्रति वर्ष कितनी सिफारिशें की हैं;

(ख) उन में से कितनी लागू हो गई हैं;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से अधिक से कोई कार्यवाही नहीं की गई; और

(घ) विभागों ने कितनी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : (क)

१९५६ में ४
१९५७ में १०
१९५८ में ११
१९५९ में २३
१९६० में ९; और
१९६१ में कोई नहीं ।

कुल ५७

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) ४६

(ग) २

(घ) ९; सिफारिशों का ब्योरा तथा उन्हें अस्वीकार करने के कारण संलग्न विवरण में दिये जाते हैं ।

[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २२] ।

वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्

†३४५. **श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों मे वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों के गठन के बाद परिषदो ने प्रति वर्ष कितनी सिफारिशें की हैं;

(ख) उन में से कितनी लागू हो गई हैं;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से अधिक से कोई कार्यवाही नहीं की गई; और

(घ) विभागों ने कितनी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क)

वर्ष	सिफारिशों की संख्या
१९५४	११
१९५५	३
१९५६	१
१९५७	११
१९५८	५६
१९५९	५२
१९६०	७
१९६१	३१

(ख) १५७

(ग) १

(घ) १४ । ये सिफारिशें नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्

†३४६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों में वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों के गठन के बाद परिषदों ने प्रति वर्ष कितनी सिफारिशें की हैं ;

(ख) उन मे से कितनी लागू हो गई हैं;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से अधिक से कोई कार्यवाही नहीं की गई; और

(घ) विभागों ने कितनी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और ऐसा करने के क्या कारण, हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० ब० गोपाल रेड्डी):** (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गोआ से लौहअयस्क का निर्यात

†३४७. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गोआ से १ जनवरी, १९६२ के बाद किन-किन देशों को कितना-कितना लौह अयस्क निर्यात किया गया; और

(ख) जनवरी और फरवरी, १९६२ के दौरान किन शर्तों पर निर्यात किया गया और उससे कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नहरू) :** (क) १ जनवरी से १४ मार्च, १९६२ तक गोआ से दस लाख, पचहत्तर हजार चार सौ बहत्तर टन लौह अयस्क का निर्यात किया गया । यह निर्यात पश्चिम जर्मनी, जापान, इटली, चेकोस्लोवाकिया, स्पेन, फ्रांस और नेदरलैण्ड्स को किया गया ।

(ख) यह निर्यात खान मालिकों द्वारा आयात करने वाले देशों के खरीदारों के साथ किये गये ठेके के अनुसार किया गया है । निर्यात के प्रत्येक ठेके की शर्तें भिन्न होती हैं । जनवरी-फरवरी, १९६२ में भारतीय रुपयों में अर्जित कुल विदेशी मुद्रा २ करोड़, २४ लाख, सत्रह हजार और चौंतीस रुपये हैं ।

पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के दावे

†३४८. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के मुआवजे के शेष दावों के तेजी से निपटारे के लिये क्या कदम उठाये गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)**: (क) और (ख). २८ फरवरी, १९६१ तक मुआवजे के लिये ५.०४ लाख आवेदन दिये गये थे जिन में से ४.९८ लाख आवेदन निपटा दिये गये हैं और इस प्रकार अब केवल ६००० मामले अनिर्णीत हैं। ये मामले भी जल्दी निवटा दिये जायेंगे।

भारत में लंका के छात्रों को शिक्षा की सुविधायें

†३४९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लंका की सरकार ने भारत सरकार से भारत में लंका के छात्रों को इंजीनियरिंग शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध करने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सुझाव के प्रति सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) लंका की सरकार ने भारत में लंका के छात्रों को इंजीनियरिंग शिक्षा की सुविधायें उपलब्ध करने के लिये कोई प्रार्थना नहीं की।

किन्तु यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय लंका के प्रविधिज्ञों के भारत की इंजीनियरिंग और अन्य टेक्निकल संस्थाओं में प्रशिक्षण से है तो लंका की सरकार ने हाल में कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कई छात्रवृत्तियों की मांग की है जो सूची में दी गई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या २३]**

लंका के कर्मचारियों को टेक्निकल शिक्षा के विभिन्न अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने के लिये कई तदर्थ प्रार्थनायें की गयी हैं।

(ख) लंका की सरकार ने इस सम्बध में जो प्रार्थनायें की हैं उन्हें स्वीकार करने का प्रयन्न किया जा रहा है।

राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम

†३५०. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ५ मई, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम ने १ अप्रैल, १९६१ के बाद से अब तक किन-किन फर्मों और औद्योगिक उपक्रमों को ऋण दिया है; और

(ख) इन में से प्रत्येक को अब तक कितना ऋण दिया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). एक विवरण संलग्न है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०]**।

---

†मूल अंग्रेजी में

पानीपत में कागज का कारखाना

†३५१. **श्री प्र० गं० देव :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री १९ अगस्त, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६३६ के उत्तर के सम्बन्ध यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या किसी भारतीय व्यापारी ने पानीपत (पंजाब) कागज की एक मिल की स्थापना के लिये विदेशी सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की फर्म को कुछ शर्तें सूचित की हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). पंजाब में पानीपत में कागज की एक मिल की स्थापना के लिये अमेरिका की फर्म से विदेशी सहयोग प्राप्त करने के लिये भारतीय व्यापारी द्वारा की गई प्रार्थना पर सरकार विचार कर रही है ।

डाक तथा तार विभाग के भवन

†३५२. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री भक्त दर्शन :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २३ अगस्त, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ८६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार विभाग के भवनों के निर्माण को पूरा करने के लिये इस मंत्रालय द्वारा निर्मित अतिरिक्त पदों को गृह-कार्य और वित्त मंत्रालयों ने स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितने पद हैं और उन्हें स्वीकृति कब दी गई ; और

(ग) पृथक् विभाग के निर्माण के बाद डाक तथा तार विभाग के भवनों के निर्माण की समग्र वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) :** (क) जी, हां ।.

(ख) इस प्रयोजन के लिये निर्मित उच्च पदों की सूची संलग्न विवरण में दी गई ई । मुख्य इंजीनियर तथा उस के मातहत अफसरों ने भी कुछ छोटे पद निर्माण किये हैं । इन पदों का ब्यौरा आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता ।

विवरण

क्रमांक	अतिरिक्त पदों का ब्यौरा	पदों की संख्या	कब स्वीकार किये गये
१	सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर	१	१९६१-६२
२	सर्वेयर आफ वर्क्स	५	तदेव
३	एक्जीक्यूटिव इंजीनियर	२	तदेव
४	असिस्टैन्ट सर्वेयर आफ वर्क्स	२०	तदेव
५	असिस्टैन्ट इंजीनियर	८	तदेव
६	पी० ए० टू सुपरिंटेंडिंग इंजीनीयर	१	तदेव
७	सीनियर आर्किटेक्ट	१	तदेव
८	जूनियर आर्किटेक्ट	२	तदेव

†मूल अंग्रेजी में

क्रमांक	अतिरिक्त पदों का ब्यौरा	पदों की संख्या	कब स्वीकार किये गये
९	असिस्टेन्ट आर्किटेक्ट . .	३	१९६१-६२
१०	सीनियर ड्राफ्ट्समैन . .	१५	तदेव
११	जूनियर ड्राफ्ट्समैन . . .	१५	तदेव
१२	सेक्शन आफिसर . . .	११२	तदेव
१३	सुपरिंटेंडेंट	१	तदेव
१४	हेड क्लर्क	१	तदेव

(ग) डाक तथा तार के लिये एक पृथक् विभाग खोले जाने के बाद डाक तथा तार विभाग के निर्माण-कार्य जैसे टेलीफोन एक्सचेंज के भवन, कर्मचारियों के क्वार्टर जी० पी० ओ० भवन, डाकघर के भवन आदि के लिये १,७७,८६,८९५ रुपये मंजूर किये जा चुके हैं। १९६१-६२ में डाक तथा तार विभाग के निर्माण कार्यों पर ८० लाख रुपये खर्च होने की संभावना है।

नई दिल्ली में जंगपुरा 'बी' पुनर्वास बस्ती

†३५३. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मंत्री महोदय ने नई दिल्ली में जंगपुरा 'बी' पुनर्वास बस्ती के निवासियों को लिखित आश्वासन दिया है कि उन के मकानों की कीमतों में संशोधन किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो यह संशोधन किस प्रकार और किस हद तक किया जायेगा ; और

(ग) क्या अन्य पुनर्वास बस्तियों में स्थित मकानों की कीमतों में भी इस प्रकार संशोधन किया जायेगा ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)**: (क) और (ख) जंगपुरा 'बी' के कुछ निवासियों ने अभ्यावेदन में प्रार्थना की थी कि उन्हें दिये गये मकानों की जो कीमत निर्धारित की गई है उस का पुनर्विलोकन किया जाये। इन निवासियों ने अभ्यावेदन किया था कि मकान मालिक को प्रत्येक क्वार्टर के साथ दी गई ज़मीन का वास्तविक क्षेत्रफल उस क्षेत्रफल से कम है जो मकान की कीमत निर्धारित करते समय हिसाब में लिया गया था क्योंकि निगम ने कुछ खुली जगह एक स्कूल, सार्वजनिक पैखानों और गुसलखानों के निर्माण के लिये काम में लायी है। मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं। प्रत्येक प्रार्थना की जांच उस के गुणों के आधार पर की जाती है और आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

जंगपुरा, नई दिल्ली

†३५४. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जंगपुरा, नई दिल्ली में इरोज़ सिनेमा के सामने की भूमि, जो इस बस्ती के मूल नक्शे में एक पार्क, एक बैंक और एक डाकखाने के लिये रखी गई थी, जैन गर्ल्स स्कूल को दे दी गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या इस बस्ती के निवासी इस का जोरदार विरोध कर रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि निगम के उप-नियमों में एक सिनेमा के पास स्कूल बनाने की इजाजत नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार अपने निर्णय को बदलेगी और जंगपुरा के मूल नक्शे को ऐसे ही रहने देगी ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (घ). जंगपुरा एक्स्टेंशन ब्लाक 'एफ' में १.५ एकड़ क्षेत्र की भूमि टाउन प्लैनिंग अफसर ने एक प्रायमरी स्कूल के लिये रखी थी। यह स्थान खाली पड़ा था और किसी भी संस्था को नहीं दिया गया था। पुनर्वास मंत्रालय को जैन एज्यूकेशन सोसायटी (रजिस्टर्ड) से एक प्रार्थना प्राप्त हुई कि उन को वर्तमान जैन गर्ल्स हायर सेकेन्डरी स्कूल, जंगपुरा (भोगल) से, जो एक घनी आबादी वाले किराये के मकान में चल रहा है, प्रायमरी सेक्शन के लिये एक इमारत बनाने के लिये भूमि की आवश्यकता है। इस स्कूल को दिल्ली प्रशासन से मान्यता प्राप्त है और इस में लगभग ७० प्रतिशत विद्यार्थी विस्थापित परिवारों के हैं। पुनर्वास मंत्रालय ने उन समान शर्तों पर, जैसाकि अन्य कई मामलों में किया गया है, यह जगह उस सोसायटी को दे दी।

इस आवंटन के विरुद्ध ब्लाक 'एफ' के कुछ निवासियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए परन्तु इन की जांच करने पर इन को निराधार पाया गया।

अल्युमीनियम वर्क[1] उद्योग

†३५५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना के अधीन शामिल करने के लिये अल्युमीनियम वर्क उद्योग के विस्तार की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उस को योजना आयोग ने अस्वीकार कर दिया है; और

(ग) यदि भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) से (ग). तृतीय पंचवर्षीय योजना-काल में अल्युमीनियम वर्क उद्योग के विस्तार करने की प्रस्थापना विचाराधीन है। सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से अल्युमीनियम के वर्कों की मांग, कच्चे माल की उपलब्धता, विदेशी मुद्रा की आवश्यकता, निर्यात की संभावनाओं और अन्य सम्बन्धित मामलों की जांच की जा रही है।

पी० जी० डी० ए० वी० कालिज, नई दिल्ली

†३५६. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किलोकेड़ी के समीप ७।। एकड़ की भूमि पी० जी० डी० ए० वी० कालिज, नई दिल्ली को कालिज की इमारत बनाने के लिये दी गई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस में से १।। एकड़ भूमि अन्य कार्यों के लिये अब वापस ली जा रही है;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Aluminium Foil.

(ग) क्या यह भी सच है कि कालिज की आवश्यकता और मांग अधिक बड़ी जगह के लिये थी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार देखेगी कि इस कालिज के लिये मूलत: मंजूर की गई ७।। एकड़ भूमि में कोई कमी न की जावे ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) और (ख). जी, नहीं। आवंटन के आदेश के साथ साथ कालिज के लिये भूमि का नक्शा भी लगा था। भूमि का क्षेत्र लगभग ७.५ एकड़ बताया गया था परन्तु वास्तविक सर्वेक्षण करने पर यह केवल ६.४८२ एकड़ निकला। तदनुसार आवंटन आदेश में संशोधन किये गये किसी और कार्य के लिये कालिज के लिये रखी गई भूमि में से कोई भाग नहीं लिया गया है।

(ग) पहले कालिज की मांग ७.५ एकड़ भूमि थी परन्तु हाल में उन्होंने ११ से १२ एकड़ भूमि मांगी है।

(घ) उपरोक्त भाग (क) और (ख). को देखते हुए यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वेस्पा स्कूटर

†३५७. **श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वैस्पा स्कूटर चोरबाजारी में बिक रहे हैं और डीलरों को नहीं दिये जा रहे हैं;

(ख) डीलरों को ये स्कूटर देने की क्या प्रक्रिया है ;

(ग) क्या निर्माताओं को यह आदेश है कि वे इन को डीलरों के जरिये नियंत्रित मूल्यों पर बेचें; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या पग उठायेगी ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). स्कूटरों का वितरण और विक्रय स्कटर्स (वितरण और विक्रय) नियंत्रण आदेश, १९६० के अनुसार होता है। इन नियंत्रण आदेश के उपबंधों के अनुसार, स्कूटरों का विक्रय डीलरों द्वारा इनके पास क्रमादेशों के पंजीयन के अनुसार किया जाता है। इस नियंत्रण आदेश, जिस में खरीद की तिथि से एक वर्ष पूर्व स्कूटरों के पुन: विक्रय पर रोक है, के प्रख्यापन के बाद सरकार को चोर-बाजारी के किसी मामले का पता नहीं लगा है।

निर्माताओं द्वारा स्कूटर विभिन्न राज्यों में अपने डीलरों को, नियंत्रण आदेश के प्रख्यापन से पूर्व चालू वितरण की पद्धति के अनुसार किया जाता है।

सभी स्कूटर डीलरों द्वारा सरकार द्वारा स्वीकृत मूल्य पर बेचे जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

मंगला बांध

†३५८. { **श्री बलराज मधोक :**
श्री आसर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार के विरोध के बावजूद मंगला बांध का निर्माण-कार्य जारी रखने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना में ग्रस्त भारतीय हितों की रक्षा के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जी, हां ।

(ख) माननीय सदस्य का ध्यान ३१ अगस्त, १९६१ को लोक-सभा में दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ११०१ के उत्तर की ओर आकृष्ट किया जाता है । यह मामला वर्ष १९५७, १९५८ और १९५९ में सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को भेजे गये भारत सरकार के विरोध-पत्र में उठाया गया है । इस बारे में पिछले विरोध-पत्र के बाद कोई प्रगति नहीं हुई है ।

लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिये मजूरी बोर्ड

†३५९. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिये बनाये गये मजूरी बोर्ड ने अपना काम आरम्भ कर दिया है ;

(ख) अभी बोर्ड की कितनी बैठकें हुयी हैं ; और

(ग) क्या बोर्ड ने सम्बन्धित पक्षों को कोई प्रश्नावलि जारी की है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) से (ग). अध्यक्ष महोदय प्राथमिकताओं की जांच कर रहे हैं और पहली बैठक शीघ्र ही किये जाने की संभावना है । उसके बाद ही प्रश्नावलि बनाई जा सकेगी ।

दूलमेरा पत्थर

†३६०. **श्री कर्णी सिंहजी :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि बीकानेरी लाल पत्थर की मांग में कमी होने के कारण दूलमेरा खानों पर बुरा असर पड़ा है ; और

(ख) क्या संघ सरकार दिल्ली में नई इमारतों में दूलमेरा पत्थर इस्तेमाल करने पर विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) मुझे कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) दिल्ली में इमारतों के निर्माण में पत्थर के इस्तेमाल के लिये केन्द्रीय लोककर्म विभाग ने कोई विशेष ब्रांड नहीं रखा है । सामान्य इमारतों में पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया जाता परन्तु केवल उन इमारतों में किया जाता है जहां इमारत को बढ़िया या अधिक टिकाऊ बनाना हो । यदि डूलमेरा पत्थर केन्द्रीय लोककर्म विभाग के नमूनों के अनुरूप है और सस्ता पड़ता तो इनको दिल्ली में नई इमारतों में इस्तेमाल करने पर कोई आपत्ति नहीं है ।

पटसन समिति

†३६१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों में प्रतियोगी क्षमता बढ़ाने के लिये एक पटसन समिति स्थापित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री काननगो)** : (क) और (ख). उत्पादन बढ़ाने और अन्य उपायों जैसे, आधुनिकीकरण, उत्पादन में विविधता लाने, पर्याप्त मात्रा में कच्चे माल का संभरण, मूल्यों में स्थिरता और अन्य सम्बंधित मामलों के लिये आवश्यक कदम उठाने पर विचार करने के लिये एक समिति बनाई गई है जिसमें योजनायोग, वित्त, खाद्य तथा कृषि और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालयों के प्रतिनिधि हैं, ताकि पटसन उद्योग निर्यात के तृतीय योजना-लक्ष्य को प्राप्त कर सके ।

नेपाल का औद्योगिक दल

†३६२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष १९६१ के अन्त में नेपाल के एक औद्योगिक दल ने भारत का दौरा किया ;

(ख) यदि हां, तो इस दल के साथ किन मामलों पर विचार किया गया ; और

(ग) उनका क्या परिणाम निकला ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). भारत से कुछ वस्तुओं के लिये नेपाल की आवश्यकता पर विचार किया गया और यह निर्णय किया गया कि नेपाल को लोहा तथा इस्पात और सीमेन्ट के आवंटन में अधिक वृद्धि की जाये । यह भी निर्णय किया गया कि निर्यात से पूर्व नेपाली पटसन को कलकत्ता के मिलों में ब्रांड में दबाया जाये ।

अल्यूमीनियम का उत्पादन

†३६३. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश अल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड, लन्दन और केसर अल्युमीनियम एंड केमिकल कारपोरेशन आफ़ ओकलैण्ड, कैलिफ़ोर्निया के प्रतिनिधियों के एक

---

†मूल अंग्रेजी में

आंग्ल-अमरीकी दल ने एक नया तरीका निकाला है जिसमें अल्युमीनियम के उत्पादन की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन की व्यवस्था है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस नये तरीके का अध्ययन किया है ;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) देश में नया तरीका अपनाने में क्या पग उठाये जा रहे है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अल्युमीनियम के उत्पादन के लिये किसी नये तरीके के निकाले जाने के बारे में समाचारपत्रों में कुछ समाचार हैं ।

(ख) से (घ). कोई ब्योरा उपलब्ध नहीं है ।

बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में पूर्वी बंगाल के शरणार्थी

३६४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में पूर्वी बंगाल से आये हुए कुछ विस्थापित परिवार बसाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ;

(ग) इनके निर्वाह आदि के लिये क्या सरकार ने कोई विशेष व्यवस्था की है ;

(घ) क्या इन विस्थापितों ने पीछे अपनी कुछ कठिनाइयां सरकार के सामने रखी थीं परन्तु अभी तक उनका उचित समाधान नहीं हो सका है ;

(ङ) इन विस्थापित व्यक्तियों को जो भूमि कृषि के लिये दी गई है क्या वह बहुत अधिक उपजाऊ नहीं है ; और

(च) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या किया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) और (ख). जी, हां । २९१ कृषिक परिवार ।

(ग) सामान्य मापमान के आधार पर इन परिवारों में से प्रत्येक परिवार को पुनर्वास सुविधा दी गई है । इनको कृष्य भूमि, कृषि सम्बन्धी ऋण, विकास के लिये क्वार्टर तथा पालन-पोषण सहायता दी गई है ।

(घ) समय-समय पर इन्होंने अपनी कठिनाइयां राज्य सरकार के समक्ष रखीं, सरकार ने निरीक्षण करने के उपरांत उनकी सभी युक्तियुक्त प्रार्थनाओं का समाधान कर दिया है ।

(ङ) और (च). विस्थापित परिवारों को जो भूमि दी गई है वह खेती के लिये उपयुक्त है ।

लाजपत राय मार्केट, दिल्ली

३६५. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लाजपतराय मार्केट में नई दुकानें बनाने का कार्य कहां तक प्रगति कर चुका है ;

(ख) क्या यह सच है कि अभी भी कुछ ऐसे दुकानदार हैं जो पुरानी दुकानों में ही बैठे हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनकी संख्या किर्तनी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) उन्हें कब तक नई दुकानें दी जायेंगी ;

(ङ) क्या कुछ दुकानदारों के सामने कुछ ऐसी कठिनाइयां हैं जिनसे वह अपनी पुरानी दुकानें छोड़ना नहीं चाहते हैं ; और

(च) यदि हां, तो सरकार उनके लिये क्या व्यवस्था कर रही है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) : (क) लाजपत राय मार्केट की पुनरीक्षित योजना अनुमोदित हो चुकी है और इस विषय में आदेश जारी कर दिये हैं कि नगर-निगम दिल्ली को प्रारम्भ में एक लाख रुपये का भुगतान कर दिया जाये ताकि निगम निर्माण का कार्य आरम्भ कर सके ।

(ख) जी हां ।

(ग) लगभग १७० स्टाल होल्डर ।

(घ) जैसे ही मार्केट का कार्यपूर्ण होता है ।

(ङ) और (च). पुनरीक्षित योजना सब दुकानदारों की आवश्यकताओं को, जो कि नई पक्की मार्केट में वैकल्पिक दुकानें पाने के पात्र हैं, दृष्टि में रखते हुए ही तैयार की गई है ।

लोदी कालोनी, नई दिल्ली का रिफ्यूजी मार्कीट

†३६६. **श्री बलराज मधोक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने लोदी कालोनी, नई दिल्ली में रिफ्यूजी मार्कीट के दुकानदारों को यह आश्वासन दिया है कि उन सबके लिये पुनर्वास मंत्रालय द्वारा एक पक्का मार्कीट बनाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस मार्कीट का निर्माण कब आरम्भ होगा ; और

(ग) क्या इसको पूरा करने के लिये कोई समय-सीमा निर्धारित की गयी है ?

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) से (ग). नवम्बर, १९६१ में लोदी कालोनी में ५वें एवेन्यू में म्युनिसिपल मार्कीट में इस समय अस्थायी स्टालों में बसे दुकानदारों व पुनर्वास मंत्रालय से प्रार्थना की थी कि उस स्थान पर उनके उचित पुनर्वास के लिये व्यवस्था की जाये । उनकी प्रार्थना विचाराधीन है ।

दिल्ली में सरकारी होस्टलों और मैसों के कर्मचारी

†३६७. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी होस्टलों और मैसों की कुल कितनी संख्या है ;

(ख) इन होस्टलों और मैसों में चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं ;

(ग) उनमें से कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि कितने ही कर्मचारियों को जो ५ वर्ष से १५ वर्ष तक सेवा कर चुके हैं, अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) दिल्ली में निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन ५ होस्टल हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) २११ ।

(ग) (१) स्थायी . . २२
(२) अस्थायी . . १८९ ।

(घ) जी, हां।

(ङ) होस्टलों में चतुर्थ श्रेणी के अधिकांश कर्मचारी कार्य-भारित प्रशासन में हैं और वे अर्द्ध-स्थायी । उनको १ जुलाई, १९६० से नियमित प्रशासन में लाया गया है और यथा समय उनके मामलों पर नियमित प्रशासन में स्थायीकरण के लिये लिया जायगा ।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कार्य भारित कर्मचारी

†३६८. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारियों की कुल क्या संख्या है ;

(ख) इन कर्मचारियों को किस दर पर मजूरी दी जाती है ;

(ग) क्या यह सच है कि ये कर्मचारी काफी समय से सेवा को नियमित करने के लिये जोर दे रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिये अभी तक क्या पग उठाये गये हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) १ अप्रैल, १९६१ को ७६४१ ।

(ख) मजूरी की दरें संशोधित रूप में केन्द्रीय असैनिक सेवायें (पुनरीक्षित वेतन स्तर) नियम, १९६० की अनुसूची में भारत के गजट में अधिसूचित किये गये हैं ।

(ग) और (घ). कार्यभारित प्रशासन में संधारण और छोटे मरम्मत के कार्यों के लिये औद्योगिक कर्मचारी शामिल हैं । प्रशासन पर व्यय विभिन्न कार्य प्राक्कलनों में रखा जाता है । अतः समूचे कार्यभारित प्रशासन को नियमित वर्गीकृत प्रशासन में बदलना सम्भव नहीं है । तथापि, यह निर्णय किया गया है कि कार्यभारित प्रशासन में जो गैर-औद्योगिक श्रेणियां थीं, उनको नियमित प्रशासन में रखा जाये । अतः लगभग १५०० कर्मचारियों की ३५ श्रेणियों को नियमित प्रशासन में लाया गया है ।

बम्बई में फिल्म कर्मचारी

†३६९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में १२,००० फिल्म कर्मचारियों में से कम से कम ६० प्रतिशत कर्मचारियों की, उतरी हुई फिल्मों पर उपकर लगा देने के कारण, छंटनी की गयी है ;

(ख) क्या सरकार को इस बारे में फिल्म निर्माण कर्मचारी संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**श्रम उप मंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है क्यों कि यह मामला राज्य के क्षेत्राधिकार में है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). जी, हां। संघ को बता दिया गया है कि उतरी हुई फिल्मों (प्रिण्ट्स) के बजाय नीगेटिव्स पर कर लगाने का सुझाव मान्य नहीं है।

राष्ट्रपति भवन सचिवालय

†३७०. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति भवन सचिवालय में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों से, जो सरकारी क्वार्टरों में रह रहे हैं, मकान किराया और पानी तथा बिजली का शुल्क नहीं लिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार को प्रति मास कुल कितना धन खर्च करना पड़ता है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : (क) जी, हां। नियमों में निर्धारित सीमाओं के अनुसार।

(ख) राष्ट्रपति भवन और प्रेजिडेण्ट एस्टेट के लिये किराया और अन्य शुल्क के लेखे मिले जुले हैं, यह जानकारी देना सम्भव नहीं है।

चाय पर खाद्य तथा कृषि संगठन की रिपोर्ट

†३७१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य तथा कृषि संगठन की हाल की रिपोर्ट की जांच कर ली है जिसमें वर्ष १९६५ तक चाय की खपत पर उत्पादन में विश्व भर में बहुत वृद्धि की बात कही गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो विश्व की मण्डी में अत्यधिक प्रतियोगिता के कारण चाय के मूल्य में अनुचित गिरावट को रोकने के लिये सरकार क्या पग उठायेगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सरकार ने रिपोर्ट की जांच की है परन्तु उसको यह आशा नहीं है कि उद्योग के पास इतनी चाय फालतू रहेगी। जितनी रिपोर्ट में बतायी गयी है। पश्चिम एशियाई देशों में और स्वयं चाय उत्पादन देशों में खपत के वर्तमान तरीके को देखते हुए फालतू चाय के खप जाने की सम्भावना है। तथापि, सरकार चाय के मूल्यों पर निरन्तर ध्यान देती है।

मेसर्ज इन्डिया स्टोन लाइम कम्पनी

†३७२. **श्री राम गरीब** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री मेसर्ज इण्डिया स्टोन लाइम कम्पनी, दिल्ली के बारे में २४ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान कर्मचारियों को भुगतान किया जा चुका है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों और इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) जी, अभी नहीं।

(ख) नियोजक को एक नोटिस दिया गया है जिसमें उसस यह बताने को कहा गया है कि नियमों के अधीन उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाहीं क्यों न की जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय बाजार का सर्वेक्षण

†३७३. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चाय परामर्शदाता ने अमरीका के पश्चिमी राज्यों में चाय के बाजार का हाल ही में सर्वेक्षण किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) उन देशों में भारतीय चाय व्यापार को सुधारने के लिये उन्होंने क्या उपाय सुझाये हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चाय पर निर्यात-शुल्क

†३७४. **श्री प्र० चं० बरुआ:** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने संयुक्त आयात निर्यात मंत्रणा समिति की पहली बैठक में यह कहा था कि सरकार चाय पर निर्यात शुल्क में कमी करने या इसको हटाने के लिये सरकार चाय उद्योग की मांग पर विचार करेगी यदि यह आश्वासन दिया जाये कि ऐसे पग उठाये जाने के फलस्वरूप चाय के निर्यात में काफी वृद्धि होगी ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त कथन पर किस प्रकार का आश्वासन दिया गया था;

(ग) क्या इस मामले पर विचार औचित्य के लिये कुछ हद तक चाय के उत्पादन में वृद्धि पर्याप्त होगी; और

(घ) यदि हां, तो किस हद तक ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) और (ख). माननीय सदस्य ने जिन बातों का जिक्र किया है, वह उसी संसर्ग में किया जाना चाहिये जिसमें वह बातें कही गयी थीं । यह कहा गया था कि यह समझा जाता था कि उद्योग निर्यात शुल्क वहन करेगा और यदि वह निर्यात शुल्क जारी रखा जाये तो उससे निर्यात पर असर नहीं पड़ेगा । यह भी कहा गया था कि यदि किसी को यह विश्वास हो कि निर्यात-शुल्क हटाने से चाय काफी अधिक मात्रा में निर्यात की जा सकती है, तो इस पर विचार किया जा सकेगा । चाय उद्योग पर करों के बारे में निर्णय करते समय अधिक निर्यात के इस पहलू पर हमेशा विचार किया जाता है ।

(ग) और (घ). केवल उत्पादन में वृद्धि होने से ही चाय के निर्यात में कोई खास वृद्धि नहीं होगी ।

जहाज स्क्रैप उद्योग

†३७५. **डा० पशुपति मण्डल :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय जहाजस्क्रेपर्स ने तोड़े जाने के लिये प्रतिवर्ष २ लाख टन के बेकार विदेशी जहाजों के आयात के लिये आयात लाइसेंस मांगें हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या जहाजों को तोड़े जाने के कार्य को प्रोत्साहन देने से, अधिक रोजगार की व्यवस्था किये जाने और करों द्वारा सरकार को अधिक आय के अतिरिक्त, इंजीनियरिंग यूनिटों और पुनर्वेल्लन मिलों को नियमित रूप से कच्चे माल का सम्भरण हो सकेगा ;

(ग) जहाजों को तोड़े जाने से जो सामान प्राप्त होगा, क्या उससे बड़ी मात्रा में पुनर्वेल्लन योग्य रद्दी लोहा, औद्योगिक स्क्रैप, अलौह वस्तुओं, मशीनरी आदि के प्रत्यक्ष निर्यात में कटौती होगी और इसलिये बेकार जहाजों के आयात लाइसेंस देने पर नई विदेशी मुद्रा नहीं देनी पड़ेगी; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का यह इरादा नहीं है कि जहाज स्क्रैप उद्योग के बारे में उचित रूप से विचार किया जाये ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** :(क) जी, हां।

(ख) से (ग). इस्पात के उत्पादन में वृद्धि होने के कारण देश में औद्योगिक और पुनर्वेल्लन योग्य स्क्रैप अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। परन्तु दूसरी ओर, प्रमुख सामान की अधिक उपलब्धता के कारण देश में औद्योगिक स्क्रैप की मांग कम हो गयी है। जहाजों को तोड़े जाने से जो स्क्रैप उपलब्ध होगा उससे जहाजों को तोड़े जाने के परिणामस्वरूप उपलब्ध स्क्रैप से भिन्न प्रकार के स्क्रैप के आयात की आवश्यकता रहेगी। इसके अतिरिक्त जहाजों को तोड़ने से उपलब्ध होने वाले पुनर्वेल्लन स्क्रैप को देश में बहुत कम पुनर्वेल्लन मिलें इस्तेमाल कर सकेंगी। अतः आन्तरिक खपत के लिये स्क्रैप के इस्तेमाल के विचार से तोड़ने के लिये पुराने जहाजों के आयात की आज्ञा देना सम्भव नहीं है क्योंकि उससे उत्पन्न स्क्रैप के खपत की मांग देश में सीमित है। तथापि, वर्तमान नीति के अनुसार, तोड़ने के प्रयोजन के लिये पुराने जहाजों के आयात के लिये आवेदन पत्रों पर प्रत्येक मामले पर गुणावगुण आधार पर विचार किया जाता है, यदि उससे प्राप्त होने वाले स्क्रैप और अन्य सामान के निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा की आय की सम्भावना आयात तथा निर्यात के मुख्य नियंत्रक की दृष्टि में सन्तोषजनक हो।

दिल्ली में गन्दी बस्तियां

३७६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गन्दी बस्तियों को हटान में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस काम के लिये कोई राशि नियत की है;

(ग) यदि हां, तो कितनी; और

(घ) क्या सरकार ने गन्दी बस्तियों के हटाने के काम को पूरा करने के लिये कोई अवधि निश्चित की है और ये बस्तियां कब तक हटा दी जायेंगी ?

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) : (क) (१) पहले दिल्ली नगर सुधार विभाग (दिल्ली इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट) और दिल्ली विकास प्राधिकारी (दिल्ली डेवलपमेंट अथारिटी) ने १९५७ के अन्त तक दिल्ली के विभिन्न भागों में ३२२५ मकान और ५९ दुकानें बनवाई थीं। ये मकान और दुकानें गन्दी बस्तियों में रहने वालों को दे दी गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) अन्य १७०२ मकान [जिन में सेवा करने वाले लोगों के लिये स्थानान्तरण की अवधि में अस्थायी रूप से रहने के लिये स्थान तथा घर (टैनेमेंट) भी सम्मिलित हैं] और ४६ दुकानें जिन की मंजूरी दिल्ली विकास प्राधिकारी ने दी थी दिल्ली नगर निगम ने अगस्त १९६१ में पूरी करवाईं। ये मकान और दुकानें गन्दी बस्तियों से निकाले गये पात्र लोगों को दे दी गयी हैं/ दी जा रही हैं।

(३) मार्च, १९५९ में गन्दी बस्तियों को हटाने का काम दिल्ली नगर निगम को सौंप दिया गया था। तब से १७५२ मकानों, ३५० दुकानों, २० कार्यालयों, ३६ मछली दुकानों (स्टालों) और ८४,३०० वर्ग फुट क्षेत्रफल के गोदाम/कार्यालय स्थान इत्यादि के बनाने की मंजूरी दी जा चुकी है, जिस पर १३०.७३ लाख रुपये की अनुमोदित लागत आनी थी अब तक इन में से ९६ घर (स्थानान्तरण की अवधि में अस्थायी रूप से रहने के लिये) पूरे बन चुके हैं। अन्य १०७४ मकानों और २४ दुकानों का निर्माण हो रहा है।

(४) झुग्गी और झौंपड़ियों को हटाने की योजना के अन्तर्गत, जिसे कार्यान्वित करने का काम भी नगर निगम को सौंप दिया गया है, अब तक २०५ एकड़ भूमि का अभिग्रहण (ऐक्विजिशन) किया जा चुका है। अन्य २२५ एकड़ का अभिग्रहण नगर निगम द्वारा शीघ्र ही किये जाने की आशा है। अभिग्रहण की जा चुकी भूमि में से ८० एकड़ पर विकास का कार्य समाप्त होने वाला है और अन्य ४५ एकड़ पर विकास का कार्य हो रहा है। इस योजना के अन्तर्गत दिसम्बर, १९६२ तक लगभग १०,८०० उन परिवारों को, जो इस समय दिल्ली में सरकारी और सार्वजनिक भूमि पर अनधिकृत रूप से रह रहे हैं, रिहाइशी प्लौट दे दिये जाने की आशा है।

(५) इस के अलावा १८० कटरों और ६० गन्दी बस्तियों में सुधार का काम पूरा हो चुका है, जिस पर हुआ कुल व्यय १२.८३ लाख रुपये है।

(ख) और (ग). तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में दिल्ली में गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना को कार्यान्वित करने के लिये परीक्षात्मक (टेंटेटिव) रूप से ७.५६ करोड़ रुपये की राशि का विनिधान किया गया है।

(घ) दिल्ली से गन्दी बस्तियों को हटाना बहुत बड़ी समस्या है और सब गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये कोई अवधि निश्चित कर पाना सम्भव नहीं है। परन्तु दिल्ली नगर निगम ने अग्रता के आधार पर गन्दी बस्तियों को हटाने की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिये एक तीन वर्ष का कार्यक्रम तैयार किया है।

स्थगन प्रस्ताव और विशेषाधिकार का प्रश्न

तेल कम्पनियों के साथ करार

†**अध्यक्ष महोदय** : सब से पहले मैं वह स्थगन प्रस्ताव लूंगा जिसकी सूचना श्री प्र० गं० देव ने दी है और उस के बाद विशेषाधिकार का प्रश्न। माननीय मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : २० मार्च, १९६२ को मैं ने एक वक्तव्य दिया था जिस में २२-१२-१९५९ से सभा में दिये गये उन आश्वासनों को क्रियान्वित करने का उल्लेख किया था जो कि तेल समवायों के साथ सरकार ने करार किये हैं। उस दिन मैं ने कहा था कि इस करार

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० दे० मालवीय]

की कुछ शर्तें गोपनीय हैं क्योंकि उन का बताना जनहित की दृष्टि से ठीक नहीं है इस पर कुछ माननीय सदस्यों ने असंतोष प्रकट किया उस दिन के बाद मैं ने इस बारे में कई बार चर्चा की है। और आज आप की अनुमति से में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम १९५९ के लागू हो जाने के बाद से हम ने विदेशी तेल समवायों से यह मालूम करने का प्रयत्न किया है कि वे भारत में तेल के विकास में कितनी रुचि लेना चाहते हैं। १४ समवायों ने अपनी इच्छा प्रकट की है कि वे भारत में तेल के विकास में रुचि रखते हैं और उन में से ८ समवायों ने अपनी विशेष रूप रेखा भी भेज दी है। अब तक हम ने केवल दो समवाय अर्थात् इंगलिस्तान के बर्मा तेल समवाय, और इटली के ई एन आई से करार किये हैं। अन्य समवायों से भी एक दो बार बात चीत हो चुकी है। आशा है कि शीघ्र ही इन से भी करार हो जायेगा।

जिन दो समवायों से हम ने करार किये हैं उन की शर्तें कोई विशेष गोपनीय नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में वे शर्तें सभा को एवं समाचार पत्रों तक को बता दी गई हैं। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों का ध्यान ई एन आई के बारे में २९-८-१९६१ को दिये गये अपने वक्तव्य, तथा प्रश्न संख्या ५७५, २६२, और ७८६ के उत्तर की ओर आकर्षित करता हूं। इस के बाद बी० ओ० सी से जो करार हुआ है उस के बारे में सभी बातें बनाने के सम्बन्ध में ३१-५-१९६१ को मैंने एक प्रैस सम्मेलन भी बुलाया था। माननीय सदस्यों ने २-९-१९६१ को प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र जैसे स्टैटस्मैन, इंडियन एक्सप्रैस, और हिन्दुस्तान टाइम्स में उन शर्तों आदि के बारे में पढ़ा भी होगा। बताने योग्य बातों का उल्लेख मैं कर चुका हूं और जो बातें जनहित की दृष्टि से बताना ठीक नहीं था उन का उल्लेख मैं अपने वक्तव्य में २०-३-१९६२ को बता चुका हूं।

उन गोपनीय बातों के बारे में बताना इस कारण भी ठीक नहीं है क्योंकि अभी तक कुछ समवायों के साथ हमारी बात चीत चल रही हैं। जो छूट हम ने एक समवाय को दी है हो सकता है कि दूसरे समवाय भी उन छूटों को मांगना चाहें अतः उन गोपनीय बातों को इस दृष्टि से बताना भी ठीक नहीं है। श्रीमान्, आप से मैंने बात चीत कर ली है और आप सहमत भी हैं कि मुझे वे करार सभा में नहीं रखने चाहियें आगामी कुछ दो तीन महीनों में इन समवायों के साथ हमारी बातचीत पूरी हो जायेगी और तब हम उन करारों की प्रतियां सभा पटल पर रखने में समर्थ होंगे।

२६ मार्च, १९६२ को स्टेट्समैन में प्रकाशित समाचार जो ई एन आई के बारे में छपा है तथा भारत सरकार के उस प्रतिनिधिमंडल के बारे में है जो इटली गया था। यह समाचार शिलांग के संवाददाता ने दिया है। मेरा विचार है कि यह गलतफहमी में डालने वाला है। इस समाचार से यह ज्ञात होता है कि यह प्रतिनिधिमंडल ई एन आई से मिलने वाली उधार राशि को उपयोग में लाने की शर्तें को तय करने के लिये ही गया था। लेकिन यह बात गलत है वह प्रतिनिधि मंडल अभी तक इटली में ही है और पैट्रोल शुरू करने के बारे में खोज कर रहा है। यह करार २९-८-६१ को सभी निबंधन और शर्तों के साथ पूरा हुआ था अतः वह प्रकाशित समाचार भ्रान्तिमूलक है। खास बात यह है कि उस समाचार में यह भी कहा गया है कि करार की शर्तें आदि बताने में मैं संकोच कर रहा हूं। यह बात गलत है। उस समाचार में यह भी कहा गया है कि मैं ये शर्तें इसलिये नहीं बताना चाहता कि इस ऋण का भुगतान इटेलियन मुद्रा में किया जायेगा और हमारे पास करार के लिये टेन्डर भी नहीं आये थे। मैं बताना चाहता हूं कि यह अनिवार्य है कि उस ऋण का भुगतान इटेलियन मुद्रा में हो दूसरे यह भी निश्चित है कि मूल्य का निर्धारण प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रीय टेन्डरों के आधार पर किया जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं यह निवेदन करता हूं कि अच्छा तो यही होगा कि ये शर्तें अभी गोपनीय रखी जायें क्योंकि इनका गोपनीय रखना जनहित में है।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उस संवाददाता ने उस समाचार में कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिन को कि माननीय मंत्री सभा में बताना नहीं चाहते थे ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां । कुछ ऐसी बातों का उल्लेख है जो मैं अभी नहीं बताना चाहता था । उस समाचार में ऋण के भुगतान और टेन्डरों की बात गलत कही गई है । इसलिये उन के बारे में मैं ने स्थिति आज स्पष्ट कर दी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उस संवाददाता को ये समाचार कहां से मिले या सरकारी विभाग से उसे पता चला है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : यह तो मैं नहीं जानता । लेकिन जो बातें उस समाचार में छपी हैं उनमें से बहुत सी तो मैं सभा को बता चुका हूं और कुछ बातें ऐसी है जो बताना नहीं चाहता जिनका कारण मैं आप को बता ही चुका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या दूसरे पक्ष का कार्यालय यहां है ? क्या वहां से समाचार उस संव ददाता को मिला है ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां उस का कार्यालय यहां है । लेकिन मेरा ख्याल है कि वह कार्यालय भी इन बातों को गोपनीय रखता होगा ।

†**श्री प्र० गं० देव** (अंगुल) क्या ये बातें इंडियन रिफाइनरीज के अध्यक्ष ने बताई होंगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मैं तो नहीं समझता कि कोई जिस्मेदार व्यक्ति ऐसी बात कर सकता है । क्योंकि उस में बहुत सी बातें गलत हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जहां तक स्थगन प्रस्ताव की बात है मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री ने ठीक ही कहा है कि जब दूसरे समवाय से बात चीत चल रही है तो इन बातों का उल्लेख करना ठीक नहीं है । इसीलिये उन्हों ने यह जानकारी सभा पटल पर रखने के लिये समय मांगा है । इतना सत्य है कि उन के यहां से कोई सूचना नहीं दी गई है यदि उन के कार्यालय से यह भेद खुला भी है तो वे ऐसी कार्यवाही करेंगे ताकि भविष्य में ऐसी कोई बात न हो । जहां तक इंडियन रिफाइनरीज के अध्यक्ष द्वारा सूचना देने की बात है उस का भी कोई प्रमाण नहीं मिला है । अतः इन बातों को देखते हुए मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री की भर्त्सना की आवश्यकता नहीं है ।

जहां तक श्री हेम बरुआ के विशेषाधिकार प्रस्ताव की बात है यहां कई बार कहा गया है कि सभा को सब बातें बतानी चाहिये । यदि माननीय सदस्य ही सभा को विश्वास में नहीं लेंगे तो फिर कौन सभा का सम्मान करेगा । जहां तक संवाददाता द्वारा सूचना देने की बात है मैं उस के कार्य को निंदनीय समझता हूं । फिर यह समाचार छापकर उस ने देश के साथ भला भी नहीं किया क्योंकि माननीय मंत्री महोदय कह चुके हैं कि यह जानकारी देना जनहित में नहीं है ।

अतः मैं समझता हूं कि यह मामला न तो स्थगन प्रस्ताव का है और न विशेषाधिकार का है । जहां तक समाचार पत्रों की बात है मेरा विचार है कि समाचार पत्रों को ऐसे समाचार नहीं छापने चाहियें । उन्हें भी देश के हित का ध्यान रखना चाहिये ।

अतः मैं न तो स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देता हूं और न विशेषाधिकार प्रस्ताव की ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

उद्यान विभाग के कर्मचारियों की छंटनी

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसीरहाट) नियम, १९७ के अधीन मैं निर्माण, आवास और संभरण मंत्री का ध्यान निम्नलिखित प्रस्ताव की ओर आकर्षित करती हूं तथा निवेदन करती हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में उद्यान विभाग के ३०० कर्मचारियों की छंटनी की गई है क्योंकि कुछ लान तथा पार्क नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के क्षेत्राधिकार में चले गये हैं ।"

†**निर्माण आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाला रेड्डी)**: सार्वजनिक पार्कों व उद्यानों की देख भाल का कार्य अप्रैल, १९६३ से नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी को हस्तान्तरित किये जाने के सरकार के फैसले के फलस्वरूप लगभग ३७० कर्मचारी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की आवश्यकताओं से फालतू हो जायेंगे, ऐसी संभावना है । इसलिये सब से कनिष्ठ कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस दे दिये गये हैं । इन कर्मचारियों में से कोई भी कर्मचारी स्थायी नहीं है ।

यद्यपि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने इन कर्मचारियों को छंटनी के नोटिस दे दिये हैं परन्तु नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी फालतू कर्मचारियों के सेवाकाल में बेकारी की बाधा डाले बिना उन सब को काम पर लगाने के लिये तैयार हो गई है । उन्हें वेतन भी वही मिलेगा जो अब तक लोक निर्माण विभाग में मिलता था । इसके अतिरिक्त हम इन कर्मचारियों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में की गई सेवा की अवधि के लिये उद्योग विवाद अधिनियम के अन्तर्गत मिलने वाला छंटनी प्रतिकर भी दिया जायेगा । इस बात को देखते हुए कि उन्हें तत्काल काम पर लगाने और उनके वर्तमान वेतन के संरक्षण का आश्वासन दे दिया गया है, यह स्पष्ट है कि कर्मचारियों को कोई कठिनाई नहीं होगी ।

अनुपूरक अनुदानों की चर्चा के समय यह प्रश्न उठाया गया था कि कर्मचारियों की सेवा नई दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी में स्थानान्तरित न की जानी चाहिये कर्मचारियों के अभ्यावेदन पर भी जो कि इसी प्रकार का है, विस्तृत रूप से विचार किया गया है ।

इन कर्माचारियों क स्थानान्तरण से उत्पन्न स्थिति के बारे में औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार ही विचार किया जायेगा ।

अधिनियम की धारा २५ एफ एफ के अनुसार प्रबन्ध या मालिक के बदलने पर उन कर्मचारियों को जिनकी सेवा पिछले संस्थान में १ वर्ष से अधिक रही हो तो नये संस्थान द्वारा स्वीकृति मिलने पर यदि भविष्य में उस की छंटनी की जाती है तो उस की कुल सेवा को मिला कर उसे प्रतिकर दिया जायेगा ।

कर्मचारियों को अपने काम सहित एक प्रबन्ध से दूसरे प्रबन्ध में स्थानान्तरण करने पर सेवा की शर्तें वहीं रहेंगी जो कि पुराने प्रबन्ध में थीं । इस मामले में वह बात नहीं रही है । एन० डी० एम० सी० में निवृत्ति वेतन की व्यवस्था नहीं है जब कि लोक निर्माण विभाग में यह व्यवस्था थी । जब यह शर्त भी पूरी हो जाती है तभी यह बात वास्तव में उठती है कि ये कर्मचारी अपने काम के साथ वहां स्थानान्तरित किये गये हैं ।

†मूल अंग्रेजी में

कर्मचारी संघ की मांग यह है कि उद्यान निदेशालय के कनिष्ठ कर्मचारी ही एन०डी० एम० सी० भेजे जायें भले ही वे उन कामों पर लगे हों या न हों जो कि इस कमेटी को स्थानान्तरित किये गये हैं। औद्योगिक विवाद अधिनियम में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है।

अतः अधिनियम की धारा २५ (छ) के अनुसार इन अतिरिक्त कनिष्ठ कर्मचारियों की छंटनी करना अनिवार्य हो गया है लेकिन यह छंटनी अधिनियम में किये उपबंध के अनुसार प्रतिकर देने के बाद ही होगी। जैसा कि पहले भी बताया गया है कि एन० डी० एम० सी० इन सब को अपने यहां काम देगी।

जो भी कार्यवाही की जा रही है वह पूर्णतः औद्योगिक विवाद अधिनियम में की गई व्यवस्था के अनुकूल है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसिरहाट) : इससे पहले भी कुछ कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है और इस मामले में उनका स्थानान्तरण एक विभाग से दूसरे विभाग में ही माना गया है। अतः इनको भी वही सुविधा मिलनी चाहिये।

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : कुछ दिन पहले कुछ सड़क सम्बन्धी काम एन० डी० एम० सी० को दिये गये थे। ये बिल्कुल अस्थायी व्यवस्था थी। क्योंकि शर्त यह थी कि जब कभी लोक निर्माण विभाग इस कार्य को वापस चाहेगा तो वह ले सकता है और उस हालत में जो सब से कनिष्ठ अधिकारी हैं वे ही निकाले जायेंगे। वे कर्मचारी अस्थायी तौर पर ही वहां भेजे गये थे। लेकिन ये कर्मचारी विभाग में एकदम अतिरिक्त हैं और एन० डी० एम० सी० उनको फिर से काम दे रही है। उन्हें प्रतिकर देकर अलग किया जा रहा है लेकिन उनको वहां काम मिल जायेगा। उनको वेतन भी वही मिलेगा जो अब तक मिलता था और एन० डी० एम० सी० फिर से उनको काम पर ले लेगी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

रबड़ (द्वितीय संशोधन) नियम १९६१

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं रबड़ एक्ट, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९ में प्रकाशित रबड़ (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० ३६०८/६२।]

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स का वार्षिक प्रतिवेदन और सरकार द्वारा समीक्षा

†**श्री कानूनगो** : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) कम्पनीज एक्ट, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स की वर्ष १९६०-६१ की वार्षिक रिपोर्ट लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० ३६०९/६२।]

---

†मूल अंग्रेजी में

उन मामलों का विवरण जिन में निम्नतम टेंडर स्वीकार नहीं किये गये

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : मैं एक विवरण जिसमें वे मामले दिये गये हैं जिनमें ३१ दिसम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाली छमाही में इण्डिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन और इण्डिया सप्लाई मिशन वाशिंगटन द्वारा निम्नतम टेंडर स्वीकार नहीं किये गये ।

[देखिये परिशिष्ट संख्या २, अनुबन्ध संख्या २५ ।]

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम के अधीन अधिसूचना

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट, १९५२ को कुछ व्यापारिक तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लागू करने वाली दिनांक १७ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३४६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३६११/६२ ।]

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष १९६१-६२ के पुनरीक्षित प्राक्कलनों और वर्ष १९६२-६३ के बजट प्राक्कलन

†**योजना तथा श्रम और नियोजन उपमंत्री (श्री ल० न० मिश्र)** : मैं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष १९६१–६२ के पुनरीक्षित प्राक्कलनों और वर्ष १९६२–६३ के बजट प्राक्कलनों की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३६१२/६२ ।]

प्राक्कलन समिति

एक सौ तिरेसठवां एक सौ चौसठवां, और एक सौ इक्यावनवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(एक) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय––वस्त्र आयुक्त का कार्यालय (भाग २)—हथकरघा और विद्युत् करघा उद्योग के बारे में एक-सौ तिरेसठवां प्रतिवेदन

(दो) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय––वस्त्र आयुक्त का कार्यालय (भाग ३)—ऊनी उद्योग के बारे में एक-सौ-चौंसठवां प्रतिवेदन

(तीन) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय––लघु उद्योग––भाग २ (राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, नई दिल्ली) के बारे में प्राक्कलन समिति का उनास्सीवां प्रतिवेदन में की गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में एक-सौ इक्यावनवां प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति

बयालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्भकोणम्) : मैं विनियोग लेखे (असैनिक) १९५९–६० और लेखा-परीक्षा रिपोर्ट, १९६१ के बारे में लोक लेखा समिति का बयालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति

पांचवां प्रतिवेदन

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मैं लाभ पदों सम्बन्धी संयुक्त समिति का पांचवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

रेलवे आय व्ययक---सामान्य चर्चा---जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब वर्ष १९६२-६३ के लिये रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा करेगी । श्री रघुनाथ सिंह अपना भाषण जारी रखेंगे ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, कल हमारी बहन श्रीमती पार्वती कृष्णन् ने एक सैद्धान्तिक प्रश्न उपस्थित किया और इस बात का आरोप लगाया कि सदर्न रेलवे ने एक सर्क्युलर इशू किया था जिस में कहा गया था :--

"रेलवे कर्मचारियों को चुनाव आन्दोलनों में भाग नहीं लेना चाहिये ।"

आगे चल कर उन्होंने कहा :

'मेरे विचार से उन्हें चुनाव आन्दोलनों में भाग लेने का अधिकार है ।"

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने यह चीज़ रखना चाहता हूं कि लोकतंत्र में यह परम्परा है कि राज्य कर्मचारी चुनावों में भाग नहीं लेते । आप देखेंगे कि हाउस आफ कामंज़ के लिए जब चुनाव होते हैं तो वहां भी एक परम्परा है जो इस प्रकार है कि सरकारी कर्मचारी चुनावों में भाग नहीं ले सकते हैं । उन्हें राजनैतिक आन्दोलनों में भाग नहीं लेना चाहिये । यह परम्परा केवल लोकतंत्रीय देशों में है । अगर सरकारी कर्मचारी इलैक्शन में भाग लेने लगें तो फिर पुलिस को भी इलैक्शन में भाग लेना चाहिए, फौज को भी लेना चाहिए ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता---दक्षिण-पश्चिम) : पुलिस तो लेती है ।

श्री रघुनाथ सिंह : पुलिस नहीं लेती है । कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में पुलिस और फौज ले सकती है लेकिन लोकतंत्रीय देशों में वे भाग नहीं ले सकती हैं । लोकतंत्रीय देशों में कोई भी सरकारी कर्मचारी चुनावों में भाग नहीं ले सकता है और न ही खड़ा हो सकता है । यह एक परम्परा है जिसका हम आदर करते हैं । लास्की ने जो कुछ इसके बारे में कहा है, उसका भी हवाला मैं देना चाहता हूं । उन्होंने अपनी पुस्तक में एक जगह लिखा है : कि एक मामले में स्वास्थ्य मंत्रालय का एक कर्मचारी अपनी नौकरी से इस कारण हटा दिया गया कि उसने अनुशास्तियों की अपने एक लेख में अनुशास्ति की नीति की आलोचना करी थी ।

यही नहीं कि सरकारी कर्मचारियों को इलैक्शंज़ मे भाग लेने से रोका गया है बल्कि राज्य कर्मचारियों को इतना भी अधिकार नहीं है कि वे सरकार की किसीनीति की समालोचना भी कर सकें । लेकिन हमारे यहां हिन्दुस्तान में जहां पर कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता बहुत ज्यादा हो गई है, कोई भी राज्य कर्मचारी खड़ा हो जाता है और सरकार की समालोचना करने लग जाता है । जब वह सरकार की समालोचना करना शुरू कर देगा तो सरकार के आदेशों का वह पालन कैसे कर सकता है ? इसलिए जितने भी लोकतंत्रीय देश हैं उनमें यह परम्परा है कि कोई भी राज्य कर्मचारी किसी प्रकार

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री रघुनाथ सिंह]

भी चुनाव में भाग नहीं ले सकता। इसलिए अगर सदर्न रेलवे के जनरल मैनेजर ने ऐसी कोई आज्ञा जारी की तो वह सर्वथा लोकतंत्रीय परम्परा के अनुकूल थी। ऐसी ही आज्ञा मैं चाहता हूं, गवर्नमेंट के हर एक डिपार्टमेंट को जारी करनी चाहिए थी।

इतना कह चुकने के बाद अब मैं रेलवे टाइपिस्टों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। रेलवे में करीब सात आठ हजार टाइपिस्ट हैं। इनके तीन वर्ग हैं। एक वर्ग की सेवा आरम्भ होती है ११० से और जाती है १८० रुपये तक। दूसरे वर्ग की सेवा १३० रुपये से आरम्भ हो कर ३०० रुपये तक जाती है। तीसरे वर्ग की २१० से आरम्भ हो कर ३८० तक जाती है। इस प्रकार से रेलवे विभाग ने सात आठ हजार टाइपिस्टों को इन तीन श्रेणियों में बांटा है। जो टाइपिस्ट ११० से १८० रुपये के ग्रेड में हैं, उनकी संख्या करीब ६५ प्रतिशत या ७० प्रतिशत है। इनकी तरक्की का कोई जरिया नहीं है। १३०—३०० और २१०—३८० के स्केल जिन टाइपिस्टों के हैं उनकी संख्या ३० या ३५ प्रतिशत है। जो नीचे के स्केल के टाइपिस्ट हैं, उनकी उन्नति के बारे में रेलवे बोर्ड ने यह सर्क्युलर जारी किया है कि अगर पंद्रह टाइपिस्ट एक स्थान पर हों तो उनमें से एक टाइपिस्ट को उन्नति दी जायेगी। आप समझ सकते हैं कि १५ टाइपिस्ट किसी एक स्थान पर होंगे नहीं, लिहाजा किसी टाइपिस्ट को कोई तरक्की नहीं मिल सकती। भाष्य किया है। मैं चाहता हूं कि इसके सम्बन्ध में कोई एक निश्चित रूपरेखा होनी चाहिए। जो यह कह दिया गया है कि किसी एक स्थान पर पंद्रह टाइपिस्ट होंगे तो उन मे एक को तरक्की मिल जायगी, यह भी ठीक नहीं है क्योंकि पंद्रह टाइपिस्ट एक स्थान पर होंगे नहीं और न ही किसी को तरक्की मिल सकेगी। इसको भी बदलना चाहिए। यह जो रूल बनाया है कि पंद्रह के ऊपर अगर किसी स्थान पर टाइपिस्ट होंगे तो एक को २१०—३८० का ग्रेड दिया जायेगा, इसको बदलने की जरूरत है।

रेलवे में एक बाबू वर्ग है और उस वर्ग की तरक्की होती है। लेकिन बाबू और टाइपिस्ट में फर्क होता है। टाइपिस्ट एक टैक्नीकल हैंड है क्योंकि वह टाइप करना जानता है। जब आप और जगहों पर टैक्नीकल हैंड्ज़ को दस परसेंट ज्यादा तनख्वाह देते हैं तो कोई वजह नहीं है कि जो टैक्नीकल हैंड हैं और जो आपकी रेलवे में काम करते हैं, इनको भी आप दस परसेंट ज्यादा तनख्वाह न दें। इसके साथ ही साथ टाइपिस्ट लोगों का आपरेटिंग अलाउंस भी बराबर होना चाहिए। अंग्रेज जब यहां थे और जब उनका राज यहां था, उस समय टाइपिस्टों को इस प्रकार का एलाउंस दिया जाता था।

मेरी रेलवे बोर्ड से और रेलवे मंत्री से यह प्रार्थना है कि टाइपिस्टों को आपरेटिंग एलाउंस भी दिया जाए क्योंकि उनकी टैक्निकल क्वालिफिकेशन होती है। वे टाइप करते हैं और उनकी तरक्की का कोई साधन नहीं है—वन्स ए टाइपिस्ट आलवेज ए टाइपिस्ट। एक क्लर्क एक स्थान से दूसरे स्थान को जाता है और दूसरे स्थान से तीसरे स्थान को और चौथे स्थान को जाता है और इस तरह उसकी तरक्की हो जाती है। लेकिन बेचारा टाइपिस्ट तो रात दिन टक टक टक टक किया करता है। सिवाय टाइप करने के उसके जीवन में और कोई विकास का साधन नहीं होता। लिहाजा मैं यह कहना चाहता हूं कि रेलवे विभाग .....

श्री ब्रज राज सिंह (फिरोजाबाद) : टाइपिस्ट मिनिस्टर बन सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : तो आप टाईपिंग शुरू कीजिए आप मिनिस्टर हो जाएंगे ।

श्री ब्रज राज सिंह : हम तो टाइपिस्ट बनने ही वाले हैं ।

श्री रघुनाथ सिंह : टाइपिस्ट बन जाइए तो मिनिस्टर बन जाएंगे ।

तो मेरा निवेदन है कि यह जो १५ टाइपिस्टों में से एक को तरक्की देने का नियम है इसका इस प्रकार भाष्य किया जाए कि अगर एक जोन में १५ टाइपिस्ट हैं तो उनमें से एक को तरक्की दी जाएगी, यह भाष्य नहीं होना चाहिए कि अगर एक आफिस में १५ टाइपिस्ट होंगे तो उनमें से एक को तरक्की दी जाएगी । अगर एक जोन में १५ टाइपिस्ट हों और उनमें से एक को तरक्की दी जाए तो इन टाइपिस्टों को अपने जीवन में कुछ तरक्की प्राप्त हो सकेगी, नहीं तो--वन्स ए टाइपिस्ट आलवेज़ ए टाइपिस्ट--उनकी जिन्दगी केवल टाइप करते करते ही समाप्त हो जाएगी । इसलिए मेरा निवेदन है कि १३० से लेकर ३०० तक की ग्रेड के जो टाइपिस्ट हैं उनमें से ३० परसेंट को तरक्की दी जाए और जो २१० से ३८० तक के हैं उनमें से १० परसेंट को तरक्की दी जाए । इसी प्रकार इनकी समस्या हल हो सकती है ।

टाइपिस्ट एसोसिएशन ने एक स्मृतिपत्र भेजा है रेलवे विभाग को लेकिन अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है । रेलवे विभाग की स्थिति कुछ ऐसी है जैसी कि हम देखते हैं गार्ड झंडी हिलाता है लेकिन ड्राइवर सोता रहता है और गाड़ी को स्टार्ट नहीं करता, या ड्राइवर सीटी देता है गार्ड सोता रहता है और गाड़ी चलने में देर हो जाती है । इसी प्रकार रेलवे विभाग में अगर कोई स्मृतिपत्र भेजे तो उसका जवाब ही नहीं मिलता और कोई उस पर विचार नहीं करता । ये छोटी छोटी बातें हैं पर इन पर आपको अवश्य ध्यान देना चाहिए ।

अब मैं थोड़ा सा अपने क्षेत्र के विषय में कहना चाहता हूं । रेलवे विभाग किस प्रकार काम करता है इसका आपको इस बात से पता चलेगा कि हम लोग करीब दस बरस से कहते आ रहे हैं, बनारस की अन्तरिम जिला परिषद् और म्युनिसिपैलिटी सब ने इस बारे में प्रस्ताव पास किये हैं कि बनारस के सबर्ब में बाबतपुर और खालिसपुर के बीच में एक हाल्ट स्टेशन दिया जाए लेकिन अभी तक बाबतपुर और खालिसपुर के बीच में यह हाल्ट स्टेशन नहीं दिया गया । वहां डबल लाइन हो गयी लेकिन अभी तक हाल्ट स्टेशन नहीं खुल सका जब कि बाबतपुर और खालिसपुर के बीच में हवाई अड्डा है और काफी लोग आते जाते है । हमने कई पत्र भी रेलवे विभाग को लिखे लेकिन उसकी नींद ही नहीं खुलती । तो मेरा यह निवेदन है कि आप इस तरफ ध्यान दें और बाबतपुर और खालिसपुर के बीच में एक हाल्ट स्टेशन खोला जाए ।

फेखड़ी और लोहता के बीच में बनकट का एक हाल्ट स्टेशन खोला गया है । पहले कहा जाता था कि यहां पर आमदनी नहीं होगी । वहां से अब तीन सौ आदमी रोजाना आते जाते हैं लेकिन फिर भी वहां केवल एक गाड़ी खड़ी होती है । दो लोकल ट्रेंस चलती हैं । लेकिन समझ में नहीं आता एक को वहां रोका जाता है, दूसरी को क्यों नहीं रोका जाता । जब वहां से आमदनी है तो दूसरी गाड़ी को भी वहां रोका जाना चाहिए ।

हमारे क्षेत्र में रेलवे एक इंजन का कारखाना खोल रही है मडुआडी में । उसके सम्बन्ध में बहुत सी जमीन ली जा रही है । उस जमीन के सम्बन्ध में मेरा यह कहना है कि रेलवे विभाग ने काफी जमीन ले ली है और अगर ज्यादा जमीन न ली जाए तो अच्छा है । इतनी ही जमीन से रेलवे काम चला सके तो उत्तम है । यह जमीन शहर के पास की जमीन है और एक एक खेत में चार चार सौ और पांच पांच सौ मन आलू तथा तीस से चालीस मन तक गेहूं पैदा होता है । यह जमीन शहर

[श्री रघुनाथ सिंह]

के पास होने से बड़ी कीमती है और इसका कम्पेन्सेशन आप अपने हिसाब से मालगुजारी का बीस गुना ही देते हैं। उससे आमदनी होती है दो हजार रुपये साल की और उसका कम्पेन्सेशन आप देते हैं कहीं ९०० कहीं १२०० और कहीं १३००। इसलिए मेरा निवेदन है कि इंजन के कारखाने के लिए यदि आप बहुत ज्यादा जमीन न लें तो अच्छा है। बहुत सी जमीन आप ले चुके हैं। वह काफी होगी। अगर आपको वास्तव में आवश्यकता है तो थोड़ी जमीन और ले लीजिए बहुत ज्यादा जमीन लेकर उसको उपतादा छोड़ देने से क्या लाभ है।

दूसरी बात मैं एक्सीडेंट्स के बारे में कहना चाहता हूं जिसका जिक्र और माननीय सदस्यों ने भी किया है। रेलवे पर जाते समय भय मालूम होता है और सब से ज्यादा भय तो यह मालूम होता है कि हम ठीक समय से पहुंचेंगे या नहीं। मान लीजिए कि आपको यहां से नागपुर जाना है तो इस बात का बड़ा अन्देशा रहता है कि आपको नागपुर की रेल समय पर मिल सकेगी या नहीं। इसके लिए ऐसा प्रबन्ध होना चाहिए कि गाड़ियां ठीक समय से चलें। अगर गाड़ियां ठीक समय से नहीं चलतीं तो यात्रियों को भी तकलीफ होती है और भी बहुत से लोगों को परेशानी होती है। आपने इस रोग को दूर करने के लिए बहुत से उपाय किए लेकिन यह रोग अच्छा नहीं हो रहा है। तो मैं शाहनवाज खां साहब से कहूंगा यह जो तपेदिक की बीमारी है इसको आप इंजेक्शन देकर अच्छा करने का प्रयत्न करें। मैं समझता हूं कि जब तक आप सख्त कदम नहीं उठायेंगे तब तक यह रोग अच्छा नहीं होगा। इस प्रश्न का जब भी आप उत्तर देते हैं तो आप ह्यूमन फैक्टर की बात करते हैं। लेकिन यह ह्यूमन फैक्टर तो जब से खुदा ने दुनिया कायम की है तब से है और कयामत तक रहेगा। तो इस ह्यूमन फैक्टर के फेर से आप निकलें ताकि जनता की परेशानी कम हो। इस ह्यूमन फैक्टर की भी एक सीमा होनी चाहिए। तो मेरा निवेदन है कि अगर आप इस ह्यूमन फैक्टर में कुछ सुधार कर सकें तो अच्छा हो।

†**श्री सोमानी** (दौसा) : जो श्वेतपत्र सभा पटल पर रखा गया है उसमें रेलवे द्वारा अर्जित की गई सफलता के सम्बन्ध में काफी दिलचस्प ब्यौरा दिया गया है तथापि इतना सब होते हुए भी यह बात सच है कि रेलवे हमारी अर्थव्यवस्था की विभिन्न क्षेत्रों की मांग पूरी रखने में असमर्थ रही है।

यह स्मरण रखना चाहिए कि रेलवे सुविधाओं की प्रगति अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की प्रगति के पूर्व होनी चाहिए न कि बाद में। अतः रेलवे को चाहिए कि वह अपनी भावी आवश्यकता का यथार्थ मूल्यांकन करे, जिससे कि योजना आयोग उसके लिए इतनी राशि उपबन्धित कर सके जिससे कि वह हमारी भावी अर्थव्यवस्था की मांग को पूरा कर सके।

जहां तक कोयले के परिवहन का सम्बन्ध है, रेलवे उन लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकी है जो उन्होंने स्वयं स्वीकार किये थे। कोयले के सम्बन्ध में गत्यावरोध औद्योगिक उत्पादन को प्रभावित कर रहा है। सरकार को इस सम्बन्ध में अपने कार्यक्रम का अधिक स्पष्ट चित्र पेश करना चाहिए।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

भाड़े की व्यवस्था के सम्बन्ध में रेलवे की नीति को नया रूप दिया जाना चाहिये। विभिन्न क्षेत्रों में विकास संवर्धन के राष्ट्रीय उद्देश्य के सामने अपनी आय को कम महत्व का स्थान दिया जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी मे

रेलवे को निर्यात व्यापार को अतिरिक्त सुविधायें प्रदान करनी चाहियें। मुझे विश्वास है कि मुदालियर समिति ने निर्यात और आयात के सम्बन्ध में बहुत बहुमूल्य सिफारिशें की हैं। मैं आशा करता हूं कि रेलवे मंत्री इन सिफारिशों पर उचित विचार करेंगे।

अतः रेलवे को चाहिये कि राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए भाड़े में ऐसे परिवर्तन करे कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की प्रगति पहिले और लाभ की भावना बाद में रहे।

†**श्री फ० गो० सेन** : मैं पूर्वोत्तर और उत्तर सीमान्त रेलवे के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि बरौनी से समस्तीपुर तक बड़ी लाइन बिछाई जा रही है वस्तुतः इसकी नितान्त आवश्यकता थी। मैं यह अनुरोध करता हूं कि मीटर लाइन का उत्तर बिहार, उत्तर बंगाल और आसाम में आने वाले ११२ मील का सेक्शन बड़ी लाइन में बदल दिया जाना चाहिये। क्योंकि इस लाइन में बहुत भीड़ रहती है और लोगों को विवश हो कर छत पर सफर करना होता है।

पूर्णिया कटिहार–बिहारीगंज लाइन में बहुत धूल उड़ती है अतः इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि वहां बजरी बिछा दी जाये।

नवनिर्मित गोकुलपुर हाल्ट पर रेलगाड़ियां रुकनी चाहिये। वहां न तो गाड़ियां रुकती हैं और न ही टिकट मिलते हैं।

कुरसेला से जोगबनी जान वाली सड़क में कोई रेलवे फाटक नहीं है यहां तत्काल एक रेलवे फाटक का उपबन्ध किया जाना चाहिये।

इस लाइन का मेरा अपना अनुभव है कि बरौनी से छूटने वाली शटल ६.३० बजे के स्थान पर ८.३० बजे छूटी। न जाने इस विलम्ब का क्या कारण था।

पूर्णिया में ईंटें पकाने के लिये कोयले की कमी है। उससे उस क्षेत्र में मकान बनाने का कार्य प्रभावित हो रहा है।

कालका मेल पर भोजन व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए।

सरदार अ० सिंह सहगल (जंजगीर) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलवे मंत्रालय ने जो अन्तरिम बजट पेश किया है, उस पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं।

रेलवे ट्रांसपोर्ट के बारे में पूरी पूरी खबरें जो इस सदन को मिलनी चाहिये थीं वे नहीं मिली हैं। अभी हाल में व्यापारी संघ के चेयरमैन ने जो व्याख्यान दिया है उससे आपको मालूम होगा कि ट्रांसपोर्ट की संस्था के बारे में उनकी क्या राय है।

रेलवे बोर्ड समय समय पर अपने अफसरों को बाहर विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजता रहता है और ये लोग जो बाहर जाते हैं ये विभिन्न डिपार्टमेंट्स से सम्बन्ध रखते हैं। मैं जाना चाहता हूं कि ये लोग जो वापस आ कर अपने हैड आफ डिपार्टमेंट को रिपोर्ट देते हैं उस पर आज तक कितनी कार्यवाई हुई है। और क्या जितने लोगों को उन्होंने बाहर भेजा है उन सब की रिपोर्टों को सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे। मेरा तो यह खयाल है कि ये रिपोर्टें दी जाने पर कोल्ड स्टोरेज में रख दी जाती हैं। और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। यदि वे लोग एफिशेंसी बढ़ाने या कम

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार अ० सिं० सहगल]

खर्च करने के बारे में कोई रिपोर्ट देते हैं तो उस पर विचार नहीं किया जाता। मेरा अनुरोध है कि जब इतना पैसा लगा कर इन लोगों को बाहर शिक्षा प्राप्त करने के लिये भेजा जाता है तो इन की रिपोर्टों पर पूरी कार्रवाई होनी चाहिये ।

छत्तीसगढ़ में वैगनों की समस्या व्यापारियों के लिये काफी कष्टदायक है । आज जिले के अधिकारी अपने मन की करते हैं । उन को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि किस चीज के लिये कितनी प्रायरिटी दी जानी चाहिये । अगर इन सारी बातों को ध्यान में रख कर काम किया जाय तो आज जो छत्तीसगढ़ में असंतोष है वह दूर हो जायगा ।

आज जब से बिलासपुर कटनी का रेलवे मार्ग खुला है तब से उस पर दो पैसिंजर गाड़ियां चल रही हैं, मालगाड़ियों को छोड़ कर । आज जब ट्रैफिक ज्यादा है तो क्या यह जरूरी नहीं है कि हम यहां पर गाड़ियां बढ़ावें ? मैं आप से रायगढ़ और उड़ीसा की बात न कह कर केवल एक जगह का उदाहरण देना चाहता हूं । बिलासपुर से दिल्ली आने के लिये करीब ३६ घंटे का समय लगता है । मेरी समझ में नहीं आता कि इन १२–१४ सालों में इस चीज पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया । उन को यह काम करने में क्या दिक्कत है । आप ने अनूपपुर से कटनी तक डबल लाइन कर दी है । लेकिन आप देखें कि इस मामले में आप कितनी मदद कर सकते हैं । जब हम लोग बीना पहुंचते हैं तो कुलियों का व्यवहार बहुत खराब होता है । यह चीज आप स्टेशन मास्टर से दरियाफ्त कर सकते हैं । यह चीज मैं ने २५ तारीफ़ को देखी । मुझे अफसोस है कि इस बारे में उचित कार्रवाई नहीं की जाती । जो हमारे अफसर वहां हैं उनका फ़र्ज़ है कि जब इस बारे में कोई शिकायत की जाए तो उचित कार्यवाई करें । इस कठिनाई को दूर करने के लिये मेरा सुझाव है कि यदि आप एक फर्स्ट और थर्ड क्लास की संयुक्त बोगी बिलासपुर से दिल्ली के लिये चलायें तो बीना में गाड़ी बदलने की आवशयकता ही न पड़े और यात्रियों की शिकायत का मौक़ा न रहे । ऐसा करके आप मुसाफिरों को बहुत मदद पहुंचा सकते हैं । और उन का कष्ट दूर कर सकते हैं ।

इस के अलावा इन दिनों एक्सीडेंट बहुत देखने में आ रहे हैं । उन के लिये आप ने एक कमेटी नियुक्त की है । उस के लिये मैं आप का शुक्र गुज़ार हूं । लेकिन आप को देखना पड़ेगा कि एक्सीडेंट के कारण क्या हैं । कौन कौन सी चीजें हैं जिन के कारण एक्सीडेंट होते हैं । सदन के सामने बहुत सी इस प्रकार की चीजें रखी गयी हैं । आप उन को देखिये और उन पर गौर कीजिये कि आप उन कारणों को कहां तक दूर कर सकते हैं । यह देखना आप का पहला फर्ज हो जाता है ।

आप अपने अफसरों को हिदायत करते हैं और साइन बोर्ड भी लगाते हैं कि मुसाफिरों के साथ करटियस व्यवहार किया जाय । मैं चाहूंगा कि २४-३-६२ को जो कम्प्लेंट बिलासपुर के स्टेशन की कम्प्लेंट बुक में दर्ज की गयी है उस पर आप गौर करें और देखें कि जब अच्छे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है तो साधारण यात्री के साथ कैसा व्यवहार किया जाता होगा ।

इस के साथ साथ आप ने जो जनता के लिये फूड का इन्तिजाम किया है और जनता को फूड दिया है वह एक बहुत अच्छी चीज की है । लेकिन हम को शुद्ध भोजन ठीक समय पर और अच्छा मिल सके इस का भी आप को खयाल रखना चाहिये ।

दूसरी पे कमीशन की रिपोर्ट के पैरा ४२ में श्री जगन्नाथ दास ने जो सिफारिश की है उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गयी है । इस के बारे में कुछ रिप्रेज़ेंटेशन मंत्री महोदय तथा रेलवे बोर्ड के सामने भेजे गये हैं । आप को शान्तिपूर्वक उन पर विचार करना चाहिये और रेलवे कर्मचारियों की तकलीफों को दूर करना चाहिये । मैं आप से कहूं कि जो आप का दूसरा सबार्डिनेट स्टाफ है,

जैसे ट्रैवलिंग टिकिट एग्जामिनर, स्टेशन मास्टर आदि, जिन की तनखाह ४५० से ५७५ तक है उन को ट्रैवलिंग एलाउंस साढ़े सात रुपया रोज दिया जाता है जिस से कि उन को महीने में कुल ७७० रुपये के करीब मिल जाता है, जबकि उन की रनिंग ड्यूटी २६ दिन की होती है । लेकिन हाइएस्ट ग्रेड गार्ड को उन से कम मिलता है । यदि गार्ड न हो तो काम रुक जाय फिर भी उसको इन से कम मिलता है । उस को आप इसेंशियल सरविस में गिनते हैं और उस को आप जबरदस्ती काम पर भेज सकते हैं । होता क्या है, कि इस गार्ड को जिस की तनखाह २०५ से २८० होती है और जिस को कभी कभी थोड़ा आराम मिलने के अतिरिक्त ३० दिन की रनिंग ड्यूटी देनी होती है, सो किलो मीटर पर आप १.७० रुपया ट्रेवलिंग एलाउंस देते हैं । और बहुत जगहों पर जहां मेल और एक्सप्रेस गाड़ियां कम चलती हैं और दूसरी गाड़ियों की गति कम होती है, इन को उतने ही समय काम करने पर कम भत्ता मिलता है । इन सब चीजों को देखते हुए जगन्नाथ दास पे कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया है :

> "प्रतीत होता है कि जगन्नाथ दास वेतन आयोग ने इस वर्ग के लिये ऊंचे वेतन क्रम की सिफारिश इस कारण नहीं की कि गाड़ी पर चलने वाले कर्मचारियों को मील भत्ते के रूप में काफी पारिश्रमिक मिलता है ।"

मैं आप से कहूं कि आप ने इस पर खयाल नहीं किया । इसी सदन के सामने सवाल नम्बर १५६५ का उत्तर देते हुए उपमंत्री महोदय ने ७-१२-६१ को कहा था : यह मामला विचाराधीन है ।

हम आप के शुक्रगुजार हैं कि आप ने हम को इस प्रकार का आश्वासन तो दिया लेकिन क्या मैं जान सकता हूं कि आप इस आश्वासन को कब तक पूरा करेंगे । यह सदन ३१ तारीख को खत्म होने वाला है । इस आश्वासन को आप को इस तारीख से पहले ही पूरा करना चाहिये । मैं आप से कहूं कि इस के बारे में आप को जल्दी ही क्लेरीफिकेशन करना चाहिये ।

अब मैं मध्य प्रदेश की कुछ बातें रेलवे मंत्री महोदय के सामने रखना चाहता हूं ।

सतना से रीवा और भोपाल तक एक सीधी ट्रेन होनी चाहिये । जो ट्रेन आप भोपाल से कटनी तक लाते हैं उस को बढ़ा कर यह किया जा सकता है ।

बिलासपुर से जो ट्रेन इन्दौर जाती है अगर आप उस की चाल तेज कर दें तो वह २४ घंटे में इन्दौर पहुंच सकती है. ।

इसी तरह से एक फास्ट ट्रेन बिलासपुर से बीना तक हो जिस में एक कम्बाइंड बोगी दिल्ली के लिये हो ताकि लोग बिलासपुर से दिल्ली २४ घंटे में पहुंच सकें । इस से रायपुर और उड़ीसा जाने वालों को भी सहूलियत हो जायेगी ।

इस के अलावा चिरमिरी से जो बोगी लगाई जाये उस भोपाल तक कायम रखें ।

फर्स्ट क्लास के डिब्बों में लाइट का समुचित प्रबन्ध न कर सकने की जो आप की दिक्कत है उस को मैं समझता हूं । चोरियों की वजह से आप इस चीज को पूरा नहीं कर पा रहे हैं इस से मैं आप से सहमत हूं ।

आखिर में मैं आप के सामने चोरियों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । आप के पास रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स है वह क्या करती है ? क्या हमारी यह ड्यूटी नहीं है कि हम इन सब चीजों को देखें और इन पर गौर करें । आप के स्टाफ का कोई आदमी अगर पकड़ा जाता है तो मैं नम्र निवेदन करना

[सरदार अ० सिंह सहगल]

चाहता हूं कि उस के साथ डील करने में आप अपने हाथों को लोहे का हाथ बनायें । ऐसा नहीं होना चाहिये कि अगर कोई सिफारिश आ जाय तो उस को छोड़ दिया जाय । अगर आप इस तरह से करते हैं तो आप की एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चल सकती है ।

अब मुझे ब्रांच लाइनों पर जो डिब्बे लगाये जाते हैं, उन के बारे में कुछ कहना है । उन लाइनों पर सफर करने वाले लोग भी आप को पैसा देते हैं । उन पर भी फर्स्ट क्लास, सैकिंड क्लास और थर्ड क्लास के पैसेंजर सफर करते हैं । आप को चाहिये कि आप देखें कि क्या उन डिब्बों की सफाई भी ठीक ढंग से होती है या नहीं होती है, पीने के पानी का ठीक इंतिज़ाम होता है या नहीं होता है तथा दूसरी सहूलियतें मुसाफिरों को मिलतीं हैं या नहीं मिलती हैं । मेरे एक मित्र जो रायपुर जिले के हैं और जो शायद बोल नहीं रहे हैं, उन्होंने कहा कि भाटापारा में डाक गाड़ी को खड़ा किया जाना चाहिये । उन्हों ने मुझे बताया है कि वह एक बड़ा व्यापारिक सैंटर है और वहां डाक भी आती है रेल द्वारा भेजी जाती है । उस डाक को उतारते वक्त अगर आप वहां पर गाड़ी को खड़ा भी कर दें, कुछ देर के लिये तो आप की बड़ी कृपा होगी ।

अब मैं वैगन्ज के एलाटमेंट के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । यह समस्या बहुत विकट होती जा रही है । मैं चाहता हूं कि आप हर एक जिले में एक कमेटी बनायें जिस में वहां के लोकल जो मर्चेंट्स हैं, उन के नुमाइंदे रखें, दूसरे जो लोग इस में इंटिरेस्ट लेते हैं, उन को लें, एक आध मैम्बर जो इंटिरेस्ट लेता है, उस को इस में रखें और इस तरह से वैगन्ज की समस्या को हल करने का प्रयत्न करें ।

रेलवे के कार्यों में कहीं कहीं पर कमी रहने के बावजूद भी आप देखेंगे कि कुल मिला कर उस का कार्यकलाप बहुत ही सन्तोषजनक रहा है । मैं ने जो बातें एसैंशियल सर्विसिज़ तथा रनिंग स्टाफ के बारे में कहीं हैं, उन की तरफ मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें । उन की जो मांगें हैं उन पर आप ठंड दिल से गौर करें । मैं चाहता हूं कि आप खुद जा कर देखें और देखने के बाद उन की तकलीफों को दूर करने का प्रयत्न करें । आदमी उन के बीच रह कर ही उन की तकलीफों को अनुभव कर सकता है और मैं चाहता हूं कि आप भी ऐसा ही करें ।

अन्त में मैं आशा करता हूं कि जो बातें मैं ने कहीं उन पर विचार किया जायगा और अगर हो सकेगा तो उन को अमल में लाने की कोशिश की जायगी ।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं इस बात से सहमत नहीं कि रेलवे को नफा नहीं कमाना चाहिये और हर बात केवल जनसेवा की भावना से ही करनी चाहिये । हमें इस बात को कभी नहीं भूलना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र में रेलवे सब से बड़ा उपक्रम है । अतः मेरा तो यह मत है कि इस का संचालन लाभ के आधार पर किया जाना चाहिये । इस बात का प्रयत्न किया जाना चाहिये कि उसे सड़क परिवहन के मुकाबले में किसी प्रकार की हानि नहीं उठानी पड़े । गत पांच वर्षों में इस दिशा में रेलवे का कार्य कोई विशेष सफलता पूर्ण नहीं रहा है । यद्यपि इन वर्षों में रोशनी इत्यादि के कार्य में भी काफी सुधार हुआ है ।

मेरा कहना है कि रेलवे अपना सारा समय और साधन ईमारतें बनाने में लगा रही है । मेरा निवेदन है कि रेलवे को अपने सारे संसाधन इमारतों के बनाने में नहीं लगा देने चाहिए । इस बात का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए कि सारे सारे साधनों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि वे हमारी विकासशील अर्थ व्यवस्था की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके । इस दिशा में पूर्ण रूप से जागरूक रहने की आवश्यकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इसके अतिरिक्त हमें एक अन्य महत्वपूर्ण बात की ओर भी ध्यान देना चाहिए। आज रेलवे कर्मचारियों में बड़ा व्यापक अषन्तोष पाया जाता है। और यह असन्तोष लगभग सभी प्रकार की और सभी स्तर की सेवाओं में है। इसे दूर करने का पूरा प्रयत्न किया जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले बहुत जल्दी जल्दी किये जाते है। इससे कार्य को दक्षता पर काफी प्रभाव होता है और इससे कर्मचारियों में वैसे भी कुछ नैतिकता का ह्रास हो गया है। मैं नयी संसद में भी यह बात रखूंगा और निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के मामलों की जांच करने के लिए एक समिति का निर्माण किया जाय।

एक अन्य बात की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं। वह यह कि रेलवे में सांस्कृतिक कार्यों की ओर बहुत ध्यान दिया जाता है। वर्ष में दो बार "सांस्कृतिक सप्ताह" मनाये जाते हैं। समय और धन नष्ट किये जाते हैं। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार के कार्यों को बन्द किया जाना चाहिए। साथ ही हमें इस बात को भी देखना चाहिए कि माल के डिब्बों की व्यवस्था न किये जाने से देश का औद्योगिक विकास प्रभावित हुआ है। यह एक गम्भीर मामला है। हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि यदि परिवहन असफल हो गया तो प्रत्येक चीज असफल हो जायेगी। मुझे आशा है कि इस दिशा की ओर मंत्री महोदय का ध्यान अवश्य आकृष्ट होगा और वह अपेक्षित कार्यवाही करेंगे।

श्री गणपति सहाय (सुल्तानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है जैसा कि मैं पहले एक बार अर्ज़ कर चुका हूं जिला सुल्तानपुर जहां से मैं चुन कर आया हूं, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा पूर्वी जिला है और वह एक ऐसा जिला है जो कि चारों तरफ से छोटे छोटे जिलों से घिरा हुआ है, जैसे प्रतापगढ़, जौनपुर, आज़मगढ़, फैजाबाद, बाराबंकी, लखनऊ, राय बरेली है। आपको यह सुन कर ताज्जुब होगा कि सुल्तानपुर जिले से कोई लाइन आजमगढ़ जाने को, राय बरेली जाने को, बाराबंकी जाने की अभी तक नहीं बनी है। अगर कोई शख्स इन ज़िला में जाना चाहे तो उसको बहुत दूर दराज़ रास्ते से घूम करके इन जिलों में पहुंचना पड़ता है। फासले बहुत कम हैं और अगर यहां पर नई रेलवे लाइन खोली जाए तो नफा भी हो सकता है और जनता को सहूलियत भी।

आपको यह सुनकर भी ताज्जुब होगा कि पचासों बरस से दो रेलवे लाइनें सुल्तानपुर से गुज़रती हैं, अलाहाबाद फैजाबाद और लखनऊ जौनपुर लेकिन आज तक न तो कोई मेल ट्रेन यहां से गुजरती है और न ही कोई एक्सप्रैस ट्रैन और न ही कोई फास्ट पैसेंजर ट्रेन उधर से गुजरती है। मैंने बहुत बार इसके बारे में अर्ज़ किया है मगर अभी तक उस पर कोई तवज्जह नहीं दी गई है। जो मेल ट्रेंज़ या जो एक्सप्रैस ट्रेंज़ बनारस से लखनऊ की तरफ आती हैं वे अगर सीधी सुल्तानपुर के रास्ते से आया करे तो रेलवे के खर्चे में एक तो कमी होगी, दूसरे दूरी कम तय करनी पड़ेगी और तीसरे जनता को सहूलियत भी पहुंच सकेगी। फैजाबाद के रास्ते से बनारस मुगलसराय से लखनऊ तक गाड़ियां आती हैं, तीन चार एक्सप्रैस और फास्ट पैसेंजर ट्रेंज़ चलती हैं। उनको बहुत लम्बा सफर तय करना पड़ता है लखनऊ पहुंचने में। अगर वे सीधी जौनपुर से सुल्तानपुर होते हुए लखनऊ आएं तो कम फासला तय करना पड़ेगा और खर्चा भी कम होगा और इसके साथ ही साथ जनता को भी सहूलियत पहुंच सकती है। इससे लोगों को बहुत आराम हो सकता है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अभी तक इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में कुछ न कुछ जरूर किया जाएगा।

आपको यह सुन कर भी ताज्जुब होगा कि जिला सुल्तानपुर की आबादी तेरह लाख है और प्रतापगढ़ और फ़ैज़ाबाद के मुकाबले में यह बहुत बड़ा जिला है। फैज़ाबाद में से तीन तीन एक्सप्रैस ट्रेंज़ चलती है, प्रतापगढ़ से मेल ट्रेन है लेकिन सुल्तानपुर में कुछ भी नहीं है।

[श्री गणपति सहाय]

आपने पार्लियामेंट के मैम्बर साहिबान को रेलवे-कम-आइडेंटिटी कार्ड दिय है। आपने उनको यह सहूलियत दी है कि वे फर्स्ट क्लास में सफर कर सकते हैं। मगर यह सुन कर आपको ताज्जुब होगा कि सुल्तानपुर से जो ट्रेंज जौनपुर जाती हैं या जो लखनऊ जाती हैं उनमें कभी फर्स्ट क्लास कम्पार्टमट आज तक नहीं लगाया गया है और कभी कभी तो सैकिंड क्लास कम्पार्टमट भी नहीं रहता। इसके नतीजे के तौर पर मैम्बर्ज़ को थर्ड क्लास में ही लखनऊ आना जाना पड़ता है। लखनऊ से दिल्ली आने के लिए अलवत्ता फर्स्ट क्लास है। मैंने एक सजैशन की थी कि जो एक्सप्रैस ट्रेंज हावड़ा से जौनपुर आ कर खत्म हो जाती हैं अलग वह ट्रेन बजाय जौनपुर में खत्म होने के लखनऊ तक लाई जाए तो एक एक्सप्रैस ट्रेन बहुत आसानी से सुल्तानपुर के रास्ते आ सकती है।

मैंने यह भी अर्ज़ किया था कि लखनऊ से जो ट्रेन मुरादाबाद होते हुए रात को जाती है, लखनऊ एक्सप्रेस, और जो जाकर के लखनऊ के में ठहर जाती है उसका नतीजा यह होता है कि दिल्ली तक जाने वाले मुसाफिरों को लखनऊ में छः घंटे पड़े रहना पड़ता है और तब जा कर उनको दूसरी ट्रेन सुल्तानपुर जाने के लिए मिलती है अगर उस ट्रेन को बजाय लखनऊ रोक देने के जौनपुर तक चलाया जाए तो दो दो एक्सप्रैस ट्रेंज सुल्तानपुर से गुज़र सकती हैं। बहुत आसानी से यह काम हो सकता है।

इसके अलावा मुझे को एक बात और यह अर्ज करनी है कि सुल्तानपुर जिले में एक रेलवे क्रासिंग है कि जिस रास्ते से तमाम वैहिकुलर ट्रेफिक तीन तहसीलों का गुजरता है। उसको लखनऊ-सुलतानपुर रेलवे क्रासिंग कहते हैं। उस क्रासिंग का फाटक घंटों बन्द रहता है और उसकी वजह यह है कि आपने एक लोको शैड बना दिया है रेलवे स्टेशन के दक्षिण में। वहां से जब शंटिंग होता है तो उसकी वजह से घंटों क्रासिंग बन्द रहता है और हर तरफ का ट्रेफिक बन्द हो जाता है जिसकी वजह से लोगों को तकलीफ होती है।

डिवीजनल सुपरिटेंडेंट, लखनऊ, दो मर्तबा सुलतानपुर तशरीफ लाए। मैं खुद जाकर उनसे मिला और उनसे यह अर्ज किया और उन्होंने खुद हुक्म दिया कि फर्स्ट क्लास लगाया जाए और एक्सप्रैस ट्रैन इधर से निकाली जाए, मगर आज तक कुछ भी नहीं हुआ। मैं ये सब बातें आपकी तवज्जह में लाना चाहता हूं।

आपके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत बातें कहने को हैं लेकिन इस वक्त मैं वे सब बातें नहीं कहना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो बातें मैं ने कही हैं उन पर आप ध्यान दें और न कमियों को पूरा करने की कोशिश करें।

श्री अजराज सिंह (फिरोजाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अन्तरिम बजट में रेलवे मन्त्री महोदय से और किसी नीति सम्बन्धी बात के बारे में चर्चा की आशा न भी रही होती, परन्तु एक आशा तो जरूर की जा सकती थी कि मुल्क में जो संकट पैदा हो रहे हैं माल को इधर से उधर ढोने में, उनके सम्बन्ध में कोई सक्रिय कार्रवाई करने का आश्वासन दिया जाएगा। लेकिन बजट की स्पीच को और बजट पर व्हाइट पेपर को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लगता कि रेलवे मन्त्रालय कोयला ढोने या सीमेंट के ढोने या और दूसरे कच्चे माल को कारखानों में ले जाने और कारखानों के तैयार माल को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने की समस्या के प्रति पूरी तरह से जागरुक है।

जब भी इस सदन में चर्चा की गयी खास तौर से कोयले के ढोने के सम्बन्धमें तो रेलवे मन्त्री ने कहा कि यह काम मेरा नहीं है, इसकी जिम्मेवारी स्टील माइन्स और फ्यूअल मंत्रालय को दे दी गयी है। और जब उनसे पूछा जाता है तो वह कुछ दूसरा ही जवाब दे दिया करते हैं। इसके लिये मुझे

ऐसा आवश्यक लगता है कि जब दोनों मन्त्री सदन में मौजूद हों तो दोनों मिल कर इस बारे में एक साथ वक्तव्य दे सकें । यह स्थिति देख कर ताज्जुब होता है । यह एक केन्द्रीय सरकार है । उसकी एक नीति हैं, एक मन्त्रिमण्डल है जो कि नीतियां निर्धारित करता है, लेकिन उनका पालन करने वाले मन्त्री अलग अलग इस तरह के वक्तव्य देते हैं जैसे कि वे कुछ अलग अलग सरकारें हों । ऐसा क्यों होता है, जब मैं इसका विश्लेषण करता हूं तो इसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि कोई निश्चित नीति ही नहीं है ।

मैं पूछना चाहता हूं कि रेलवे मन्त्री से कि आखिर तीसरी पंचवर्षीय योजना बनाते समय, खास तौर से रेलवे के सम्बन्ध में, क्या इस बात का ख्याल रखा गया ? क्या इस बात का ख्याल रेलवे मंत्री ने रखा और अगर उन्होंने इसका ख्याल रखा तो मंत्रिमडल ने उसको स्वीकार किया था नहीं किया और नहीं किया तो क्यों नहीं किया कि आखिर तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत देश में माल के उत्पादन की क्षमता बढ़ जायगी तो उस माल को ढोने के लिये कितने वैगनों की आवश्यकता होगी और क्या उतने वैगन्स के निर्माण का काम आरम्भ कर रहे हैं ? और अगर नहीं कर रहे हैं तो इस वैगन्स की कमी को कैसे दूर किया जाएगा । अभी तृतीय पंचवर्षीय योजना का सिर्फ एक साल गुजरा है और एक साल के अन्दर ही यह संकट दूभर होता जा रहा है, कठिनतर होता जा रहा है उसके समाधान का कोई रास्ता ही नहीं दिखायी देता ।

कोयले के बारे में जब चर्चा हुई राज्य सभा में तो उपमन्त्री महोदय माननीय शाहनवाज खां साहब ने यह फरमाया कि १९६ कोयले के वैगन्स नित्य मुगलसराय से ऊपर के हिस्से में ढोये जाने लगे हैं । उन्होंने कहा था कि २०० डब्बे ढोए जायेंगे । मगर २०० और १९६ में कोई विशेष फ़र्क नहीं है । लेकिन प्रश्न यह है कि १९६ वैगन्स से क्या इस संकट को दूर किया जा सकता है । बड़ेबड़े लोग जिनके संगठन हैं वह तो सरकार को कभी कभी प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं । कभी कभी सोमानी साहब कपड़े के कारखानों के लिये कोयला प्राप्त कर सकते हैं । दिल्ली में शायद कुछ कोयला प्राप्त हो सकता है । लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि देहात में ईंटों के भट्टों के लिये किसी तरह का कोयला नहीं मिल रहा है जिसके कारण सारा निर्माण कार्य ठप्प हो रहा है । स्कूल नहीं बन सकते, अस्पताल नहीं बन सकते, सड़कों के लिये जो झामा ईंटें चाहियें वे नहीं बन सकतीं । इसके लिये सरकार क्या सोच रही है और अगर नहीं सोच रही है, तो मैं पूछना चाहता हूं कि यह किसकी जिम्मेवारी है । आखिर इस जिम्मेदारी को उठाने के लिये कोई तैयार है या नहीं ।

कितने वैगन चाहिए कोयला ढोने के लिये इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है । मेरा अपना ख्याल है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के आखिर में जितने कोयले का उत्पादन हो जाएगा और उसके इस्तेमाल से जितनी दूसरी चीजों का उत्पादन होगा उन को ढोने के लिए आज जितनी वैगन्स चल रही हैं उनसे करीब दुगनी वैगन्स की आवश्यकता होगी । तृतीय योजना के अन्त में कोयला ढोने के लिए १२०० वैगन्स की आवश्यकता होगी और तभी उससे और माल के उत्पादन में सहायता मिल सकेगी । मैं पूछना चाहता हूं कि रेलवे मन्त्री इस समस्या के प्रति जागरूक हैं या नहीं और यदि जागरूक नहीं हैं तो—जनता ने शक्ति छीन ली है—मैं कहना चाहूंगा कि यदि उनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि तृतीय योजना के अन्त में कोयला ढोने के लिए और जो माल और मुल्क में तैयार होगा उसको ढोने के लिये कितने वैगन्स की आवश्यकता होगी तो उनको अपनी गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं हो सकता । मैं कहना चाहूंगा कि अब वक्त आ गया है जब सरकार को पूरी तरह सचेत होकर इस बात पर विचार करना चाहिये कि क्या उनके वैगन के कार्यक्रम में, रेलवे लाइन डालने के कार्यक्रम में किसी ऐसे परिवर्तन की आवश्यकता है कि जिसके बिना मुल्क की प्रगति रुक जायगी । इसलिये पहली बात तो मैं यह कहना चाहूंगा कि कोयला, सीमेंट और दूसरे माल को ढोने के लिये पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों

[श्री बृजराज सिंह]

की पूर्ति के लिये दूसरा माल उत्पादन के लिए जिन पदार्थों की आवश्यकता होती है उनके ढोने की सुव्यवस्था होनी चाहिए । अगर ऐसा नहीं किया जा सका तो उससे कारखानों का उत्पादन रुकेगा, गांवों में कुंवें नहीं बन सकेंगे, सड़कें नहीं बन सकेंगी, स्कूल नहीं बन सकेंगे, मकान नहीं बन सकेंगे, और नतीजा यह होगा कि जिस समाजवादी समाज की रचना आप करना चाहते हैं उसकी रचना तो दूर रही, जो समाज आज है वह भी ध्वस्त हो जाएगा ।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह यात्रियों के सम्बन्ध में है । अभी मेरे मित्र त्यागी जी ने जोश में कुछ बात कही, और शायद मुझे भी जोश में कुछ ऐसी बातें कहनी पड़ें । हमें माल को ढोने के लिए वैगन चाहियें यह ठीक है क्योंकि माल का ढोना आवश्यक है । लेकिन जब प्रश्न आता है यात्रियों को ढोने का तो एअरकण्डीशन्ड के यात्रियों को ढोने के लिये आप सुविधाएं देंगे, फर्स्ट क्लास के यात्रियों को ढोने के लिये आप सुविधाएं देंगे, लेकिन जब तीसरे दरजे का सवाल आएगा, उस आदमी का सवाल आएगा जो हिन्दुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, जिसके ऊपर रेलवे चलती है, जिससे देश चलता है, जब उसका सवाल आएगा तो किसी को चिन्ता नहीं है कि वह खड़ा भी हो सकता है या नहीं, सोने की बात तो अलग रही । रात को सोने की बात और दिन में बैठने की बात तो अलग रही । वह खड़ा नहीं हो सकता । क्या उनके लिये रेलवे मन्त्री रेलवे में अधिक क्षमता पैदा करने की बात सोचते हैं ? क्यों नहीं उन लोगों के लिये डब्बे बन रहे हैं और अगर नहीं बन सकते तो किस तरह से इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सकता है । इस बात पर विचार करने की जरूरत है । मैं कहना चाहूंगा कि तीसरे दरजे के यात्रियों के लिये कम से कम बैठने के स्थान की व्यवस्था होनी चाहिए, और सोने की भी व्यवस्था होनी चाहिए । रात में आप तीसरे दरजे के मुसाफिर से जितना किराया लेते हैं आपको उसी अनुपात में उसे सुविधा देनी चाहिए । आप जो सुविधाएं फर्स्ट क्लास के यात्री को देते हैं वे उस किराये के अनुपात में कहीं ज्यादा हैं जो आप उससे लेते हैं । इसलिये, मैं कहना चाहता हूं कि तीसरे दरजे के यात्रियों के लिये जो कि रेलवे फाइनेन्स की रीढ़ की हड्डी हैं, विशेष सुविधाओं का प्रबन्ध होना चाहिए और खास तौर से उनके लिए बैठने की जगह का प्रबन्ध किया जाना चाहिए ।

अब मैं एक बात जो रेलवे लाइनें तोड़ दी गई थीं लड़ाई के जमाने में, उसके बारे में कहना चाहता हूं । मैं एक ऐसी लाइन के बारे में आप से कहने जा रहा हूं जो कि लड़ाई के जमाने में तोड़ दी गई थी लेकिन अभी तक नहीं डाली गई है । मेरी राय में शायद यही एक लाइन है जो अभी तक डाली नहीं गई है । आगरा से एक लाइन थी जो बाह तक जाया करती थी । इसको लड़ाई के जमाने में तोड़ दिया गया था । बार बार अनुरोध करने के बावजूद भी इसको अभी तक डाला नहीं गया है । मैं रेल की किसी नई लाइन के बारे में नहीं कहूंगा क्योंकि अगर मैं उस बात कहूंगा तो आप कहेंगे कि वैगन्ज़ नहीं हैं, सवारी के डब्बे नहीं हैं, इसलिये नई लाइन नहीं डाली जा सकती है । लेकिन जो आपकी नीति है उसको तो अमल में लाएं । जो यह लाइन लड़ाई के जमाने में तोड़ दी गई थी, आगरा से बाह तक की इस को पुनः डालने की रेल मन्त्री जी कोशिश करेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं ।

इसी सन्दर्भ में मैं एक और बात कहना चाहता हूं । रेलवे को वक्त वक्त पर अपने यार्ड को बढ़ाने के लिये या निर्माण कार्यों के लिये जमीन की जरूरत पड़ती रहती है । मेरे भाई श्री रघुनाथ सिंह जी ने इसके बारे में थोड़ा सा कहा है । मैं कहना चाहता हूं कि जब शहरों में जमीन ली जाती है तो उसका मुआवज़ा देने के बारे में एक सिद्धान्त निर्धारित है लेकिन जब गांवों की ज़मीन ली जाती है, उसके बारे में कोई दूसरा ही सिद्धान्त निर्धारित कर दिया गया है । शहरों में जब मकान या जमीन ली जाती ह तो मुआवज़े का सिद्धान्त यह है कि बाजार भाव जो हो और जिस पर वह बिक सकती हो, वही उसका मुआवज़ा दिया जाएगा लेकिन अगर देहात के किसान की ज़मीन ली जाती है तो उसको मआवज़ा देने का सिद्धान्त दूसरा ही है और उस सिद्धान्त से बिल्कुल भिन्न है । १८९३ का जो लैण्ड

एक्वीजीशन एक्ट है, उसके मुताबिक मुआवज़े की राशि तय की जाती है। आप निर्माण के काम में अगर यह हिसाब लगाते हैं कि हमने इतना मुआवज़ा दिया है और कोई ज्यादा खर्चा नहीं पड़ा है तो मैं कहूंगा कि आप एक प्रकार से कानूनी डकैती डाल करके किसान का माल लेते हैं। जो बाजार भाव उस जमीन का मिल सकता है उसे वह न देकर बहुत ही कम, नाममात्र का मुआवज़ा आप देते हैं। इस दृष्टिकोण में, इस नीति में परिवर्तन होना चाहिए। जिनकी आबादी देश की कुल आबादी का ७० प्रतिशत है और जिसके उपजाऊ खेत को आप ले लेते हैं ऐसे कानून के अन्तर्गत जिस कानून को कि ब्रिटिश सरकार ने बनाया था, उस सरकार ने बनाया था जो कि किसान की दुश्मन थी, तो यह बिल्कुल गलत बात है। मैं चाहता हूं कि इसमें आप रेलवे को अपनी ओर से कहना चाहिए कि बाजार भाव पर जिस प्रकार से शहरों में मुआवज़ा दिया जाता है उसी तरह से गांवों में भी दिया जाये। चूंकि किसान कमजोर है, संगठित नहीं हैं, इसलिए क्या उसको लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट के तहत मुआवज़ा दिया जाता है ? आम तौर से जो उसको मुआवज़ा दिया जाता है वह सौ रुपये के बजाय एक रुपया दिया जाता है, सौवां हिस्सा मुआवज़ा उसको दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि मुआवज़ा देने के सिद्धान्त में रेलवे परिवर्तन करें जिससे किसान को न्यायपूर्ण ढंग से मुआवज़ा मिल सके और उचित मुआवज़े से वह महरूम न हो।

जो दुर्घटनाएं हुई हैं, उनकी ओर भी आपका ध्यान खींचा गया है। इसके जवाब में सरकार कह सकती है कि एक कमेटी बिठा दी गई है। मैं इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कह सकता हूं और केवल यही आशा कर सकता हूं कि जो कमेटी निर्मित की गई है वह इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक विचार करे और ज्यों ही वह अपनी रिपोर्ट दे, सरकार उसको इम्प्लेमेंट करने में ज्यादा वक्त न लगाये और यह न कहे कि उस पर विचार जारी है। उसकी सिफारिशों को उचित तरीके से अमल में लाया जाए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके।

मैं उन लोगों में से हूं जो बार बार सरकार की इस बात के लिए आलोचना करता रहा हूं कि सरकार समाजवादी समाज की रचना करने मे कोई सक्रिय काम नहीं कर रही है। इस सिलसिले में जो बात मैं कहने जा रहा हूं, उसको ले कर शायद यह कहा जाये कि कैसे समाजवादी तुम हो जो इस तरह की बात कह रहे हो। लेकिन मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि रेलवे ने जो खान पान की वस्तुओं का डिपार्टमैंटलाइजेशन किया है, विभागीकरण किया है, यह वास्तव में समाजवाद को बदनाम करने वाली एक चीज़ है। पिछले दिनों यहां पर इस बात की चर्चा हुई थी कि जब से विभागीकरण हुआ है, टूंडला में जो पूरी पहले डेढ़ रुपये सेर बिका करती थी, उसका भाव दो रुपये कर दिया गया है। जब यह शिकायत की गई कि शिकोआबाद, इटावा आदि में जहां विभागीकरण नहीं हुआ है और जहां पर प्राइवेट ठेकेदार द्वारा यह काम किया जा रहा है, पूरी अभी तक डेढ़ रुपया सेर बिक रही है तो उसके फलस्वरूप उन ठेकेदारों को भी यह आदेश दे दिया गया कि उनको पूरी दो रुपये सेर बेचनी होगी, डेढ़ रुपये सेर नहीं क्योंकि विभागीकरण जहां हो चुका है, वहां पूरी दो रुपये सेर बिक रही है।

श्री त्यागी : क्या आप तहकीकात करने के बाद यह बात कह रहे हैं ?

श्री ब्रज राज सिंह : जी हां तहकीकात के बाद ही कह रहा हूं। अपने इस संसदीय जीवन के जो अब थोड़े से दिन बाकी रह गये हैं, उन में मैं कोई गलत बात नहीं कहूंगा। इंतिज़ाम खराब हो रहा है और जो बाबू लोग रखे गये हैं उन को यह फिक्र रहता है कि जो दूध देता है उससे पचास रुपये महीने में मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, जिस ठेकेदार से चीज़ ले रहे हैं, उन से ऊपरी आमदनी हो सकती है या नहीं। पानी, चाय, चीनी इत्यादि,

[श्री ब्रज राज सिंह]

पैसे, दो पैसे, चार आने आठ आने, कीमत वाली चीज़ों का राष्ट्रीयकरण करके आप जनता में यह भावना फैलाते हैं कि समाजवाद जैसी जो चीज़ है वह उचित चीज़ नहीं है और इस तरह से आप हमारे मित्रों, मसानी जी, रंगा जी और राजागोपालाचार्य जी को यह मौका देते हैं कि वे प्रचार कर सकें कि समाजवाद नहीं आना चाहिए। इस वास्ते जो खान-पान की चीज़ों का विभागीकरण हुआ है, उस पर मैं चाहता हूं पुनर्विचार किया जाये। कमेटी जो बठी थी उसने यह रिपोर्ट दी थी कि इसका उद्देश्य यह होना चाहिए कि खान-पान की व्यवस्था अच्छी हो सके और यह उद्देश्य नहीं होना चाहिये कि सब जगह यह चीज़ हो जाये। यह व्यवस्था अच्छे ढंग से चल रही है या नहीं, इस पर आपको विचार करना चाहिए। अगर इस पर विचार करने के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचे कि अच्छी नहीं हो रही है तो इस नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए और यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि एक डिविज़न में, एक रेलवे पर एक जगह पर इसको आप रखें और एक आदर्श उपस्थित करें ताकि दूसरे इसकी नकल कर सकें। छोटे छोटे लोगों को मारने से कोई लाभ नहीं है। अगर इन छोटे छोटे लोगों को मारने से कोई अच्छी चीज़ सिद्ध हो सकती हो तब भी बात है और यह समझ में आ सकती है लेकिन उनको मार कर कुछ बाबुओं को अगर फायदा पहुंचाया जाता है जो सिर्फ इस फिक्र में रहते हैं कि कैसे अपने कपड़ों को साफ रखने के लिए कोई आमदनी हो सकती है, तो यह ठीक नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि रेलवे अपनी इस नीति को रिव्यू करे, इस पर पुनर्विचार करे और अगर उसके फलस्वरूप उसको यह पता चले कि यह ठीक ढंग से नहीं चल रही है तो कोई दूसरा निश्चय इस सम्बन्ध में करे।

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : जिन माननीय सदस्यों ने इस विवाद में भाग लिया है मैं उनका आभार मानता हूं। यद्यपि कई एक सदस्यों ने रेलवे प्रशासन की बहुत कड़ी से कड़ी आलोचना की है फिर भी मैं समझता हूं कि इसका भी कुछ लाभ ही होता है। जहां तक देश में परिवहन की स्थिति के सम्बन्ध में मैं दो भागों में निवेदन करूंगा। पहिले मैं कोयला क्षेत्रों का उल्लेख करूंगा। मेरा निवेदन है कि रेलवे विभाग मध्य भारत में स्थित दूर दूर के कोयला क्षेत्रों के माल डिब्बों सम्बन्धी सब आवश्यकतायें पूरी करता रहा है। अब भी हम इस कार्य की ओर पूर्ण रूप से जागरूक हैं और वस्तुतः हम इस क्षेत्र को और अधिक माल के डिब्बे दे सकते हैं। जहां तक बंगाल और बिहार के कोयला क्षेत्रों का सम्बन्ध है, इस्पात के कारखानों और कोयला धोने वाले कारखानों की सभी आवश्यकतायें पूरी की जा रही हैं। इस बात की हमें पूरी आशा है कि अन्य उपभोक्ताओं को माल डिब्बे देने के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, हम उन्हें पूरा कर सकेंगे। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना आयोग के अनुमान के अनुसार ३१० लाख टन कोयला उठाया जाना है। बंगाल बिहार में यह लक्ष्य ६६० लाख टन है।

बंगाल बिहार कोयला क्षेत्रों के बारे में तीन वायदे हैं। एक यह कि इस्पात के कारखानों को प्राथमिकता दी जायेगी। हम इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं को ठीक ढंग से पूरा कर रहे हैं। इस दिशा में हम अपना कर्तव्य पालन करने की दिशा में बिलकुल भी असफल नहीं रहे हैं। इस मामले में देरी नहीं हुई है। इसी प्रकार शोधनशालाओं को भी अपेक्षित सम्भरण होता रहा है और तीसरा वायदा यह था कि अन्य उपभोक्ताओं को कोयला सुविधा से मिले। इसके लिए योजना आयोग ने हमारे १,२११ अतिरिक्त वैगन का लक्ष्य रखा है। इस हिसाब से २४२ वैगन प्रतिदिन का फैलाव आता है। और आज की स्थिति यह है कि हम २०० वैगन प्रतिदिन की व्यवस्था तो कर ही रहे हैं। और हमें पूरी आशा है कि हम इस लक्ष्य को अवश्य पूरा कर देंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस बारे में एक निवेदन यह है कि बिहार-बंगाल के कोयला क्षेत्रों में परिवहन बहुत अधिक है। लाइनें बिल्कुल भरी हुई हैं। अतः और गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के मामले पर तनिक सावधानी से योजना बनानी होगी। हम उस क्षेत्र में बिजली की गाड़ियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं जो अधिक भार ढो सकेंगी। मुगल सराय तक बिजली की गाड़ी चलाने का काम पूरा हो जाने से अधिकांश कठिनाइयां दूर हो जायेंगी। आजकल के दिनों में काम का भार सब से अधिक होता है। चीनी मिलों का काम भी अपने पूर्ण शिखिर पर होता है अतः यातायात की वृद्धि का अनुपात भी बढ़ जाता है और रजिस्टर की हुई शेष मांगों की संख्या काफी कम हो गयी है। इससे स्पष्ट पता लग रहा है कि स्थिति में काफी सुधार हो रहा है। फरवरी १९६१ रजिस्ट्रेशन की संख्या १,३९,६३६ थी जो इस वर्ष कम हो कर १,१३,९५८ हो गयी है। गत वर्ष से इसका २५,६७८ वैगनों का अन्तर हो गया। स्पष्ट है कि स्थिति सुधर रही है। इसमें भी ४० प्रतिशत रजिस्ट्रेशन खाद्यान्नों के हैं, वे भी दक्षिण-पूर्वी रेलवे पर खासकर बिलासपुर क्षेत्र के हैं।

जहां तक भाड़ा बढ़ाने का प्रश्न है कई सदस्यों ने इसका समर्थन किया है। बात यह है कि यदि हम देश की परिवहन अवस्था को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो हमें अपने संसाधन कुछ तो बढ़ाने ही पड़ेंगे। यदि रेलवे के संसाधनों को न बढ़ाया गया तो विकास निधि में धन लगाने के लिए सामान्य राजस्व से अस्थायी रूप से ऋण लेना अनिवार्य हो जायेगा। यह बात बिल्कुल गलत है कि गत दस वर्षों में यात्री भाड़े में लगभग २५० प्रतिशत की वृद्धि हो गयी है। इस दिशा में वृद्धि केवल १० से १५ प्रतिशत तक है। एक से पचास मील तक तो अब भी ५ पाई प्रति मील है। ५।। पाई ५१ मील से १५० मील तक है और १५१ से ३०० मील तक ४।। पाई है। इस तरह यह थोड़ी थोड़ी वृद्धि है।

मेरे माननीय मित्र श्री त्यागी ने बड़े जोर से कहा है कि रेलवे हमेशा अपने उपक्रमों में असफल रही है और रेलवे कर्मचारियों में हमेशा असन्तोष रहा है। मैं चाहता हूंकि यदि श्री त्यागी के पास कोई ऐसे मामले हैं तो उन्हें सम्बद्ध लोगों को यही सलाह देनी चाहिए कि वे अपने विभाग प्रमुख अथवा मंत्री के पास जायें। यदि वह ऐसा नहीं करते तो प्रशासन का प्रश्न सामने आ जाता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि किसी को सरकारी कर्मचारियों को प्रशासन भंग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।

यदि किसी रेलवे पदाधिकारी को कोई शिकायत है तो वह अभ्यावेदन के द्वारा अपनी शिकायतें प्रशासन के समक्ष रख सकता है। एक रेलवे पदाधिकारी को कोई ऐसा काम करना शोभा नहीं देता जो कानून के विरुद्ध हो। ऐसा करने से तो उसके विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही की जा सकती है।

†**डा० मा० श्री अणे** (नागपुर): जब रेलवे पदाधिकारी हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि वे अपने उच्च पदाधिकारियों के पास हो आये हैं लेकिन उनकी शिकायतें दूर नहीं हुई हैं तो हम क्या करें?

†**श्री शाहनवाज खां** : आप हमें लिखें कि ऐसी ऐसी शिकायतें मिली हैं।

†**श्री त्यागी** : मैं आप से सहमत हूं। लेकिन क्यों न एक संगठन बना दिया जाये जो इन शिकायतों को एकत्रित करके उन पर विचार करे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां :** श्री त्यागी ने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष का सेवाकाल बढ़ाने का उल्लेख किया है। मैं बता देना चाहता हूं कि वर्तमान हिदायतों के अनुसार प्रविधिक और वैज्ञानिक कर्मचारियों का सेवाकाल ५८ वर्ष की आयु तक बढ़ाने की छूट है। प्रशासन ने किसी पदाधिकारी का कोई विशेष पक्षपात नहीं किया है। इस प्रकार के कर्मचारियों की कमी के कारण ही उन्हें अधिक सेवा का अवसर दिया जाता है क्योंकि ऐसा करने से देश का लाभ ही होता है।

रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष पद कोई पदोन्नति नहीं है। एक वरिष्ठ सदस्य के नाते वह तो काम का समन्वय ही करता है। उसके वेतन आदि में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती।

जहां तक गाड़ियों का देर से आना जाना है, उसमें हम अभी तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके हैं। लेकिन प्रतिवर्ष उन्नति अवश्य कर रहे हैं। इसमें एक बड़ी कठिनाई यह है कि घटिया किस्म का कोयला आजकल मिल रहा है और फलस्वरूप इंजन बार बार फेल हो जाते हैं। फिर भी हम इस दिशा में प्रयत्न कर रहे हैं।

हमारे अपने कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छे सम्बन्ध हैं। रेलवे में नॉन-गजेटेड कर्मचारियों के लिये समझौता वार्ता की व्यवस्था है जिसमें वे अपनी प्रशासन सम्बन्धी कठिनाइयों की चर्चा कर सकते हैं।

निर्यात बढ़ाने के लिये भाड़े मे कमी करने की मांग की गई है। रेलवे निर्यातों को प्रोत्साहन देने के लिये लगभग ४७ वस्तुओं पर भाड़े में रियायत दे रही है।

जहां तक अभ्यावेदनों के उत्तर देने की बात है हम उन्हीं अभ्यावेदनों का उत्तर देते हैं जो मान्यताप्राप्त संस्थाओं से आते हैं। टाइपिस्ट यूनियन मान्यताप्राप्त संस्था नहीं है अतः हमने उसका कोई उत्तर नहीं दिया।

रेलवे कर्मचारियों को चुनाव में मत देने का ही अधिकार है लेकिन वे सार्वजनिक सभाओं में जा कर भाषण आदि नहीं दे सकते। ऐसा करना सरकारी कर्मचारी के अनुशासन के विरुद्ध है।

अन्त में मैं निवेदन करता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं उन पर ध्यान दिया जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा समाप्त हुई।

लेखानुदानों की मांगें––रेलवे, १९६२-६३

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अब वर्ष १९६२–६३ के लिये आय-व्ययक (रेलवे) सम्बन्धी लेखानुदानों की मांगों पर चर्चा होगी। चूंकि इन मांगों के बारे में कोई कटौती प्रस्ताव नहीं है अतः हम उनको एक साथ लेंगे और सभी मांगों के बारे में चर्चा होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष १९६२-६३ के लिये रेलवे की लेखानुदानों की तिम्नलिखित मांगें प्रस्तुत की गईं।

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१	२	३
		रुपये
१	रेलवे बोर्ड .	२६,७०,०००
२	विविध व्यय	७०,६२,०००
३	चालू लाइनों तथा अन्य को भुगतान	७,०२,०००
४	कार्य-संचालन व्यय--प्रशासन	१०,०४,११,०००
५	कार्य-संचालन व्यय--मरम्मत तथा साधारण	३२,१४,०३,०००
६	काय-संचालन व्यय--चालक कर्मचारी	१९,३६,११,०००
७	कार्य-संचालन व्यय--संचालन (ईंधन) . .	२०,६५,६१,०००
८	कार्य-संचालन व्यय--कर्मचारी तथा ईंधन के अतिरिक्त अन्य संचालन व्यय .	६,९१,९५,०००
९	कार्य-संचालन व्यय--विविध व्यय	७,५०,७२,०००
१०	कार्य-संचालन व्यय--श्रम कल्याण . .	२,९५,५५,०००
११	कार्य-संचालन व्यय--अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग	१६,७५,००,०००
१३	खुली लाइनों का निर्माण-कार्य (राजस्व) श्रम कल्याण .	३७,१८,०००
१४	खुली लाइनों का निर्माण-कार्य (राजस्व)--श्रम कल्याण के अतिरिक्त .	२,७५,२०,०००
१५	नई लाइनों का निर्माण	१२,८९,८१,०००
१६	खुली लाइनों का निर्माण-कार्य--परिवर्धन	८९,६१,६९,०००
१७	खुली लाइनों का निर्माण-कार्य--बदलना .	२७,८३,३२,०००
१८	खुली लाइनों का निर्माण-कार्य--विकास निधि . .	५,७४,५०,०००

†**श्री तिम्मय्या** (कोलार--रक्षित--अनुसूचित जातियां): रेलवे प्रशासन के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। रेलवे राजस्व निरन्तर बढ़ता जा रहा है। देश की विकसित अर्थ व्यवस्था में रेलवे एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है ।

पर्याप्त वैगन का संभरण करने में कुछ कठिनाई अवश्य है । अतः फिर भी रेलवे प्रशासन को यह प्रयत्न करना चाहिये कि विभिन्न वाणिज्यिक केन्द्रों को माल डिब्बों का आवंटन उचित आधार पर किया जाये ।

यह कहना गलत है कि रेलवे कर्मचारियों में असंतोष है ।

मेरा निवेदन है कि रेलवे प्रशासन तीसरी श्रेणी में यात्रियों के लिये स्थान की और व्यवस्था करे तथा रेलों में सोने के लिये और स्थान बनाये और द्वितीय श्रेणी को बिल्कुल ही समाप्त कर दे।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री तिम्मय्या]

मेरा ऐसा विचार है कि दक्षिण रेलवे, विशेषकर मीटर लाइन सैक्शन में, अच्छे इंजन और डिब्बे नहीं दिये गये हैं। सरकार को इस ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिये।

नई रेलवे लाइनों के मामले में मैसूर राज्य की उपेक्षा की गई है। प्रस्तावित मंगलौर-हसन लाइन का निर्माण कार्य यथाशीघ्र ही प्रारम्भ किया जाना चाहिये। यह लाइन बनाने की योजना पहली योजना में सम्मिलित की गई थी लेकिन अब तो तीसरी योजना भी शुरू हो गई है। अतः इस काम को शीघ्र ही शुरू किया जाना चाहिये।

मेरा ऐसा विचार है कि यदि कोलार क्षेत्र की छोटी लाइन को मीटर लाइन में बदल दिया जाये तो उस से सरकार को अधिक आय होगी और जनता के लिये भी वह सहायक होगी।

अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को लागू किया जाना चाहिये और जिन्हें पदानवत किया गया है उन्हें उच्च पदों पर तरक्की दी जानी चाहिये।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता दक्षिण-पश्चिम) : दक्षिण-पूर्व रेलवे के निर्माण विभाग के मुख्यालय को कलकत्ता से बिलासपुर ले जाने का प्रस्ताव ठीक नहीं है। जो परियोजनायें विभाग द्वारा कार्यान्वयन के लिये शेष बची हैं उन में से अधिकांश पश्चिम बंगाल में स्थित हैं और कार्यालयों को हटाये जाने का कोई भी कारण समझ में नहीं आता। इस स्थानान्तरण का ७५० कर्मचारियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस के अतिरिक्त स्थायी कर्मचारियों को कुछ वित्तीय हानि होगी। सरकार का यह निर्णय ठीक नहीं है और उस के सम्बन्ध में पुनः विचार किया जाना चाहिये। बिलासपुर एक छोटा सा स्थान है वहां जगह भी तो नहीं है जहां कि इतने लोग रह सकें।

एक निवेदन और भी है कि रेलवे कर्मचारियों को अपने जीवन बीमे का प्रीमीयम अपने वेतनों से कटाने की सुविधा दी जानी चाहिये। मालूम हुआ है कि यह सुविधा पहले दी जाती थी लेकिन जीवन बीमा निगम बनने के बाद से इसे बन्द कर दिया गया।

धातु निर्मित डिब्बे यहां की जलवायु के लिये बिल्कुल भी अनुकूल नहीं हैं भले ही वे किसी और दृष्टि से अच्छे हों। अतः इनका प्रचलन बढ़ाने से पूर्व एक बार फिर से विचार कर लेना चाहिये।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिस्सार) : यह बड़े दुःख की बात है कि सरकार उन क्षेत्रों की उपेक्षा कर रही है जहां कई मीलों तक रेल की सुविधा नहीं है। मैं दिल्ली गुड़गांव लाइन के अभाव की ओर सदन का ध्यान दिलाता रहा हूं। कहा गया था कि दूसरी योजना में इस पर ध्यान दिया जायेगा परन्तु अभी तक कुछ नहीं हुआ। यह राज्य सरकार का काम नहीं है। इस पर रेलवे प्रशासन को ध्यान देना चाहिये।

होडल नगर में जो एक बड़ी मंडी है, १९५५ में बिजली आ गई थी किन्तु स्टशन पर अभी बिजली नहीं लगी। न ही वहां दो लाइनों के बीच ऊपर का पुल है।

हिस्सार में ऊपर का पुल बनाने का आश्वासन दिया गया था, दो साल हो चुके हैं, अभी तक नहीं बनाया गया। रेलवे ने फाटक लगा रखे हैं, जो कई कई घंटे बन्द रहते हैं और शहर से एक भाग से दूसरे भाग में जाने वाले लोगों को बहुत असुविधा होती है और उन का समय नष्ट होता है। पुल बना कर रेलवे को यह शिकायत तुरन्त दूर करनी चाहिये, इस पर खर्च भी अधिक नहीं आयेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टयम): नई लाइनों के बारे म हम ने कई शिकायतें सुनी हैं। केरल राज्य में कोचीन पत्तन को मदुरै से, त्रिवेन्द्रम को टिन्नवेली से और एरणाकुलम को मवेलिक्करा से मिलाने वाली लाइनों से निर्माण की मांग बहुत समय से चली आ रही है। इन लाइनों का कार्य यथा-शीघ्र प्रारम्भ किया जाना चाहिये। क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण क्षेत्रों में हैं।

क्विलोन-एरणाकुलम लाइन पर, जो कुछ वर्ष पहले खोली गई थी, नये स्टेशन स्थापित करने की आवश्यकता है। कपीथुरुथी नाम के स्थान का मैं विशेष रूप से उल्लेख करूंगा, क्योंकि यह जंक्शन है और यहां कई सड़कें मिलती हैं।

एरणाकुलम जंक्शन के पुनर्निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि यह इमारत बहुत पुरानी है। इस में विश्राम के कमरे और अन्य सुविधायें भी देनी चाहियें।

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रैस में, जो दिल्ली से मद्रास तक जाती है, कोचीन के लिये एक सीधा डिब्बा जोड़ देना चाहिये। इसी तरह बम्बई और कोचीन के बीच चलने वाली एक जनता गाड़ी होनी चाहिये।

एरणाकुलम-क्विलोन लाइन पर सभी डिब्बे पुराने होते हैं। बारिश का पानी अन्दर आता है। कुछ नये डिब्बे लगाने चाहियें।

†**डा० सामन्त सिंहार** (भुवनेश्वर): रेलवे मंत्री और उप मंत्री पिछले ५ वर्षों के काम के लिये बधाई के पात्र हैं। उन के मंत्रालय में शिकायतों पर तुरन्त ध्यान दिया जाता है।

यह कोई अनुचित बात नहीं है यदि रेलवे मंत्री का जन्म दिन मनाया जाये, क्योंकि वे देश के ऊंचे देश भक्तों में से एक हैं।

रेलवे प्रशासन को अपने उच्च एवं निम्न दोनों स्तरों के अधिकारियों को कदाचरण से बचाये रखने का प्रयत्न करना चाहिये। कुछ मंत्रालयों में सचिवों ने अपने रिश्तेदारों को फर्मों के प्रतिनिधि बनवा रखा है। यह प्रथा बन्द होनी चाहिए। इसी तरह मामूल की प्रथा भी समाप्त होनी चाहिये।

चेन खींचने सम्बन्धी नियम कुछ अधिक उदार बनाये जाने चाहियें ताकि लोगों को अनावश्यक कठिनाई न हो। तथाकथित अवैध प्रयोग के कारण लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है।

रेलवे लाइनों के मामले में उड़ीसा एक उपेक्षित राज्य है। इस राज्य में रूरकेला से तलचेर और खुर्दा रोड से तितलागढ़ तक लाइनें बनाई जानी चाहियें।

रेलवे की भोजन व्यवस्था के सुधार के लिये कदम उठाये जायें।

दक्षिण-पूर्व रेलवे में कुछ स्टेशनों की हालत बहुत खराब है, उनके सुधार के लिये कदम उठाने चाहियें।

श्री राम जी वर्मा (देवरिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले से आता हूं जहां से कि हजारों और लाखों की संख्या में हमारे मजदूर भाई असम के चाय बागान में, कलकत्ता में, हावड़ा, सियालदाह स्टेशनों तथा बम्बई की सड़कों पर और दक्षिण भारत में कोयले की खानों में रोजी कमाने के लिये जाते हैं। चूंकि वे लोग गरीब और अनपढ़ होते हैं इसलिये उन को बहुत ही दिक्कतों और असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। यह तो ठीक है कि वे रोजी कमाने के लिये उन स्थानों में जाते हैं लेकिन रोजी कमाने के ही बहाने वे राष्ट्र निर्माण का कितना बड़ा काम कर रहे हैं इसे भुलाया नहीं जा सकता। इस विषय में मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि जिस तरीके

†मूल अंग्रेजी में

[श्री राम जी वर्मा]

से राष्ट्रीयता को सुदृढ़ बनाने के लिये विद्यार्थियों को और टीचर्स को अधिक से अधिक भ्रमण की सुविधायें व रियायतें दी जाती हैं, उसी प्रकार की सहूलियतें और रेल भाड़े आदि में रिआयत इन गरीब मजदूरों को भी दी जाय जोकि मुल्क के विभिन्न स्थानों में काम करने के लिये जाते हैं। उन्हें भी किराये की रिआयत व अन्य सहूलियतें प्रदान की जायें। ऐसा कर के आप उन हजारों और लाखों गरीब लोगों को सहारा व सहायता प्रदान करेंगे जोकि देश के विभिन्न कोनों में राष्ट्र निर्माण के कार्यों में लगे हुए हैं।

मैं रेलवे मंत्री महोदय का ध्यान एक अन्य आवश्यक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं उस जिले से आता हूं जहां से कि थोड़ी ही दूर पर महात्मा बुद्ध का निर्वाण स्थल है। पार्लियामेंट के प्रथम सत्र अर्थात् सन् १९५२ से ही किसी न किसी बहाने मंत्री महोदय का ध्यान उधर कुशीनारा की तरफ आकर्षित किया जाता रहा है कि वहां बर्मा, सीलोन तथा अन्य जगहों से विदेशी यात्री बराबर हर साल आते रहते हैं और इस दृष्टि से वहां एक रेलवे लाइन की बहुत आवश्यकता है। जब शास्त्री जी रेलवे मंत्री थे तो उन्होंने उस के लिये सर्वे कराने का आश्वासन दिया था। अपनी स्पीच में उन्हों ने उस का जिक्र किया था। लेकिन वह सर्वे हो कर अब तक क्या हुआ और उस के निर्माण में क्या प्रगति हुई कुछ कहा नहीं जा सकता है। सन् १९५२ से बराबर अब तक रेलवे मंत्रालय का ध्यान उधर आकर्षित किया जा रहा है। इतना ध्यान आकर्षित करने और प्रार्थना व स्तुति करने के बाद मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वह काम कब पूर्ण होगा।

इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि वहां बाहर के यात्री आते हैं वहां देवरिया स्टेशन पर एक रिटायरिंग रूम के लिये कहा गया था। यह संतोष का विषय है कि वहां पर रिटायरिंग रूम बन गया है। नार्थ ईस्टर्न रेलवे की कंसलटेटिव कमेटी में मंत्री महोदय, जनरल मैनेजर और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन का ध्यान इस ओर दिलाया गया कि चूंकि वह एक छोटी जगह है इसलिये वहां के रिटायरिंग रूम का किराया साढ़े ७ रुपये से घटा कर ५ रुपये करना चाहिये और एक बैड का, ढाई रुपये होना चाहिये। एक तरीके से इस मांग को मान लेने के बावजूद भी अभी तक यह बात नहीं हो सकी है। समझ में नहीं आता कि आखिर बात क्या है और इस के करने में इतनी देरी क्यों होती है? कंसलटेटिव कमेटी की बातें क्यों भुला दी जाती हैं? मैं समझता हूं कि मंत्री जी उधर ध्यान देंगे और इस मांग को मंजूर कर लेंगे।

देवरिया सदर रेलवे स्टेशन पर एक रेफ्रेशमेंट रूम खोलने की बात कही गई थी। देवरिया एक छोटा कस्बा है। वहां पर रेफ्रशमेंट रूम की व्यवस्था के अभाव में बाहर से आने वाले लोगों को काफी असुविधा रहती है क्योंकि उन के लिये वहां पर चाय और नाश्ता आदि करने की माकूल व्यवस्था नहीं है। वहां पर यह रेफ्रशमेंट रूम खोलने की बात को भी मान लिया गया था लेकिन अभी तक यह नहीं हो सका है। चूंकि मौजूदा पार्लियामेंट का यह आखिरी सत्र है इसलिये मैं एक बार पुनः रेलवे मंत्री महोदय का ध्यान उधर आकर्षित करना चाहता हूं।

जहां तक डिपार्टमेंटल कैटरिंग का ताल्लुक है यह सुचारु रूप से नहीं चल रही है और हालत यह है कि यह घाटे में चल रही है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आखिर यह कैटरिंग डिपार्टमेंट कब तक घाटे में चलता रहेगा। मैं तो अपने जाती अनुभव के आधार पर यह कह सकता हूं कि डिपार्टमेंट्ल कैटरिंग की अपेक्षा प्राइवेट कैटरिंग अधिक अच्छी तरह से चलती है और ग्राहकों को भी वहां पर चाय, पानी और भोजन आदि के मामले में अधिक सुविधा महसूस होती है। इसलिये मेरा तो रेलवे मंत्रालय को सुझाव है कि पहले वह अन्य चीजों का राष्ट्रीयकरण करें अर्थात् उन का

इंतजाम सरकार अपने हाथ में ले लेकिन कैटरिंग का काम प्राइवेट लोगों के हाथ में दे कर चलवायें क्योंकि डिपार्टमेंटल कैटरिंग का काम कुछ ठीक तरीके से नहीं चलता है और उसमें घाटा भी होता है ।

मैं अपने जिले की एक और छोटी सी बात की ओर रेलवे मंत्रालय का ध्यान दिलाना चाहता हूं । गोरखपुर से पडरौना जाने वाली लूप लाइन पर जो बड़हरागंज रेलवे स्टेशन पड़ता है उस को पक्का स्टेशन बनाने की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है । वह फ्लैग स्टेशन है और छप्पर का बना हुआ है और बावजूद इस बात के कि वहां पर पक्का स्टेशन बनाने की मांग बहुत दिनों से की जा रही है अभी तक वह पक्का नहीं किया जा सका है । मेन लाइन पर जहां के लोगों की मांग भी नहीं होती है वहां पर तो स्टेशन के बाद स्टेशन बना दिये जाते हैं और बनते चले जाते हैं लेकिन जहां के लिये जनता की मांग होती है वहां पर कोई सुनवाई नहीं होती है । वहां पर छोटा मोटा चर्खे करघे का काम भी होता है और वहां की जनता उस की मांग भी करती है तो भी वहां पर नहीं बनाया जाता है और अन्यत्र स्टेशन्स बनाते चले जा रहे हैं । मैं एक बार पुनः रेलवे मंत्री महोदय का ध्यान उस छोटे स्टेशन बड़हरागंज के निर्माण की ओर दिलाना चाहता हूं ।

कोयले, सीमेंट आदि के लिये वैगन्स सप्लाई किये जाने के बारे में कुछ और भाइयों ने कहा है । मैं अपने जिले की बाबत बतलाऊं कि वहां लोगों का ध्यान निर्माण कार्यों की तरफ हो गया है । ईंट तैयार करने के लिये वे कोयला चाहते हैं । उन में शिक्षा इतनी है कि बगैर कोयले की सप्लाई की व्यवस्था किये वे ईंटें गढ़ने का काम शुरू कर देते हैं और फिर सरकार के पास और सप्लाई अफसर के पास कोयले के लिये दौड़ते हैं और उन को निराश होना पड़ता है और कोयला न मिल पाने के कारण हजारों लाखों की संख्या में गढ़ी हुई ईंटें बरसात होने से गल जाती हैं । लोक निर्माण कार्य में इतना लगे हैं कि वे अपने घर, स्कल, पुलिया और कुएं आदि बनाने के लिये ईंट तैयार करते हैं लेकिन गवर्नमेंट कोयले के वैगन्स की सप्लाई रोक कर सब काम मिट्टी कर देती है और कोयला न मिलने के कारण बरसात में वह तमाम बनी बनाई ईंटें फिर गल जाती हैं ।

अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने बजट में ईंटों पर टैक्स लगा दिया है और इस से उन के निर्माण कार्य में एक तरह का ब्रेक सा लगाया है । राज्य सरकार इस तरह से टैक्स लगा कर और केन्द्रीय सरकार कोयला न पहुंचा कर क्योंकि रेलवे मंत्रालय कोयले के वास्ते जरूरी वैगंस सुलभ नहीं कर पाता है उन को राष्ट्र निर्माण कार्यों के लिये उत्साहित करने के बजाय उलटे अनुत्साहित करती हैं ।

उनका श्रम बेकार जाता है और उनका किया कराया काम बरसात आ जाने से पानी में तबाह हो जाता है । आप देश के निर्माण कार्य के हेतु बड़ी बड़ी योजनायें बना रहे हैं । आप ने पहली योजना, दूसरी योजना और तीसरी योजना बनाई है और आप जनता का उन योजनाओं को पूरा करने के लिये सक्रिय सहयोग चाहते हैं । नव भारत के निर्माण के लिये आप जनता को उत्साहित करना चाहते हैं लेकिन मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि क्या वह जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिये वांछनीय कदम उठा रही है ?

अब मैं और अधिक न कहते हुए फिर अपनी सरकार और रेलवे मंत्रालय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि अगर भारत में आप को राष्ट्रीयता कायम रखनी है और प्रान्तीयता की भावना बढ़ने नहीं देना चाहते हैं तो आप को चाहिये कि लोगों को यात्रा के सम्बन्ध में और अधिक सुविधायें प्रदान करें ताकि उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी और पश्चिमी भारत के निवासी अर्थात्, बंगाल, पंजाब, असम, महाराष्ट्र और मद्रास आदि के रहने वाले भ्रमण कर के एक दूसरे के साथ घुल

[श्री राम जी वर्मा]

मिल सकें। उन को यात्रा सम्बन्धी सब सुविधायें दी जानी चाहियें क्योंकि जब वे एक दूसरे की तरफ आयेंगे और जायेंगे तो विचारों आदि का उन में परस्पर आदान प्रदान होगा और प्रान्तीयता की भावनायें न पनप सकेंगी और उन में राष्ट्रीयता की भावना का उदय होगा। मेरा तो कहना है कि आप हर साल टैक्स पर टैक्स बढ़ा कर और रेलवे फेयर्स बढ़ाने की चिन्ता ही न करें। यह रेलवे विभाग आप का नफे का विभाग है और आप ने हर साल बहुत नफा इस डिपार्टमेंट से किया भी है और कर भी रहे हैं। किन्तु यात्रा पर प्रतिबन्ध आप न लगायें, विद्यार्थियों को आप सुविधा दें, अध्यापकों को सुविधा दें, मजदूरों को सुविधा दें ताकि लोगों को आदान प्रदान बढ़ें। इस से राष्ट्रीयता की भावना बढ़ेगी और सचमुच में जिस प्रकार के भारत का आप निर्माण करना चाहते हैं, सुन्दर भारत का नक्शा अपने सामने रखे हैं, उस प्रकार के भारत का आप निर्माण कर सकेंगे और उस नक्शे को बना हुआ अपने सामने पा सकेंगे।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : बिहार और बंगाल कोयला-क्षेत्रों में कोयला ढोने के लिये दिये गये माल के डिब्बों में कोई दो हज़ार की कमी है। यद्यपि सरकार ने प्राथमिकता इस्पात, यंत्रों तथा कोयला धोने के कारखानों को दी है, दूसरे उद्योगों, जैसाकि कास्टिक सोडा, रसायन उद्योग आदि को कोयले के समूचे रूप से आवंटन में कमी से हानि हुई है। मैं रेलवे मंत्री से प्रार्थना करूंगी कि वह इस स्थिति की जांच करें और अड़चन को दूर करें।

खड़गपुर और हाल्दिया को रेल द्वारा मिलाना आवश्यक है यदि वह उत्पादित कोयले का लाभ उठाया जाना है। इन के बीच सड़कें बनाना भी आवश्यक है। इन के लिये रेलवे को भूमि ली जाये।

टालीगंज पुल को और ऊंचा करने की आवश्यकता है, ताकि सड़क का रास्ता निकल आये और वर्षा में काम आ सके।

निन्दाई तथा मेलान चपारन 'फ्लैग' स्टेशनों के सम्बध में सहानुभूति से विचार किया जाये, चाहे उनसे किसी आय की प्राप्ति न हो। ये स्टेशन विद्यार्थियों के लिये उपयोगी हैं।

प्लासी स्टेशन पर एक ऊपरी पुल अवश्य बनना चाहिये, क्योंकि वहां बहुत दुर्घटनाएं हो रही हैं। अस्पतालों के पास फाटकों पर चौकीदार भी अवश्य रखने चाहियें।

नवद्वीप की ओर तथा कृष्णगढ़ से कलकत्ता तक तेज़ गाड़ियों की व्यवस्था होनी चाहिये।

गाड़ियों में विशेष कर लम्बी यात्राओं में यात्रियों को इडली और दोसा खिलाने का प्रबन्ध होना चाहिये।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** (पुरी) : माल डिब्बों की कमी के कारण दक्षिण-पूर्व रेलवे लाइन के वर्जमादार विभाग के खान-क्षेत्र में ३ लाख टन कच्चे लोहे का संग्रह इकट्ठा हो गया है। इससे खानों के चलाने में कठिनाई उत्पन्न हो गई है। इन्हें इस्पात मिलों या कलकत्ता पत्तन तक पहुंचाने का प्रबन्ध होना चाहिये। मजदूरों की छंटनी भी की जा रही है। आशा है कि रेलवे इस प्रश्न की जांच करके माल डिब्बों के दिये जाने की व्यवस्था सम्बन्धी आवश्यक सहयोजन का कार्य करेगा।

कुछ मास पहले एक गाड़ी में पहले दर्जे के डिब्बे में पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र की हत्या के बारे में जो जांच हुई है, उसके सम्बन्ध में कुछ प्रकाश डाला जाना चाहिये, क्योंकि पिछले ८ महीनों से किसी अपराधी को नहीं पकड़ा गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

कटक रेलवे स्टेशन के फाटक के पास एक नीचे का पुल बनाया जाना चाहिये ।

हावड़ा से वाल्टेयर तक जाने वाली ३२६ अप और डाउन गाड़ियों को बिना विलम्ब फिर से शुरू किया जाये ।

सरकार को बताना चाहिये कि खुर्दा रोड या विशाखापत्तनम के स्थानों पर विभागीय कार्यालय खोले जान चाहियें ।

मुकिन्द में कच्चे लोहे के क्षेत्रों को बड़ी लाइनों से मिलाने के बारे में स्थिति स्पष्ट की जाये ।

†**श्री ओझा** (जालावाड़) : रेलवे का कर्मचारीवृन्द तो बढ़ रहा है किन्तु जितनी उनकी संख्या बढ़ रही है, उतनी ही कार्यक्षमता कम हो रही है । और हम इस बात की ओर उचित ध्यान भी नहीं दे रहे ।

सौराष्ट्र ही एक ऐसा क्षेत्र है, जिसे स्वतन्त्रता के बाद कुछ लाभ नहीं पहुंचा । एक भी नई लाइन नहीं खोली गई । वास्तव में सुविधाएं कुछ कम कर दी गई हैं । खेद की बात है कि तारापुर और भावनगर के बीच बड़ी लाइन के लिये सर्वेक्षण किया गया था किन्तु इस योजना का काम आरम्भ नहीं किया गया ।

कोयले के लिये अपेक्षित परिवहन सुविधाओं के उपलब्ध न होने से सौराष्ट्र को बहुत हानि पहुंची है । उस क्षेत्र में डिब्बों के सम्भरण में बहुत कमी कर दी गई है । आशा है अधिक संख्या में डिब्बों की व्यवस्था की जायेगी ।

सुरेन्द्र नगर तथा वीरमगांव के बीच जो दो रेल गाड़ियां चला करती थीं । उन्हें फिर से चलाया जाये ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसीरहाट) : श्री पाणिग्रही ने बर्जमादा क्षेत्र में माल के डिब्बों की कमी की ओर निर्देश किया है । बर्नपुर और कुल्टी में भी कच्चे लोहे के जमा हो जाने के कारण और माल डिब्बे उपलब्ध न होने के कारण गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है । यदि इस्पात मिलों की आवश्यकताएं पूरी नहीं की जा सकतीं, तो अन्य कम महत्वपूर्ण उद्योगों की क्या हालत होगी । भार लादने वाले श्रमिकों को कुछ समय के लिये काम से हटाये जान को धमकी भी मिल चुकी है । डिब्बों के सम्भरण का कोई उपाय निकाला जाना चाहिये ।

दूसरा महत्वपूर्ण विषय रेलवे के १.६ लाख सामयिक श्रमिकों का है, जिनको कई वर्षों से सामयिक श्रमिकों को रखा जा रहा है । इस सम्बन्ध में वेतन आयोग की सिफारिश को उचित रूप से क्रियान्वित करना चाहिये ।

खड़गपुर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिये, बावजूद हमारे अभ्यावेदन के, अभी तक कुछ नहीं किया गया है । अतः इस बारे में ध्यान देना चाहिये । खेद की बात है कि सामयिक श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत मजूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है । रेलवे पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारणों तथा लाइनों और इंजनों के बनाये रखने के सारे सवाल की पूरी पूरी छानवीन की जाये । रेलवे कर्मचारियों के लिये विशेष छुट्टियों के सवाल पर सावधानी से विचार किया जाये । इस तथ्य मे कि उन को आसानी से छुट्टी नहीं दी जाती है, कर्मचारी वर्ग की सम्भाव्य कमी का पता चलता है । खड़गपुर पर जल सम्भरण के प्रबन्ध शीघ्र किये जायें । कलकत्ता क्षेत्र में बेलाधरिया पर ऊपरी पुल शीघ्र बनाया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

कनमीनारा तथा श्यामनगर के बीच एक दो हाल्ट स्टेशन भी बनाये जायें । अन्त में मेरा निवेदन है कि बसीरहाट रेलवे को कलकत्ता से मिला दिया जाये ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : माननीय सदस्यों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं । एक प्रश्न वैगनों के आवागमन, कोयले का भेजना, तथा सामान्य परिवहन का प्रश्न उठाया गया है । रेलवे द्वारा दूर-दूर के क्षेत्रों से उस सब कोयले के ढोने के प्रबन्ध किये गये हैं । इनमें सिंग्रेजी की तथा अन्य कोयला खानें भी शामिल हैं । कच्चे कोयले के कोयला धोने के कारखानों तक तथा धुले हुए कोयले के इस्पात संयंत्रों तक पहुंचाने के प्रबन्ध भी पूर्णतः किये गये हैं । वर्ष १९६०-६१ की अपेक्षा १९६१-६२ में वैगनों के आवागमन में वृद्धि हुई है । तीसरी योजना में भी १२११ वैगनों की वृद्धि होगी ।

दूसरी वस्तुओं के बारे में रजिस्टर की गई मांगों में समूचे रूप से काफी कमी हुई है । पूरी न की गई मांगों की संख्या अभी तक बहुत अधिक है ।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं ।]

इस्पात संयंत्रों के लिये अपेक्षित कच्ची वस्तुओं को प्राथमिकता दी जा रही है । चाहे कितनी ही दुर्घटनाएं क्यों न हों इस्पात संयंत्रों का सम्भरण ज्यों का त्यों बना रहेगा । हमारे पास ९६० वैगन हैं जो इस्पात संयंत्रों के लिये माल ले जाते रहेंगे । कभी-कभी हमारे सामने एक कठिनाई आती है और वह है अनुसूची के अनुसार वहन के लिये वस्तुओं का न मिलना ? दुर्गापुर को माल इसलिये न पहुंच सका क्योंकि बाक्स वैगन नहीं मिल सके । रूरकेला को कोयला इसलिये न मिल सका क्योंकि बरमुझा खान में ठीक समय पर काम शुरू न हुआ ।

जहां तक इस्को की बात है । हमने उन्हें बाक्स वैगन दिये लेकिन उन्होंने इन्हें लेने से इंकार कर दिया । उनके पास कच्चे माल की कमी नहीं है ।

सामयिक श्रमिकों की संख्या निरन्तर इसलिये बढ़ रही है कि सारे देश में चारों ओर निर्माण कार्य बढ़ रहा है ।

जो कुछ भी कमियां हमारे काम में रह गयी हों उसे तो हमें मानना ही चाहिए । कारण यह है कि मध्य भारत के कोयला उत्पादन क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाया नहीं जा सका, परन्तु यह सन्तोष की बात है कि बिहार और बंगाल से अधिक से अधिक कोयला निकाला गया । अब कठिनाई यह रही कि कोयला बाहर ले जाने के लिए लाइन क्षमता नहीं थी । इन क्षेत्रों में लाइन के सामर्थ्य के सम्बन्ध में कठिनाइयों को प्रायः अनुभव किया गया है । इसके अतिरिक्त एक और कठिनाई रविवार को भार लादने के बारे में पैदा हुई है । लादने के लिये गाड़ियों की व्यवस्था नहीं की जा सकी । कोयला क्षेत्र में जो भयंकर आग लगी उससे भी काफी हानि हुई ।

सबसे अधिक जो इस दिशा में महत्वपूर्ण बात है वह यह कि कार्यक्रम के अनुसार सप्ताह के प्रत्येक दिन माल लदवाया जाना था, परन्तु गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा इस बारे में कोई सहायता नहीं दी गयी । यहां तक कि श्रमिकों से भी कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो सका । इस तरह वर्ष में ५२ रविवारों को कोयले का लदान न हो सका । इससे जो हानि हुई उसका आप अनुमान लगा सकते हैं और उस पर हमारा कोई बस भी नहीं है । अब हमने इस दिशा में अपेक्षित तेजी से कार्य आरम्भ कर दिया है, परन्तु फिर भी कठिनाइयों का सामना तो करना ही है ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या कोयले की कमी के कारण सीमेन्ट के उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जैसा कि एक बार सदन में माननीय उद्योग मंत्री महोदय ने फरमाया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** इस दिशा में रेलवे ने अपने लक्ष्य पूरे किये हैं, परन्तु इस दौरान में जो मांग बढ़ी है इसका अनुमान पहले नहीं था, अतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य पूरे न हो सके, यह बात बिल्कुल नहीं है। यह बात भी ठीक है कि माल के डिब्बे अपेक्षित मात्रा में तैयार न हो सके। और इस कमी का एक कारण अपेक्षित प्रकार के इस्पात का अभाव था। परन्तु अब इसके लिए विदेशों में आदेश दिये गये हैं। अब यह क्षमता आशा की जाती है २६००० गाड़ियों से बढ़ कर ३५००० से ३६००० तक हो जायेगी। वैसे माल डिब्बों का निर्माण काफी तेजी से हो रहा है और पूरी आशा है कि कमी शीघ्र ही पूरी हो जायेगी।

इसके अतिरिक्त एक सामान्य प्रश्न नई लाइनों का था। योजना आयोग ने नई लाइनों के प्रश्न पर विचार किया है तथा कुछ कामों का अनुमोदन भी किया है। उन कामों को तुरन्त ही आरम्भ कर दिया जायेगा। जब निधियां उपलब्ध हो जायेंगी तो नई लाइनों के बनाने का काम आरम्भ हो जायेगा। उपरि पुलों के बारे में मेरा निवेदन यह है कि रेलवे इस दिशा में केवल उपरि पुलों के मार्गों के बीच कड़ी बनाने का काम करती है। और कठिनाई यह है कि इसे सम्बन्धित राज्य अथवा परिवहन तथा संचार मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजपथ, अथवा राज्य पथों पर करना होता है। रेलवे द्वारा तो इस प्रकार की कड़ियों का चार स्थानों पर निर्माण कर लिया गया है परन्तु राज्य सरकारों द्वारा इस बारे में कुछ नहीं हुआ है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए।]

यदि राज्य सरकारों ने अपेक्षित धन राशि को व्यवस्था कर दी तो रेलवे उन्हें बनवाना आरम्भ कर देगी। श्री तमैय्या का यह कहना कि दक्षिण को गाड़ियां बहुत कम दी जाती हैं यह गलत है। यह उत्तर और दक्षिण भारत में भेदभाव पैदा करने वाली बात है जिसे ठीक नहीं कहा जा सकता। निर्धारित सूत्र के अनुसार गाड़ियों का वितरण कर दिया जाता है और इस बारे में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। एक प्रश्न छोटी लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने का भी है। इस दिशा में मेरा निवेदन है कि कोलार जिला में छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के सवाल पर विचार किया गया है और यह देखा गया है कि इससे लाभ के स्थान पर हानि अधिक होने की सम्भावना है।

मैं इस बात का आश्वासन देता हूं कि यदि रेलवे कार्यालयों को कलकत्ता से बिलासपुर लाया गया तो रेलवे कर्मचारियों के हितों का पूरा ध्यान रखा जायेगा। तीसरे दर्जे के यात्रियों को सुविधा देने तथा अधिक गाड़ियां चलाने वाली बातें मंत्रालय के समक्ष आ चुकी हैं। व्यावहारिक कठिनाइयों के बावजूद इस दिशा में जो कुछ संभव है वह किया ही जा रहा है। मंत्रालय इस बात का पूरा प्रयत्न कर रहा है कि यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधायें देकर रेलवे की यात्रा को जहां तक सम्भव हो आरामदेह और रोचक बनाया जाय।

रेलवे मंत्रालय रेल यात्रियों की कठिनाइयों को अच्छी तरह समझता है। वह रेल यात्रा में को अधिक से अधिक सुखमय बनाने का प्रयत्न करता रहेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अध्यक्ष महोदय द्वारा रेलवे की लेखानुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
१	२	३
		रुपये
१	रेलवे बोर्ड	२६,७०,०००
२	विविध व्यय	७०,६२,०००
३	चालू लाइनों तथा अन्य को भुगतान	७,०२,०००
४	कार्य-संचालन व्यय—प्रशासन .	१०,०४,११,०००
५	कार्य-संचालन व्यय—मरम्मत तथा साधारण	३२,१४,०३,०००
६	कार्य-संचालन व्यय—चालक कर्मचारी . .	१९,३६,११,०००
७	कार्य-संचालन व्यय—संचालन (ईंधन) . .	२०,६५,६१,०००
८	कार्य-संचालन व्यय—कर्मचारी तथा ईंधन के अतिरिक्त अन्य संचालन व्यय . . .	६,९१,९५,०००
९	कार्य-संचालन व्यय—विविध व्यय . . .	७,५०,७२,०००
१०	कार्य-संचालन व्यय—श्रम कल्याण . .	२,९५,५५,०००
११	कार्य-संचालन व्यय—अवक्षयण रक्षित निधि में विनियोग	१६,७५,००,०००
१३	खुली लाइनों का निर्माण-कार्य (राजस्व)—श्रम कल्याण .	३७,१८,०००
१४	खुली लाइनों का निर्माण-कार्य (राजस्व)—श्रम कल्याण के अतिरिक्त .	२,७५,२०,०००
१५	नई लाइनों का निर्माण . . .	१२,८९,८१,०००
१६	खुली लाइनों का निर्माण-कार्य—परिवर्धन	८९,६१,६९,०००
१७	खुली लाइनों का निर्माण-कार्य—बदलना	२७,८३,३२,०००
१८	खुली लाइनों का निर्माण-कार्य—विकास निधि . .	५,७४,५०,०००

विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक

†**श्री शाहनवाज़ खां :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के एक भाग के लिये रेलवे सम्बन्धी व्ययके लिये, भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के एक भाग के लिये रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के एक भाग के लिये रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ के एक भाग के लिये रेलवे सम्बन्धी व्यय के लिये भारत की संचित निधि में से कुछ राशियों को निकालने की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १ से ३, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र, और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**श्री शाहनवाज खां** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि अधिवक्ता अधिनियम, १९६१ में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजरनवीस]

इस अधिनियम के अन्तर्गत, यह कहा गया था कि केन्द्रीय सरकार विभिन्न उपबन्धों को लागू करने के लिए भिन्न-भिन्न तिथियां निश्चित करेगी । समस्या यह थी कि एक अखिल भारतीय विधि जीवी परिषद् बनाई जाये और प्रत्येक राज्य में भी एक राज्य विधि जीवी परिषद् बनाई जाये । आशा यह थी कि अखिल भारतीय हमारी अवधि समाप्त होने से पहले बन जायेगी । किन्तु कुछ कठिनाई उत्पन्न हो गई है । यह भी आशा थी कि १-१२-६१ तक सब राज्य परिषदें भी बन जायेंगी । किन्तु १५ परिषदों में से एक सितम्बर में आसाम में बनी । दो मद्रास और उड़ीसा में अक्तूबर में बनीं । ६ नवम्बर में और पांच दिसम्बर में बनीं । केवल पश्चिम बंगाल में अभी नहीं बनी । हमें सूचना मिली है कि चुनाव मार्च १९६२ में होगा । इस बीच बहुत से लोग इस व्यवसाय में आना चाहते थे ।

चूंकि अखिल भारतीय विधि जीवी परिषद् का अनुमोदन आवश्यक था, इस लिए वे इस व्यवसाय में प्रवेश नहीं कर सकते थे । इन कठिनाइयों को एक अध्यादेश द्वारा दूर करना आवश्यक समझा गया था । इसके द्वारा प्रवेश करने की अनुमति देने का अधिकार फिर उच्च न्यायालयों को दे दिया गया था ।

धारा ५८(२) में कहा गया है कि यदि नियम न भी बने हों, राज्य विधान परिषदें अधिवक्ताओं की सूची में दाखिल कर सकेंगी ।

अधिवक्ता अधिनियम का अध्याय ४ अभी लागू नहीं हुआ। इसलिए खंड (३) में उपबन्ध किया गया है कि किसी अधिवक्ता के उच्च न्यायालय का अधिवक्ता बनने पर, उस अध्याय के लागू होने तक उच्चतम न्यायालय में भी उपस्थित होने का अधिकार होगा । एक और संशोधन द्वारा जो कि धारा ५९ में है, केन्द्रीय सरकार ने ऐसे उपबन्ध करने की शक्ति ले ली है जो मूल अधिनियम से असंगत न हों ।

खंड २ केन्द्रीय विधायिनी सेवा के बारे में है । धारा ५४ का संशोधन, उन शब्दों को हटाने के बारे में है जो मनोनीत सदस्यों के सम्बन्ध में है, क्योंकि अब मनोनीत सदस्य नहीं होंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद): क्या अधिनियम के अन्तर्गत नियम बना दिये गये हैं ?

†**श्री हजरनवीस** : हमें नियम बनाने की शक्ति नहीं है । हम ने कुछ आदर्श नियम उच्च-न्यायालयों में परिचालित किये थे, ताकि राज्य परिषदें अपने नियम बना सकें ।

†**श्री न० र० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : क्या अखिल भारतीय परिषद् ने कोई नियम बनाये हैं ?

†**श्री हजरनवीस :** नहीं ।

मुझे अभी जानकारी प्राप्त हुई है कि पश्चिमी बंगाल में राज्य परिषद् २८-२-६२ को बना दी गई है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन): यह विधेयक जब अपने मूल रूप में सभा में प्रस्तुत किया गया था तो सामान्यत: सभी पक्षों की ओर से इसका स्वागत किया गया था। सौभाग्य से विधि मंत्रालय को दो विशेषज्ञों की सलाह उपलब्ध है, यह सौभाग्य अन्य मंत्रालयों को प्राप्त नहीं है, तथापि यदि उन्होंने इन उपबंधों पर अधिक ध्यान दिया होता तो यह संशोधन विधेयक इस रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता।

मूल विधेयक पारित होने के कुछ ही महीने पश्चात् अत्यन्त सामान्य त्रुटियों के लिये संशोधन करना अच्छा पूर्वदृष्टांत उपस्थित नहीं करता है। वस्तुत: यह बात तो मंत्री महोदय को पहिले ही से जान लेनी चाहिये थी। यदि विधि मंत्रालय ही इस प्रकार के दृष्टांत उपस्थित करेगा तो इसका प्रभाव अन्य मंत्रालयों पर अच्छा नहीं पड़ेगा।

इस विधेयक का एक पहलू और भी है। यह कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय की पंजी में दिसम्बर १९६१ के पूर्व दर्ज हुए अधिवक्ताओं पर ये नियम लागू नहीं होंगे। मेरे विचार से यह उचित नहीं हैं। विधेयक के कुछ उपबंध उन अधिवक्ताओं के लिये जो कि मूल विधेयक के लागू होने के पहिले ही काम कर रहे हैं भूतलक्षी अवधि से जारी होने चाहिये।

केन्द्रीय विधि सेवा के सम्बन्ध में कहीं भी कोई परिभाषा या स्पष्टीकरण नहीं किया गया है कि हम यह जान सकें कि उसके लिये क्या अर्हतायें रखी गयी हैं। मैं चाहता हूं कि विधि मंत्री इस सम्बन्ध में उचित प्रकाश डालें।

†**श्री हजरनवीस**: मुझे विदित हुआ है कि इस सम्बन्ध में नियम बन गये हैं। तथापि केन्द्रीय विधि सेवा में प्रवेश करने के पूर्व उसको अधिवक्ता या न्यायिक अधिकारी के रूप में सात वर्ष का अनुभव होना चाहिये।

†**श्री वें० प० नायर**: मैं यह बात पूछना चाहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति केन्द्रीय विधि सेवा में है और वह सरकार के सवैतनिक कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है तो क्या वह विधि न्यायालय में कोई मामला प्रस्तुत करने का अधिकारी हैं। अक्सर महाअधिवक्ता को ऐसे सवैतनिक कर्मचारी, ऐसे मामलों में जिनमें सरकार एक पक्ष में होती है, सहायता करते हैं। अत: मेरे विचार से खंड २ में कुछ संशोधनों को करने की गुंजायश है। मैं इस मामले में कोई संशोधन इस कारण प्रस्तुत नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं ने इस विधेयक का गहरा अध्ययन नहीं किया है तथापि मेरे विचार से ऐसे विधेयक में जिसे विशेषज्ञ विशेषज्ञों के लिये बना रहे हैं कुछ परिवर्तनों में कोई त्रुटियां नहीं रहनी चाहियें।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी**: यदि आज के विकासशील युग में किसी विधेयक में कोई त्रुटियां रह जायें तो यह कदापि नहीं सोचना चाहिये कि यह विधेयक निर्माता की गलती हैं अथवा विधेयक पर पूरी तरह ध्यान नहीं दिया गया है। वस्तुत: किसी भी विधेयक को नितांत त्रुटिरहित बनाना सम्भव भी नहीं होता है।

वर्तमान विधेयक के अधीन कई विधि स्नातकों ने बिना निर्धारित अवधि का प्रशिक्षण किये हुए अपने को अधिवक्ता के रूप में दर्ज करवा दिया। इससे उन लोगों को, जिन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर लिया था, हानि हुई। अत: इस बात को रोकने के लिये तथा प्रशिक्षण अनिवार्य करने के लिये यह संशोधन किया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रा० मुनिस्वामी]

अब मैं केन्द्रीय विधि सेवा को लेता हूं । ये अपनी सेवायें सरकार को अर्पित करते हैं और उसके बदले में पारिश्रमिक लेते हैं उनको यह अधिकार प्राप्त है कि वे सरकार की वकालत करते हुए भी अधिवक्ता हैं । निसंदेह ऐसा प्रतीत होता है कि उनके प्रति पक्षपात किया गया है तथापि मैं आशा करता हूं कि अगली बार जब संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा तो यह त्रुटि हटा दी जायेगी ।

यह एक अच्छी बात है कि विधेयक में उच्चतम न्यायालय के जूनियर अधिवक्ता भर्ती होने के लिये दस वर्ष की वकालत के होने पर आग्रह नहीं किया गया है । कुछ समय वकालत करने के बाद अधिवक्ता के लिये परीक्षा में बैठने की जो शर्त रखी गयी है वह उचित नहीं है । इसके स्थान पर यह उपबंध करना चाहिये था कि जो व्यक्ति विहित अवधि तक अपने को दर्ज नहीं करवाता उसके लिये एक निश्चित मात्रा में अर्थदंड देने पर उसका नाम दर्ज करवाने की व्यवस्था हो । मैं जानता हूं कि मंत्री महोदय इस मामले में बहुत सहानुभूति पूर्ण हैं । और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नहीं चाहते हैं कि उनके नियमों में फेर बदल को जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं ।

इस के पश्चात् लोक-सभा बुधवार, २८ मार्च, १९६२/७ चैत्र, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, २७ मार्च, १९६१

६ चैत्र, १८८४ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर .	८१३—३३
तारांकित प्रश्न संख्या		
२२२	नागा . .	७१३—१४
२२४	उड़ीसा में उद्योग के लिये योजना आवंटन	८१४—१५
२२७	पटसन के मूल्य	८१५—१७
२२८	पटसन की वस्तुयें . . .	८१८—२०
२२९	पश्चिम बंगाल में "अनधिकारवासियों" की बस्तियां	८२०—२२
२३१	रूई का अधिग्रहण	८२३
२४२	गुजरात में कपास का स्टाक	८२३—२५
२३२	नारियल जटा की वस्तुयें	८२५—२७
२३३	अखिल भारतीय बैंक ट्रिब्यूनल, बम्बई	८२७
२३४	चैकोस्लोवाकिया में फिल्म समारोह	८२७—२८
२३५	नागा विद्रोहियों का अड्डा	८२८—२९
२४०	यूरोपीय साझा बाजार	८३०—३२
२३६	उत्कल मशीनरी लिमिटेड	८३२—३३
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	८३३—५७
तारांकित प्रश्न संख्या		
२२३	गोआ में जहाज बनाने का कारखाना	८३३—३४
२२५	फिल्म सेंसर सम्बन्धी नियम .	८३४
२२६	रूई के अधिकतम मूल्य पर से नियंत्रण हटाना	८३४
२३०	कपड़ा करार	८३४—३५
२३७	अणुशक्ति संयंत्रों के स्थान . .	८३५
२३८	उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना	८३५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
२३९	संयुक्त राज्य अमरीका को मैंगनीज का निर्यात	८३५–३६
२४१	भारतीय चाय बोर्ड द्वारा नमूने का सर्वेक्षण	८३६
२४३	एशिया तथा सुदूर पूर्व के लिये आर्थिक आयोग की बैंकाक में बैठक	८३६
२४४	छोटे पैमाने के उद्योग	८३६–३७
२४५	घरेलू नौकरों के लिये रोजगार और कल्याण केन्द्र	८३७
२४६	सूती कपड़े और पटसन की वस्तुओं का निर्यात	८३७
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३३६	इराक में वाणिज्यिक दूतावास	८३८
३३७	पुनर्वास मंत्रालय के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही	८३८
३३८	अणु खनिज	८३९
३३९	तांगानीका के भारतीय उच्चायुक्त	८३९
३४०	वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्	८३९
३४१	वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्	८३९–४०
३४२	वरिष्ठ कर्मचारी परिषद	८४०–४१
३४३	वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्	८४१
३४४	वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्	८४१–४२
३४५	वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्	८४२
३४६	वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्	८४३
३४७	गोआ से लौह अयस्क का निर्यात	८४३
३४८	पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के दावे	८४३–४४
३४९	भारत में लंका के छात्रों को शिक्षा की सुविधायें	८४४
३५०	राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम	८४४
३५१	पानीपत में कागज का कारखाना	८४५
३५२	डाक तथा तार विभाग के भवन	८४५–४६
३५३	नई दिल्ली में जंगपुरा 'बी' पुनर्वास बस्ती	८४६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमश :		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३५४	जंगपुरा, नई दिल्ली	८४६–४७
३५५	अल्युमीनियम वर्क उद्योग .	८४७
३५६	पी० जी० डी० ए० वी० कालिज, नई दिल्ली .	८४७–४८
३५७	वेस्पा स्कूटर	८४८
३५८	मंगला बांध . . .	८४९
३५९	लोहा तथा इस्पात उद्योग के लिये मजरी बोर्ड .	८४९
३६०	दूलमेरा पत्थर . .	८४९–५०
३६१	पटसन समिति	८५०
३६२	नेपाल का औद्योगिक दल .	८५०
३६३	अल्युमीनियम का उत्पादन .	८५०–५१
३६४	बिजनौर (उत्तर प्रदेश) में पूर्वी बंगाल के शरणार्थी .	८५१
३६५	लाजपतराय मार्केट, दिल्ली .	८५१–५२
३६६	लोदो कालोनी, नई दिल्ली का रिफ्यूजी मार्केट .	८५२
३६७	दिल्ली में सरकारी होस्टलों और मेसों के कर्मचारी	८५२–५३
३६८	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के कार्यभारित कर्मचारी .	८५३
३६९	बम्बई में फिल्म कर्मचारी .	८५३–५४
३७०	राष्ट्रपति भवन सचिवालय . . .	८५४
३७१	चाय पर खाद्य तथा कृषि संगठन की रिपोर्ट .	८५४
३७२	मेसर्ज इन्डिया स्टोन लाइम कम्पनी .	८५४
३७३	चाय बाजार का सर्वेक्षण .	८५५
३७४	चाय पर निर्यात-शुल्क .	८५५
३७५	जहाज स्क्रैप उद्योग . .	८५५–५६
३७६	दिल्ली में गन्दी बस्तियां .	८५६–५७
स्थगन प्रस्ताव और विशेषाधिकार का प्रश्न		८५७–५९

अध्यक्ष महोदय ने दिनांक २६ मार्च, १९६२ के स्टेट्समैन में भारत सरकार और ई एन आई इटैलियन आयल कम्पनी के बीच हुए करार की शर्तों के प्रकाशन के बारे में, जो पहले खान और तेल मंत्री द्वारा सभा को नहीं बताई गई थी, एक स्थगन प्रस्ताव को, जिसकी सूचना श्री बड़ाकुमार

विषय पृष्ठ

प्रताप गंग देव बामरा द्वारा दी गई थी, पेश करने और एक विशेषाधिकार के प्रश्न को जिसकी सूचना श्री हेम बरुआ द्वारा दी गई थी, उठाने की अनुमति नहीं दी ।

अवलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ८६०–६१

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने कुछ उद्यानों और वाटिकाओं के नई दिल्ली नगर-पालिका समिति को सौंप दिये जाने के फलस्वरूप केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के उद्यान विभाग के लगभग ३०० कर्मचारियों की छंटनी की ओर निर्माण, आवास और संभरण मंत्री का ध्यान दिलाया ।

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र ८६१–६२

(१) रबड़ अधिनियम, १९४७ की धारा २५ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत दिनांक ६ जनवरी, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २९ में प्रकाशित रबड़ (दूसरा संशोधन) नियम, १९६१ की एक प्रति ।

(२) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(एक) कम्पनीज़ अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९-क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स की वर्ष १९६०–६१ की वार्षिक रिपोर्ट लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(३) एक विवरण जिसमें वे मामले दिये गये हैं जिनमें ३१ दिसम्बर, १९६१ को समाप्त होने वाली छमाही मे इण्डिया स्टोर डिपार्टमेंट, लन्दन और इण्डिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा निम्नतम टेंडर स्वीकार नहीं किये गये ।

(४) कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२ को कुछ व्यापारिक तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर लागू करने वाली दिनांक १७ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३४६ की एक प्रति ।

(५) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, १९४८ की धारा ३६ के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम के वर्ष १९६१–६२ के पुनरीक्षित प्राक्कलनों और वर्ष १९६२–६३ के बजट प्राक्कलन की एक प्रति ।

विषय पृष्ठ

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन--उपस्थापित ८६२

(१) एक सौ तिरेसठवां प्रतिवेदन,

(२) एक सौ चौसठवां प्रतिवेदन, और

३) एक सौ इक्यावनवां प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये ।

लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन--उपस्थापित ८६२

बयालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

लाभ पदों संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन--उपस्थापित ८६३-७८

पाचवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया ।

रेलवे आय-व्ययक--सामान्य चर्चा

वर्ष १९६२-६३ के लिये रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा जारी रही । रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया और चर्चा समाप्त हुई ।

लेखानुदानों की मांगें--रेलवे --१९६२-६३ ८७८-८८

वर्ष १९६२-६३ के लिये रेलवे आय-व्ययक के सम्बन्ध में लेखानुदानों की मांगें पूरी की पूरी स्वीकृत हुईं ।

विधेयक उपस्थापित और पारित ८८८-८९

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) ने विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक १९६२ को पुरस्थापित किया । और यह भी प्रस्ताव किया कि विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

विचाराधीन विधेयक ८८९-९२

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) ने यह प्रस्ताव किया कि अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, १९६२ पर विचार किया जाये । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

बुधवार, २८ मार्च, १९६२/७ चैत्र, १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि--

(१) विधेयकों पर विचार और पारित किया जाना :

(१) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक;

(२) विमान निगम (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में; और

(३) भारतीय उत्तराधिकार (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में ।

(२) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा ।

GMGIPND—LS III—4 (Ai) LSD—2-5-62—125.